राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ७ } द्वितीय विधान सभा के सातवें सत्र का पांचवां दिवस { संख्या ५

शुक्रवार, ४ दिसम्बर, १९५९

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बजकर १ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा पशुपालन, सिंचाई, खनिज एवं उद्योग, कृषि, वन, विद्युत, गृह, विकास तथा सार्वजनिक निर्माण–विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

रावराजा श्री सरदारसिंह।

गोनेर की स्कूल को हायर सेकिन्डरी स्कूल में परिवर्तित करना

१२६. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या कस्बा गोनेर, तहसील सांगानेर में कोई स्कूल है? अगर हां, तो कौन सी कक्षा तक और उसमें छात्रों की संख्या कितनी है?

(२) क्या उपरोक्त स्कूल को स्थानीय जनता की प्रार्थना पर हायर सेकिन्डरी स्कूल में परिवर्तित करने की कोई तजवीज थी? अगर हां, तो क्या उसे कार्यान्वित किया जावेगा?

उप-मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) :

(१) राजकीय आदर्श माध्यमिक विद्यालय कक्षा ८ तक है जिसमें छात्र संख्या २०१ है।

(२) जी नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या इस स्कूल को हायर सेकिन्डरी में बदलने के लिये वहा के लोगों ने डाइरेक्टर शिक्षा विभाग को प्रार्थना पत्र दिया था और कहा था कि यहां हायर सेकिन्डरी स्कूल न होने की वजह से यहां से लोगों को बीस बीस माइल दूर जाकर रहना पड़ता है और वहां पढ़ना पड़ता है?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हायर

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

सेकेन्डरी पहले सांगानेर में खोलने का विचार है। पहले तहसील हैड क्वाटर खोले हैं वहां से गोनेर सिर्फ पांच मील दूर रहता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या आपने यह पालिसी तय कर ली है कि पहले तहसील हैड क्वार्टर में हायर सेकिन्डरी स्कूल खोला जाय और जहां मकान की सुविधा हो और सभी सुविधा हो वहां क्यों नहीं खोला जाता ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : गोनेर में हायर सेकिन्डरी स्कूल नहीं चल सकता उसके लिये और अलग मकान बनाना पड़ेगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : गोनेर जागीरदार के महल सरकार के कब्जे में है उसमें आप नहीं खोल सकते क्या ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उस महल में प्राइमरी स्कूल चल रहा है, मिडिल स्कूल चल रहा है, बी० एस० टी सी० चल रहा है, होस्पीटल भी चल रहा। अब उसमें हायर सेकिन्डरी नहीं चल सकती।

रावराजा श्री सरदारसिंह : प्राइमरी और मिडिल स्कूल चलते हैं, और भी गुंजाइश है। आप खोलना चाहे तो खोल सकते हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : गुंजाइश नहीं है।

श्री दुर्गादान, डिप्टी डाइरेक्टर एनिमल हस्बेन्ड्री जोधपुर और बीकानेर डिवीजन द्वारा किये गये स्थानान्तरण

१२७. **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : Will the Minister-in-charge of Animal Husbandry be pleased to state:-

1. On what date Dr. Durgadan, Dy. Director Animal Husbandry took over charge of Jodhpur and Bikaner Divisions ?

2. Immediately after his taking over charge of Jodhpur Office, how many persons were transferred by the Dy. Director from their existing places of posting to other places in Jodhpur and Bikaner Divisions during the months of April, May, June, July and August, 1957. The names of the persons so transferre,d along with their places of postings and the date and reference number of the office order under which these persons were transferred may be given.

3. In how many cases these transfer orders were cancelled and in how many cases a person has been transferred to more than one place or occasion during this period ? The names of these persons along with the copies of their transfer order may be placed on the Table.

4. Is it correct that the tranfers were so frequent that the fund provided for T. A. & D. A. in the normal Budget of the Department fell short

(श्री पी० के० चौधरी)

and an additional grant of Rs.24,000/ had to be provided for the Deparment during this year in question to enable the Department to arrange payment of T. A. & D. A. to its staff ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(१) दिनांक १४ मार्च, १६५७ को डॉ० दुर्गादान ने उप-संचालक, पशु पालन विभाग, जोधपुर व बीकानेर डिवीजन, के पद पर चार्ज लिया था।

(२) उप-संचालक द्वारा अप्रेल, मई, जून, जुलाई व अगस्त सन् १६५७ में ५० कम्पाउन्डर स्टेटस स्टाकमेन्स का तबादला किया था। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) केवल चार तबादलों के आदेशों को ही रद्द किया था। एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर केवल एक ही बार स्थानान्तरित किये गये थे। एक दफा से ज्यादा बार किसी भी व्यक्ति को स्थानान्तरित नहीं किया गया। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री पी० के० चौधरी : इस व्यक्ति के ड्यूटी रिज्यूम करने के एक साथ ही चालीस तबादले करने का क्या कारण है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको इस बात की जानकारी होगी एक सर्कुलर गवर्नमेन्ट का ऐसा है कि छोटी तनख्वाह पाने वाले जो लोग हैं उनको जहां तक बन पड़े उनके डिस्ट्रिक्ट डिवीजन के नजदीक ही लगाये जाय। इस विभाग द्वारा भी इसी प्रकार का का सर्कुलर एक परफोर्मा बनाकर भेजा था उसमें यह था कि कौन कौन लोग कहां कहां जाना चाहते हैं जब उन लोगों ने वह परफोर्मा बनाकर और भरकर भेज दिया था उसके बाद ट्रान्सफर किये गये हैं। गर्मियों की छुट्टियों के बाद बच्चों की पढ़ाई आदि में हर्जा होता है इसलिए एक साथ ही ट्रान्सफर कर दिये गये।

श्री पी० के० चौधरी : आपकी सूची में १२ नम्बर का आदमी है गोविन्दसिंह। उसका ट्रांसफर आपने एक बार बताया है, जब की मेरे पास ऑफिस ऑर्डर है। आपने जिनके माफिक जून और जुलाई में सिवाना से सिरोही, सिरोही से पाली, पाली से कुचेरा, कुचेरा से आहोर और आहोर से बाली, पांच जगह पर ट्रान्सफर कि किया था। I can produce the order here फिर आपने यहां एक ही बार ट्रान्सफर की बात कैसे बताई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा: मेरे पास तो एक ही बार की सूचना है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : आपके पास से क्या मतलब ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे दफ्तर ने जो सूचना मुझे दी वह.......

श्री श्रीभानसिंह : आपके ऑफिस ने यह इन्फोर्मेशन कैसे सप्रैस की। जबकि उसका पांच बार ट्रान्सफर का ऑर्डर निकाला गया तब यह एक ही बार कैसे आप कह रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने जो जानकारी दी वह अगर आप ठीक नहीं मानते तो आप जो जानकारी देना चाहते हैं वह मुझे दे दीजिये। मैं जांच करा लूंगा।

श्री श्रीभानसिंह : जानकारी तो आपको देनी चाहिये। जानकारी तो आपसे चाही जा रही है और आप सही जानकारी को सप्रैस कर रहे हैं, दे नहीं रहे हैं सही जानकारी सदन में।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने तो जानकारी दे दी। अगर वह ठीक नहीं है और आपके पास कॉन्ट्रेरी इन्फोर्मेशन है तो वह उनको दे दीजिये। वे जांच करा लेंगे।

श्री श्रीभानसिंह : यह कॉन्ट्रेरी इन्फोर्मेशन का सवाल नहीं है अध्यक्ष महोदय, यह तो सप्रैशन ऑफ इन्फोर्मेशन है।

श्री अध्यक्ष : इन्फोर्मेशन तो मौजूद है। सप्रैशन किसका है ?

श्री पी० के० चौधरी : सप्रैशन इस बात का कि वे एक बार की बात कह रहे हैं जबकि उनके ऑर्डर हैं जिनके मुताबिक उस आदमी का पांच बार ट्रान्सफर किया गया। I have got all the 5 transfer orders here. I can produce them...

श्री अध्यक्ष : इसे वे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बिना जांच किये वे कैसे कह सकते हैं कि आप जो कॉन्ट्रेरी इन्फोर्मेशन दे रहे हैं वह कैसे है, क्या है ?

श्री पी० के० चौधरी : I am giving the dates.

श्री अध्यक्ष : Give it to...Yes. Then give it to him and he will look into the matter.

श्री नाथूराम मिर्धा : Yes I will look to it.

श्री श्रीभानसिंह : Why should the Hon'ble Member give the dates or the information which he has. The Hon'ble Minister is supposed to give correct information to the House.

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न का उत्तर दिया गया, उस पर माननीय सदस्य कहते हैं कि यह उत्तर सही नहीं है। अब आप अपनी सूचना के मुताबिक इन्फोर्मेशन उनको नहीं देंगे तो वे उसकी इन्क्वायरी कैसे करेंगे ?

श्री श्रीभानसिंह : यह इन्फोर्मेशन तो उनको देनी चाहिये थी....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर प्लीज !! आनरेबल मिनिस्टर ने एक सूचना दी। उनके डिपार्टमेंट ने उनको एक इन्फोर्मेशन दी। अब आप कहते हैं कि मेरे पास ऐसी इन्फोर्मेशन है जो उससे कॉन्ट्रेरी है तो उसे जबतक आप उनको नहीं देंगे तब तक वे इन्क्वायरी किसकी करेंगे और कैसे मालूम करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। How do you expect him to say just now ?

श्री पी० के० चौधरी : My question was specific, Mr. Speaker. My question was very specific during the months of April, May, June, July and August, 57, after this gentleman resumed his duty, how many times he was transferred ?'

Page No 5

श्री अध्यक्ष : इस पर ही तो उनका उत्तर आया है।

श्री पी० के० चौधरी : This very gentleman was transferred more than once. He says it once, whereas I find that this gentleman Govind Singh was transferred by order dated 15...

श्री अध्यक्ष : देखिये इसको रिपीट करने से कोई मतलब नहीं। आपको जो इन्फोर्मेशन दी है उससे कॉन्ट्रेरी इन्फोर्मेशन अगर आपके पास है तो वह आप उनको दे दीजिये वे जांच करके ही तो बता सकते हैं। इससे पहले वे कैसे, क्या कह सकते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : I take it for granted that the information given is wrong. The point is whether the Minister has been supplied with correctinformation or not. Why did not the Department give correct informa tion which is there.

श्री अध्यक्ष :Order ! Order Please !! Please don't repeat your arguments. क्वेश्चन खास है। एक इन्फोर्मेशन मिनिस्टर महोदय ने अपनी जानकारी के आधार पर दी। आप कहते हैं मेरे पास कॉन्ट्रेरी इन्फोर्मेशन मौजूद है। इस का तसफिया यहां तो होगा नहीं। आप अपनी इन्फोर्मेशन उनको दे दीजिये। वे जांच करा कर देखेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है।

श्री श्रीभानसिंह : तसफिया इसका यहीं होगा साहब।

श्री अध्यक्ष : I think you should be very responsible, the Hon'ble Member.

श्री श्रीभानसिंह : Mr. Speaker, I am very responsible. I am sorry that the Chair has been led to put such remarks. I would like to know why the department is suppressing the correct information and why it has not supplied the correct information.

श्री अध्यक्ष : कुछ तो मिनिस्टर को टाइम दे सकते हैं। मान लीजिये मैंने गलती की और माननीय सदस्य ने कहा वह बात सही है। पर आज ही इसका उत्तर चाहें तो कैसे मिल सकता है।

श्री श्रीभानसिंह : उत्तर चाहने के लिये ही प्रश्न रक्खा गया था।

श्री अध्यक्ष : He says according to his information that he was transfered once. Now you say that he was transferred more than once.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : यह बात तो ठीक है। परन्तु क्या इस प्रकार से यहां पर भी जो माननीय सदस्य की इन्फोर्मेशन है कि पांच बार ट्रान्सफर किया गया वह क्या सरकारी इन्फोर्मेशन नहीं है। वे भी तो सरकार के ही ऑर्डर हैं।

श्री अध्यक्ष : वह सरकारी इन्फोर्मेशन है या नहीं, यह कौन कह सकता है।

श्री पी० के० चौधरी : Let me put the different dates...

श्री अध्यक्ष : He has categorically stated that he was transferred once.

श्री पी० के० चौधरी : I can put the orders on the table of the House.

Page No 6

श्री अध्यक्ष : Hon'ble Member please, this cannot serve any purpose. You can say that he was transferred more than once...

श्री पी० के० चौधरी : If the Hon'ble Minister has not been supplied with correct information then I would like to know what action will he take against the department which has suppressed the information.

श्री अध्यक्ष : But he has to satisfy himself as to whether the information being given by you is correct.

श्री अमृतलाल यादव (जालोर-सु०) : माननीय अध्यक्ष, यह परम्परा तो रही है कि जो मिनिस्टर जिम्मेदारी से जवाब देते हैं उसको तो हमें जिम्मेदारी से मानना पड़ेगा और उसके कॉन्ट्रेरी अगर हमारे पास इन्फोर्मेशन है तो हम उनको दें। ताकि निश्चित तौर से जांच कराई जाने के बाद में अगर उनकी बात गलत निकलती है और हमारी इन्फोर्मेशन सही निकलती है तो उनको बताना जरूर चाहिये और अगर परिणाम दूसरा आता है तो वैसा बताना चाहिये। इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। इस तरह का आश्वासन दे दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : आश्वासन की बात नहीं है। इन्फोर्मेशन है, अगर आपकी इन्फोर्मेशन करेक्ट है तो तो ठीक है। He will correct himself.

श्री पी० के० चौधरी : I quite agree. My issue is that the Hon'ble Minister has been supplied with the information that he has been transferred only once on 11-1-57 but I have got these orders that he was transferred more than once.

श्री अध्यक्ष : You give this information to him. Yes, you give this information to him. You can place it on the table of the House.

श्री पी० के० चौधरी : I am placing it. He was transferred on 11-1-57 from Siwana to Sirohi and again on 5th July, 57. He was transferred to Mobile dispensary then again on 11-7-57, he was transferred from Pali to Kuchera. Then again on 15-7-57 Mr. Govind Singh from Pali is transferred to Ahore instead of Kuchera. Then again on 27-7-57, he was transferred from Ahore to Bali. All these orders I have got.

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ। मेरे पास वैसी सूचना नहीं है जैसी माननीय सदस्य कह रहे हैं। इसलिए इस बारे में मैं जांच करके ही कह सकता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। आप मुझे बता दें—मैं देख लूंगा इस सारे मामले को।

श्री मुरलीधर व्यास : २४ हजार रु० इसी प्रकार के ट्रान्सफरों के लिये रखे हैं क्या ?

(हंसी)

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो आप कैसे जान सकते हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : ये इसी प्रकार के ट्रान्सफरों में लगे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : ये इस प्रकार के थे या किस प्रकार के थे यह तो मैं ही जानता हूँ, मुझे काम कराना है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

गोटडा (बूंदी) बांध के निर्माण से काश्तकारों की ज़मीन व मकानात का डूब में आना

१८८. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा): क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

१. क्या यह सही है कि ग्राम गोटडा, तहसील हिन्डोली, जिला बूंदी में बूंदी के गोठडा के नाम से बांध तैयार हो रहा है? अगर हां तो कब से और उसमें काश्तकारान की कितनी ज़मीन और मकानात डूब में आये हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

२. क्या जिन जिनके मकानात और ज़मीन व ग्राम डूब में आये हैं उनको दूसरी जगह आबाद कर दिया गया अथवा ज़मीनें व मुआवजा दे दिया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री भीखाभाई) : जी हां। सन् १९५४ से बूंदी के गोठडा बांध के डूब में आने वाले काश्तकारों की ज़मीन, मकानात, कुंए आदि निम्न प्रकार से हैं :—

नाम गांव	जिला	डूब में आने वाली जमीन का रकाब	मकानों की तादाद	कुओं की तादाद
रोनीजा	बूंदी	८९५ बीघा, १५ बिस्वा	१५	२७
टोडों का गोठडा	टोंक	४८७ बीघा, ११ बिस्वा	११७	५४
सीतापुरा	टोंक	२८७ बीघा, १९ बिस्वा	—	—

२. डूब से प्रभावित लोगों को दूसरी जगह आबाद कर दिया गया है। बूंदी जिले के प्रभावित लोगों को आधा मुआवजा दे दिया गया है और बाकी चुकारा करने की तजवीज जारी है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : दूसरी जगह आबाद कहां किया? उनकी ज़मीनों पर या दूसरे जिले में?

श्री भीखाभाई : इसकी जानकारी तो इस वक्त नहीं है। पर माननीय सदस्य, चाहेंगे तो बाद में पेश कर दूंगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने फर्माया कि ५४ में तालाब बना था और बूंदी के गोठडा वालों को तो मुआवजा दे दिया गया और टोडा के गोठडों वालों का है। उनकी कार्यवाही दरपेश है। अब उनको पांच साल से न देने का क्या कारण है। क्या उन्होंने अपने मकान कहीं बना लिये या अभी खानाबदोश ही हैं।

श्री भीखाभाई : दरअसल में टोंक कलक्टर के पास में मुआवजे की रकम भेज दी गई थी आधी रकम। पर वहां जो स्टेटमेन्ट वगैरह कलक्टर के पास से आना चाहिये वे नहीं आ सके। इस वक्त लैंड एक्वीजीशन बी. सी. आर. के पास केस चल रहा है। जल्दी ही मुआवजे का फैसला हो जावेगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अब रकम भेज दी गई आप कहते हैं तो कितनी रकम भेजी और किस आधार पर भेजी ?

श्री भीखाभाई : यह तो दरअसल में अन्दाजन भेज दी गई थी। इन्जीनियरी विभाग से वह रुपया भेजा गया था।

श्री मुरलीधर व्यास : रकम भेजे कितना समय हुआ ?

श्री भीखाभाई : यह तारीख तो मेरे पास इस समय नहीं है। आप चाहें तो बाद में यह इत्तला पेश की जा सकती है लेकिन इस समय मेरे पास तारीख नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : फिर भी निश्चित समय बता दीजिये कि रकम कब भेजी गई थी ?

श्री भीखाभाई : १९५६ में। दोनों जिलों को साथ ही साथ भेज दी गई थी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : उनको मुआवजा भेज दिया गया तो बूंदी के गोठड़े की ज़मीन नहीं आई। टोडे के गोटडे और टोंक डिस्ट्रिक्ट की आती है उनको मुआवजा नहीं दिया। बूंदी के गोठडे में तो तालाब ही बनाया है।

श्री भीखाभाई : दरअसल में जो कम्पेनशेशन के स्टेटमेन्ट तैयार होने चाहिये थे वह कलक्टर करता है और वह तैयार नहीं हो पाये थे इसलिये मुआवजे का पेमेन्ट नहीं हुआ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : उनको हर साल कलक्टर तारीख देकर बुलाता है और वह बूंदी जाकर निराश वापस लौट आते हैं। न तो पटवारी उनको दूसरी जगह मकान बनाने देता है और न उनको कहीं ज़मीन ही दी गई है।

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : रुपया तो भेज रखा है और इसके लिये हमने लैण्ड एक्वीजीशन ऑफीसर को लिखा है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रोजेक्ट बनने से पहले इस बात का सर्वे हो जाना चाहिये कि उनकी जो ज़मीन डूब में आती है उसके बदले उनको बसाने की योजना सोचनी चाहिये। लोगों को पूरी तरह बसा दिया जाना चाहिये फिर काम करना चाहिए। तालाब बन गए, सब बातें हो गई, पांच वर्ष हो गये पर उनको कुछ भी नहीं मिला।

श्री रामकिशोर व्यास : कोई सारा हिस्सा तो डूब में एक साथ आता नहीं है। अब भी बहुत सा हिस्सा बाकी है। उसका सारा एरिया सब-मर्ज में नहीं आया है। उसको कितना मुआवजा मिलना चाहिए, कितनी ज़मीन सब-मर्ज में आई है यह फैसला लैण्ड एक्वीजीशन ऑफीसर करता है। हमने लैण्ड एक्वीजीशन ऑफीसर के पास रुपया भेज रखा है उनको और तकाज़ा करेंगे कि वह केस को जल्दी ही तय कर दें।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कलक्टर टोंक के पास रुपया भेजा था वह तो उन्होंने वापिस भेज दिया। मैं कहता हूँ कि वहां की पंचायत भी तो है....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : सवाल और भी बहुत हैं।

श्री अध्यक्ष : यह भी जरूरी प्रश्न है। यहां सदन में मुआवज़े का कई बार प्रश्न आ चुका है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है की कहीं गलती तो नहीं करते हैं। मेरे भी चुनाव क्षेत्र में ऐसा ही मामला है और मैं समझता हूँ कि उसके बारे में भी कहीं गलत नीति तो नहीं अपना रखी है।

श्री मुरलीधर व्यास : उनसे नहर कर भी वसूल होता है और पानी भी ठीक तरह से नहीं मिलता है।

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें ज्यादा हिस्सा बूंदी डिस्ट्रिक्ट का है। फिर भी एक्वीजीशन की जो कार्यवाही है उसके लिए दुबारा लिखेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

जिला कोटा एवं बूंदी में तैयार किए जानेवाले शोरा खार से सरकारी आय

१२६. **रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा-सु.) : क्या खनिज एवं उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जिला कोटा एवं बूंदी में ऐसे कितने स्थान हैं जहां शोरा, खार तैयार किया जाता है ?

(२) खार उद्योग से सरकारी आय कोटा व बूंदी जिलें की कितनी होती है तथा लगभग कितने परिवारों का उक्त उद्योग से पोषण होता है ?

(३) खार उद्योग में लोग किस मास से कार्यारम्भ कर देते हैं ? क्या सरकार ठीक समय पर ठेके देकर कार्य करने की सूचना दे देती है ?

(४) क्या यह सही है कि इस वर्ष जिला कोटा एवं बूंदी में खार उद्योगों पर कार्य करनेवाले श्रमिकों को काफी प्रयत्न करने पर भी समय पर सरकारी आदेश नहीं मिल सका, फलस्वरूप कई स्थानों पर यह कार्य बन्द रहा जिससे सरकार एवं उक्त उद्योग से संबंधित खारवाल जाति की आर्थिक हानि हुई है ?

(५) यदि हां, तो सरकार को अन्य वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष कितनी कम आय हुई और उसकी जिम्मेदार किस पर है ?

उप-मंत्री, खनिज एवं उद्योग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) जिला कोटा में ११ व जिला बूंदी में ३ स्थानों पर खार तैयार किया जाता है।

(२) इस उद्योग से कोटा जिले में ५,३२रु० व बूंदी जिले में १५१ रु० प्रति वर्ष आय होती है। कोटा जिले में ११ व बूंदी में ३ परिवारों का पोषण होता है।

(३) अप्रेल मास से इस उद्योग का कार्य आरम्भ होता है। ठेका ठीक समय पर ही दिया जाता है।

(४) जी नहीं।

(५) प्रश्न नहीं उठता।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : इस बार जो आपने घोषणा की वह कब की थी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अप्रेल, ५८ में की और अब उसका कॉन्ट्रेक्ट मार्च, १९६१ में खत्म होगा इसलिये सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री दयाकृष्ण विजय : लोगों को मालूम हुआ या नहीं कि कब से नई घोषणा होने वाली है या फिर उन्हीं को कॉन्ट्रेक्ट मिल गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : हर ठेके के लिए पहले नोटीफिकेशन होता है। कायदे के अनुसार वह सारा हुआ। अखबारों में आया और गजट में आया और नीलाम हुआ और उसके बाद में दिया गया और अप्रेल सन् ५८ में दिया गया और अब उसकी मियाद सन् ६१ में खत्म होगी, इसलिऐ सवाल ही नहीं उठता।

Page No 10

श्री दयाकृष्ण विजय : इस साल आपने नोटीफिकेशन निकाला या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है कि इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि सन् १९५८ में ठेका दिया गया और १९६१ में मियाद खत्म होगी वह ठेका अभी तक चल रहा है। इसलिए सवाल ही पैदा नही होता।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

तहसील देवली व उनियारा के काश्तकारान को चद्दरें प्राप्त करने में दिक्कतें

१३०. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि काश्तकारान को खेती के प्रबन्ध के लिये सरकार ने टीन की चद्दरें देने का कोई इन्तजाम कर रखा है ? अगर हां, तो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में कितना कितना कोटा निर्धारित किया हुआ है ?

(ख) सन् १९५८ व १९५९ में टोंक डिस्ट्रिक्ट में कितना कोटा निर्धारित किया था और तहसीलवाइज कितना कितना वितरण किया गया ?

(ग) यह टीन देते समय किन किन फॉरमेलिटीज़ की आवश्यकता होती है ? क्या यह सही है कि तहसील देवली और उनियारा के काश्तकारान को जो लाइसेंसदार टोंक में है—चद्दरें नहीं देता है और शिकायत करने पर अधिकारीगण कोई ध्यान नहीं देते हैं ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां, कृषकों को चद्दरें व लोहे का अन्य सामान दिया जाता है, लेकिन इसका कोई निश्चित कोटा स्थायी रूप से निर्धारित नहीं है। जितना तिमाही कोटा कृषि कार्य के लिए निर्धारित होता है वह राज्य के सभी जिलों को कृषक जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

(ख) टोंक जिले के लिए सन् १९५८ में १४९ टन व १९५९ में (सितम्बर तक) २८४ टन लोहे का कोटा निर्धारित किया गया है। तहसीलवार टीन की चद्दरों के वितरण की तालिका संलग्न है।

(ग) जिला कृषि अधिकारी, सरपंच विकास अधिकारी, कृषि प्रसार अधिकारी अथवा तहसीलदार आदि में से किसी एक की अनुशंसा (सिफारिश) पर कृषकों को टीन व लोहे के अन्य सामान के अनुमति-पत्र (पर्मिट) देते हैं।

तहसील उनियारा व देवली के कृषकों को स्टॉकिस्ट चद्दरें नहीं देता, ऐसी कोई शिकायत आज तक जिला कृषि अधिकारी, टोंक को मौखिक या लिखित रूप से प्राप्त नहीं हुई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसका निर्णय कर दें कि जो आपने लिखा है कि ऐसी कोई शिकायत लिखित रूप में नहीं आई....

श्री अध्यक्ष : मौखिक रूप में भी नहीं आई।

रावराजा श्री सरदारसिंह : वह तो मैंने खुद जाकर टोंक में शिकायत की है। सन् ५९ के अन्दर आपने उनियारा और

Page No 11

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

अलीगढ के अन्दर कोई चद्दरों का वितरण करना नहीं बताया है, इसका क्या कारण है।

श्री नाथूराम मिर्धा : उणियारा के ५६ के अन्दर ६७१ टिनें लोगों को दी हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं कहता हूँ कि सन् ५६ के अन्दर उनियारा को काट रखा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : उनियारा के अन्दर ६७१ टिनें और अलीगढ में १६५८ में ८४१ टिनें दी हैं और ५६ में नहीं दी हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अलीगढ में सन् १६५६ में कुछ भी नहीं दी गई, इसका क्या कारण है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सब जगह एक साथ नहीं दे सकते। बारी बारी सब तहसीलें को देते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या सरकार को आपत्ति है कि जो पंचायत समितियां बन चुकी हैं.... ...

श्री नाथूराम मिर्धा : वह आपके सुझाव के पहले ही कर चुके हैं। अब जो कोटा आयरन एण्ड स्टील का होगा सब पंचायत समितियों के द्वारा ही वितरित होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण हीरात.

कोटड़ा एवं भाणपुरा के जंगलों का ठेका एवं उससे आय

१३१. **श्री लक्ष्मण हीरात** (गोगुन्दा) : क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

उदयपुर जिले के रेन्ज कोटड़ा एवं भाणापुरा के जंगलों का ठेका सन् ५७ से ५६ तक किन किन व्यक्तियों को किस किस जंगल का दिया गया और उसकी आय कितनी हुई ?

वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री लक्ष्मण हीरात : यह ठेकेदारों को ठेका आसानी से मिल जाता है और सोसायटी को नहीं मिलता है इसका क्या कारण है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो नीलाम होता है। सोसाइटीज़ को अपने नियमों के अनुसार मिलता है।

श्री लक्ष्मण हीरात : क्या सरकार की ऐसी नीति है कि सोसाइटी को पहले दिया जाय और बाद में ठेकेदारों को ठेका दिया जाय ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सब ठेके सोसाइटीज़ को दिये जांय यह नीति नहीं है। कुछ सोसाइटीज़ जोकि वर्कर्स की बनती हैं उनको निश्चित रूप से मार्क कर देते हैं कि कितने कूप्स देंगे। इसलिए निश्चित तादाद में सोसाइटीज़ हैं। अगर सोसाइटीज़ ज्यादा तादाद में हैं तो उनको एप्लीकेशन्स देनी चाहिये ताकि उनका खयाल रखा जाय। बाकी सोसाइटीज़ एक अलग नियम से काम करती हैं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा -सु०) : ऐसी सोसाइटीज़ कौन कौन से इलाके में है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह अलग प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

डिस्ट्रिक्ट टोंक के बन्धों से पिलाई की आमदनी इन्वेस्टमेंट के पर्सेन्टेज से कम

१३२. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) राजस्थान में माइनर और मेजर इर्रिगेशन बांध गत दस वर्षों से कितने तैयार किये गए और कितनों की मरम्मत कराई गई ?

(२) उपरोक्त बन्धों में कितनी कितनी धनराशि की लागत हुई और सालवाइज प्रत्येक की क्या आमदनी पिलाई की हुई ?

(३) क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट टोंक में ऐसे भी बंध हैं जिनसे लागत के मुकाबले में पिलाई की आमदनी इन्वेस्टमेंट के पर्सेन्टेज से कम होती है ? अगर हां, तो किस किस ग्राम में और किन कारणों से ? तहसील वाइज़ बताई जावे।

(४) क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट टोंक में बंध मोतीसागर, दाखिया, गलवानिया टोरडी, थांवला से लागत के मुकाबले में मोरियों से पीवल कम होती है और भरे हुए रहते हैं और उनके बेड्स काश्त नहीं होते हैं ? डिस्ट्रिक्ट टोंक में ऐसे कौन कौन से बंध हैं जिनके बेड्स मोरियों के मुकाबले में काश्त होते हैं ?

(५) क्या यह सही है कि काश्तकार भी अक्सर पानी लेने से ऐतराज करते हैं ? अगर हां, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री भीखाभाई) : इस प्रश्न का उत्तर रेवेन्यू मिनिस्टर साहब देंगे क्योंकि इसका सम्बन्ध कॉलोनाइजेशन से है।

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : इसकी सूचना को इकट्ठा करने में वक्त लगेगा। आपने पूछा है कि राजस्थान में कुल कितने माइनर इर्रिगेशन वर्क्स हैं और कितनों की मरम्मत हुई है। यह हजारों की तादाद में हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इन्फोर्मेशन करेक्ट आनी चाहिए। अभी झगड़ा हुआ है।

श्री रामकिशोर व्यास : नहीं, करेक्ट ही आयेगी।

कृषि तथा लघु उद्योगों को सस्ती बिजली की उपलब्धि

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Power Minister be pleased to state :—

(a) Is it correct that the Central Government has asked the State Government to supply cheap power both to Agriculture and Small Industries ? If so, will the Govt. place a copy of the same communication on the table of the House ?

(b) Is it correct that the Central Government has offered to ive a matching grant, if the State Govt. supplied energy at a cheap rate of

(श्री पी० के० चौधरी)

Agriculture and Small Industries so as to meet the cost of supply ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री भीखाभाई) : (a) Yes Sir. Copies have been laid on the table of the House.

(b) Yes Sir, for Small Scale Industries only.

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

श्री पी० के० चौधरी : यह जो गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया का लेटर है ८.५.५६ का उसमें कहा था कि १ आ० ६ पा० की रेट्स से पर युनिट आपके स्टेट इलेक्ट्रिक अन्डरटेकिंग को स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज को सप्लाई करना चाहिए और प्राइवेट अन्डरटेकिंग को भी इसी रेट पर करना चाहिए। मेचिंग ग्रान्ट गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया देने को तैयार थी। तो इसके ऊपर आपने क्या एक्शन लिया, यानी किस रेट पर आजकल आप स्माल स्केल इन्डस्ट्री को इनर्जी सप्लाई करते हैं।

विद्युत् मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : आजकल वही है जो कि कॉमन है, ३ आना मैं आपकी सूचना के लिए अर्ज कर दूँ कि गवर्नमेंट इस बारे में कन्सीडर कर रही है।

श्री पी० के० चौधरी : किस रेट पर सप्लाई करते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : ३ आना। लेकिन गवर्नमेंट कन्सीडर कर रही है कि स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ को कन्सेशन रेट पर कर दी जाय, और मैं समझता हूँ कि १, २ दिन में आपके सामने आ जायेगा।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : क्या कारण है कि इनको चीप इलेक्ट्रिक पॉवर नहीं दी जाती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : किसी को नहीं दे रहे हैं। बराबर दे रहे हैं।

श्री पी० के० चौधरी : ५६ से ५९ हो गया। तीन साल तक एक्शन क्यों नहीं लिया ? ऑर्डर तो १९५६ के मार्च का है।

श्री रामकिशोर व्यास : हमारे यहाँ पॉवर की कमी है। काफी लोस में चलते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : एग्रीकल्चर पर्पज के लिए एनर्जी सप्लाई करने के बारे में पूछा था तो कहा गया था कि एक मिनिमम कन्जम्पशन की गारन्टी चाहते हैं, तो फिर इसके लिये क्यों एक्शन नहीं लिया गया।

श्री रामकिशोर व्यास : कन्सीडर कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही आपके सामने करेंगे।

श्री पी० के० चौधरी : It is a separate question about guarantee for minimum consumption in Agriculture. आप गारन्टी चाहते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : अभी तो आपसे कहा कि एनर्जी इतनी कम है, ज्यादा नहीं दे सकते हैं।

गायों की स्वीकृत नस्लों के आधार

१३४. **श्री भीमसेन (लूणकरणसर)** : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

Page No 14

(श्री भीमसेन)

(१) राजस्थान में गायों की कौन कौन सी नस्लें स्वीकृत हैं और उनकी स्वीकृति के क्या आधार हैं ?

(२) सरकार ने उपरोक्त नस्लों की स्वीकृति कब दी ? कृपया सरकारी स्वीकृति की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) राज्यों में प्राप्त गायों की ये नस्लें है:

(१) मेवात (५) थारपारकर (९) राठी
(२) राठ (६) गौर (१०) न्यारी
(३) नागोरी (७) मावली
(४) काकरेज (८) हारेयाना

भारत सरकार की यह नीति है कि जो पशु वंश जिन क्षेत्रों पर उपलब्ध होते हैं उन्हें उन्हीं क्षेत्रों में उन्नत किया जाय, इसलिए यह नीति राजस्थान में भी अपनाई गई है ।

(२) नस्लों की स्वीकृति का प्रश्न ही नहीं उठता । इस प्रकार की नीति राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

श्री भीमसेन : यह सरकार ने राठी को स्वीकार कब किया है ।

× × ×

श्री नाथूराम मिर्धा : जब से हमारे सारे ब्रीडिंग का क्लासिफिकेशन किया कि किस एरिया में कौन सी होती है । इसको करीब २, २॥ साल हो गये होंगे ।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : क्या सरकार द्वारा सुधरी हुई नस्लों की गायें खरीदने के लिए सहायाता दी जा रही है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : पिछली दफा १,१०० पोन्ड्स पिछले साल सेट अप किये गये थे । अच्छी गायों की नस्ल ब्रीडर्स को देने का प्रोविज़न है सी. डी. ब्लॉक से ।

जयपुर की विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं को दी जाने वाली बिजली

१३५. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): Will the Power Minister be pleased to state :—

1. Is it correct that electric energy is supplied to various Industrial Concerns in Jaipur City, viz. National Engineering Industries, Man Industrial Corporation and Jaipur Spinning & Weaving Mills ?

2. If so, at what rates the energy is supplied to each of these concerns and what is the quantum of energy supplied during the year 1958-59 to each of these firms ?

उप-मंत्री, विद्युत (श्री भीखाभाई) :

1. Yes Sir.

2. S. No.	Name of Consumer.	Rates.	Quantum of energy supplied during 58-59
1.	National Engineering Industries.	10 pies per unite upto 2,01,840 units &—/1/6 per unit thereafter.	22,07,027 Units. [

(श्री भीखाभाई)

१	२	३	४
2.	Man Industrial Corporation.	-/2/-per unit Sub. to coal clause.	5,15,418 Units.
3.	Jaipur Spinning & Weaving Mills.	-/2/-per unit sub. to coal clauses.	10,18,640 Units.

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : एनर्जी का प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है पर-युनिट ?

श्री भीखाभाई : यह अलग प्रश्न है, क्योंकि कोयले के जैसे जैसे भाव बढ़ते रहते हैं उसी हिसाब से जनरेशन की कॉस्ट बढ़ती रहती है।

श्री मोतीलाल चौधरी : स्मॉल स्केल से ३ आने का रेट लेते हैं और मान इन्डस्ट्रीज से १० पाई लेते हैं, इसका कारण क्या है ?

विद्युत मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : मैंने कहा कि पहले के एग्रीमेंट थे स्टेट के जमाने के। उसी आधार पर चले आ रहे हैं।

श्री मोतीलाल : क्या यह सही है कोयले कि कॉस्ट आफ प्रोडक्शन एनर्जी के हिसाब से ५७, ५८ और अभी तक १२ पाई है और आप सप्लाई करते हैं कम कीमत में ?

श्री रामकिशोर व्यास : कौन कहता है कि १२ पाई में देते हैं ?

श्री मोतीलाल : आपका प्रोडक्शन का कॉस्ट क्या हैं, एवरेज कॉस्ट पर-युनिट स्पेशली इन जयपुर पॉवर हाउस में क्या था?

श्री रामकिशोर व्यास : अलग अलग जगह अलग अलग हैं।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : सरकार घाटा उठाकर भी बिजली इस रेट पर सप्लाई कर रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जिस रेट पर देते हैं वह आपके सामने पेश कर दी है।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं जानना चाहता हूँ कि यह क्या हैल्दी पॉलिसी है और मोरेली ठीक है कि प्राइवेट कन्सर्न को घाटा उठा कर भी एनर्जी सप्लाई करें और स्टेट एक्सचेकर पर उसका वजन डालें ?

Is it healthy They have made some agreements Those days have away. Can't you now revise this policy ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह बिल्कुल हैल्दी है। इन्डस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए उनको चीपर रेट पर देना चाहिए। जो पहले से इन्डस्ट्रीज लगी हुई हैं और चीपर रेट्स पर जिनको पहले से एनर्जी मिलती जा रही है उनकी रेट बढ़ाना मुनासिब नहीं है। दूसरी बात यह है कि नई इन्डस्ट्री जो ले रहे हैं उनको भी चीपर रेट पर देना चाहते हैं। स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज के लिये भी सोच रहे हैं कि चीपर रेट पर दे सकें ताकि राजस्थान के अन्दर इन्डस्ट्री आ सके, और लोगों को ला सकें। हमारे यहां और प्रान्तों के मुकाबले में रेट्स ज्यादा हैं, इसलिए इन्डस्ट्री आने में दिक्कत है।

श्री जनार्दनराय नागर : यह उचित है कि इन्डस्ट्री को एन्करेजमेंट देने के लिए चीपर रेट्स पर दें लेकिन यहां पर यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि घाटा उठा कर किसी कन्जूमर को एनर्जी देते हैं तो मैं समझता हूँ और ताज्जुब करता हूँ कि गवर्नमेंट उसको हैल्दी मानती है। मैं इसको पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक एक्सचेकर की दृष्टि से अनहैल्दी मानता हूँ। कन्सेशन रेट देना अलग चीज है और घाटा उठा कर देना अलग बात है।

श्री रामकिशोर व्यास : एक तरफ नुकसान हो सकता है लेकिन जब इन्डस्ट्री लग जाती है तो दूसरी तरफ फायदा हो सकता है क्योंकि उससे और इन्कम बढ़ती है।

श्री मोतीलाल : माननीय मंत्री महोदय ने बताया था कि १२ पाई से कम है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम था जयपुर पॉवर हाउस का। तो मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जहां तक मेरी जानकारी है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे कमती रेट पर दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : स्वीकार कर रहे हैं।

श्री मोतीलाल : I want to know exact.

श्री अध्यक्ष : That figure he has not got. But he has clearly stated that even if it is lower he means to stick to that.

मारवाड़ जंकशन से लूनी जंकशन पर आनेवाली रेलगाड़ी में पकड़ी गई अफीम

१३६. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) गत वर्ष में मारवाड़ जंकशन से लूनी जंकशन पर आने वाली रेलगाड़ी में कितनी अफीम पकड़ी गई और कितने मुकदमें दर्ज हुए ?

(२) उक्त अफीम का मारवाड़ जंकशन पर न पकड़े जाने के क्या कारण हैं जब कि अफीम मारवाड़ जंकशन से होकर आती है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) सन् १९५९ में अक्टूबर के अन्त तक ४,२३१ तोला अवैध अफीम मारवाड़-जंकशन-लूनी-जोधपुर रेल मार्ग पर हस्तगत किया गया जो ३० मुकदमों से सम्बन्धित था।

(२) इन ३० प्रकरणों में से ५ प्रकरणों जिनमें ५५८ तोला अवैध अफीम हस्तगत की गई थी मारवाड़ जंकशन पर पकड़ी गई

(श्री रामकिशोर व्यास)

थी । ४ प्रकरण जिनमें १,०५० तोला अफीम सम्बन्धित थी, जोधपुर में और शेष २१ प्रकरण जिनमें २,५९३ तोला अवैध अफीम सम्बन्धित थी, लूनी जंकशन पर प्राप्त हुई थी । मारवाड़ जंकशन पर कम अफीम प्राप्त होने का मुख्य कारण यह है कि चित्तौड़ मावली से मारवाड़ जंकशनपर गाड़ी रात्रि के समय आती है और इसी ओर से अवैध अफीम लाई जाती है । इस गाड़ी में लूनी-जोधपुर के सीधे डब्बे होते हैं और इसी कारण से तस्कर व्यापारी मारवाड़ जंकशन से आसानी से बगैर पकड़े निकलते हैं । मारवाड़ जंकशन से लूनी जंकशन और जोधपुर तक गाड़ी में जो ट्रेनगार्ड सिपाही चलते हैं वे जोधपुर से ही नियुक्त होते हैं अतः उन्हें मारवाड़ जंकशन के बाद गाड़ी में तस्कर व्यापारियों पर देखरेख रखने और उन्हें पकड़ने के लिए काफी अवसर रहते हैं । गाड़ी लूनी जंकशन पर प्रातःकाल पहुँचती है और इसलिए वहां तस्कर व्यापारी अधिक कार्य रूप में परिणत हो जाते हैं और इसलिए इस रेल मार्ग पर अन्य स्थानों के बजाय लूनी जंकशन पर उन्हें पकड़ने के ज्यादा अवसर मिलते हैं ।

श्री शंकरलाल : क्या यह सही है कि सरकार के समक्ष ऐसी शिकायत है कि मारवाड़ जंकशन के रेल्वे पुलिस अधिकारी इस काम की पूरी परवाह नहीं करते, और तस्कर व्यापारियों से मिले हुए हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसी शिकायत नहीं है । वहां केसेज पकड़े भी गये हैं ।

श्री शंकरलाल : ऐसी शिकायत सरकार के सामने आई या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसी शिकायत नहीं आई ।

श्री अध्यक्ष : महाराजा श्री हुकमसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन

उदयपुर डिविजन में नियुक्त बीकानेर डिविजन के वेटेरीनेरी कम्पाउन्डर्स एवं स्टॉकमैन का अपने जिलों में तबादला

१३८. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या मंत्री, कृषि व पशु पालन विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) बीकानेर डिविजन में कुल कितने वेटेरीनेरी कम्पाउन्डर्स और स्टॉकमैन के स्थान रिक्त हैं ?

(२) उदयपुर डिविजन में बीकानेर डिविजन के देहाती क्षेत्र के कितने कम्पाउन्डर्स व स्टॉकमैन हैं ?

(३) सरकारी नीति के अनुसार उनको अपने डिविजन या जिलों में तब्दील करने के संबंध में विभाग क्या कदम उठा रहा है?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) दो स्टॉकमैन की जगह खाली है ।

(२) ७ कम्पाउन्डर स्टॉकमैन हैं ।

(३) २ अक्टूबर के बाद से इन कर्मचारियों के स्थानान्तरण के मामले पंचायत कमीशन के पास हैं ।

श्री भीमसेन : दो स्थान बीकानेर डिविजन में रिक्त हैं और जो लोग बीकानेर से बाहर काम कर रहे हैं उनको वापिस बीकानेर डिविजन में ट्रान्सफ़र करने के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मामला हमारे हाथ में नहीं है, पंचायत कमीशन के पास है।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

देसूरी तहसील में सुमेर बांध की योजना

१३९. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या पाली जिले की देसूरी तहसील मे सुमेर बांध की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(२) यदि हां, तो क्या उसकी सर्वे हो चुकी है ?

(३) इस योजना की पूर्ण जांच-पड़ताल कब तक हो जायेगी और सरकार द्वारा इसको कार्यान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री भीखाभाई) : (१)जी हां, सुमेर बांध की योजना विचाराधीन थी।

(२) प्रारम्भिक जांच हो चुकी है।

(३) प्रारम्भिक जांच के अनुसार योजना लाभप्रद प्रतीत न होने के कारण और अधिक जांच-पड़ताल करके कार्यान्वित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री शंकरलाल : क्या सरकार इस योजना को हाथ में नहीं लेगी ?

श्री भीखाभाई : जी हां।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : यहां आपने बताया लाभ के बारे में, लाभ का क्या क्राइटेरिया है, लाभ कैसे नहीं होगा ?

श्री भीखाभाई : दरअसल में इसके नीचे हेमावास बांध है, नले पर बांध बनाने का प्रस्ताव है। वहां सूटेबल साइट नहीं मिल रही है। वह नला हिली है। रोकी होने के कारण सूटेबल साइट नहीं है; वहां पर न तो बड़ा कंस्ट्रक्शन हो सकता है और न वहां केचमेन्ट एरिया ठीक हो सकता है इसलिए इसमें प्रोफिट नहीं है।

पाली जिले की माइनर व मीडियम इर्रिगेशन प्रोजेक्ट्स स्कीमों का सर्वे

१४०. **श्री मनरूपराम परिहार** (खारची-सु०) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे: —

(१) क्या माइनर व मीडियम इर्रिगेशन प्रोजेक्ट्स की स्कीमों की पाली जिले में पूरी सर्वे हो चुकी है ? यदि नहीं, तो अब तक कौन कौनसी स्कीम की सर्वे हो चुकी है और किस की होनी विचाराधीन है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) प्रत्येक स्कीम के व्यय का क्या एस्टीमेट है ?

(३) इन स्कीम में से किन किन की स्वीकृति कितनी कितनी और कब हो चुकी है व जो विचाराधीन है उन पर निर्णय कब तक ले लिया जावेगा ?

उप-मंत्री सिंचाई (श्री भीखाभाई) : १ व २. जी नहीं, अभी सर्वे हो रही है। पाली जिले में अब तक जिन सिंचाई योजनाओं की सर्वे संपूर्ण हो चुकी है और जिनकी सर्वे अभी बाकी है उनकी सूची व्यय के एस्टीमेट सहित इस प्रकार है :—

क्रम सं०	नाम स्कीम	अनुमानित लागत	विवरण
१.	सिरियारी	३,४०,०००	एस्टीमेट वापिस बनाया जा रहा है।
२.	मालपुरा का नोवास	४,२५,२००	,, ,, ,,
३.	रायपुर लूनी	८,५१,०००	,, ,, ,,
४.	डिंगोर	१,२०,९००	स्वीकृति सरकार के विचाराधीन है।
५.	काना	६,६६,४८०	,, ,, ,,
६.	लाटारा	३,२४,८००	,, ,, ,,
७.	सारन	३,५८,०००	,, ,, ,,
८.	मेवाना	३,९१,०००	,, ,, ,,
९.	रायपुर	२,९१,०००	सरकार की स्वीकृति नं० एफ. ४ (४९) इर्रिगे। ५८ दिनांक १३–३–५९ से दे दी गई है।
१०.	लास का गुढा (उन्नति)	९३,०००	सरकार की स्वीकृति नं० एफ ४ (६५) इर्रिगे। ५८ दि० ११-२-५९ से दे दी गई है।
११.	खोड	१६,००,०००	तखमीना तैयार किया जा रहा है।
१२.	गिरोलिया	९,००,०००	,, ,, ,,
१३.	पांचेटिया	३०,६००	,, ,, ,,
१४.	घनी	५१,१७०	,, ,, ,,
१५.	मादेरी का गोरा	२,३६,०००	,, ,, ,,
१६.	चाणेद	६,८८,४००	,, ,, ,,
१७.	एन्दला	२,६२,५२०	टेक्निकल जांच की जा रही है।

(श्री भीखाभाई)

१	२	३	४
१८.	वानियावास	१०,००,०००	टेक्नीकल जांच की जा रही है।
१९.	सारगदा सोमावा	१३,७६,५५०	ये योजनायें अभी स्थगित कर दी है क्योंकि इनसे जालोर में बाकली तालाब में पानी की आगत कम होने का अन्देशा है। इसकी पूरी जांच की जा रही है।
२०.	मांडीगढ़	७,००,०००	

(३) पाली जिले में निम्नलिखित योजनाओं की सर्वे विचाराधीन है :

विसलपुर, मीटरी, बालाना, सिन्दरू, बाडी नेहरा।

अभी दो योजनाओं की स्वीकृति हो चुकी है जिसकी आवश्यक सूचना ऊपर दी जा चुकी है। अन्य योजनाओं पर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

श्री शंकरलाल : एस्टीमेट्स दुबारा बनवाने का क्या कारण है ?

श्री भीखाभाई : क्योंकि टेक्निकल ऑब्जरवेशन के बाद कुल गलती मालूम हुई इसलिये एस्टीमेट्स रिवाइज किये जायेंगे।

श्री शंकरलाल : क्या यह सही है कि रायपुर के बारे में दुबारा एस्टीमेट्स बनाये जायेंगे इसका उत्तर अभी तो आप यह दे रहे हैं और पहले उत्तर यह दिया था कि उसकी सेंकशन दे दी है, दोनों में से कौनसा सही है ?

श्री भीखाभाई : दोनों की बातें सही है। पहले सेंकशन दी गई थी लेकिन टेक्निकल जांच के बाद इसे रिवाइज करना ज़रूरी समझा इसलिये रिवाइज की कार्यवाही चल रही है।

श्री शंकरलाल : एस्टीमेट के आने और वापिस होने में कितने साल लग गये हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

की विलेज सेन्टर

१४१. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) राजस्थान में पशुपालन विभाग के अन्तर्गत कितने की विलेज सेन्टर रहे हैं ?

(२) उप-संचालक, की विलेज ने किस किस सेन्टर का, कब-कब निरीक्षण किया ?

(३) उप-संचालक ने उक्त निरीक्षण पर क्या राय जाहिर की तथा उस राय पर क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) राज्य पशुपालन विभाग के अन्तर्गत १५ की विलेज सेन्टर हैं।

(२) उप-संचालक (की विलेज) के पिछले २ साल को टूर स्टेटमेंट साथ लगा है।

(३) उप संचालक की विलेज ने निरीक्षण पर जो राय दी उस पर विचार कर यथासम्भव अमल में लाने के लिए कार्यवाही की गई। विशेष विवरण साथ है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखियें)

श्री मुरलीधर व्यास : १५ की विलेज सेन्टर्स किस आधार पर रखे गए हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : क्या फर्माया ?

श्री मुरलीधर व्यास : १५ की विलेज सेन्टर्स किस आधार पर रखे गये हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जहां मवेशी ज्यादा हैं और अच्छे सांड़ों की संख्या कम है वहां रखा है।

डाकुओं के हमले से हुई हत्यायें एवं सरकार द्वारा उनकी धर-पकड़

१४२. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) अप्रेल, सन् १९५९ से लेकर आज तक राजस्थान के किन किन भागों पर डाकुओं ने हमला किया व उनके हमले से कितने लोग मौत के शिकार हुये तथा उन्होंने कहां कहां पर कितना डाका मारा ?

(२) डाकुओं को पकड़ने के लिए राज्य सरकार ने कहां कहां पर क्या-क्या कदम उठाये व इनमें से कितने डाकुओं को पकड़ा ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) अप्रेल, सन् १९५९ से लेकर १८ नवम्बर तक राजस्थान के जिन भागों पर डाकुओं ने हमला किया, जितने लोग मारे गये तथा जो सम्पत्ति लूटी गई वह इस प्रकार है:—

जिला	लूटी गई सम्पत्ति	मारे गये व्यक्ति
१. जयपुर	१५,०००	
२. जोधपुर	२,७५०	
३. अजमेर	१७,०१८, ६.०	
४. बीकानेर	३००	
५. कोटा	६७६	
६. भरतपुर	१,५०,६६१, ५.०	
७. नागौर	५७,८००	
८. जालोर	५४,५०६	
९. सवाई माधोपुर	३५,५८५	७
१०. चितौड़	२०६	
११. सिरोही	७,३५१	
१२. बाड़मेर	७००	
१३. जैसलमेर	७००	

(२) प्रमुख स्थानों पर ए. डी. एफ. की चौकियां कायम की गई हैं। धौलपुर क्षेत्र व सीमावर्ती जिलों में आर. ए. सी. से अन्य सेवाओं के साथ यह भी कार्य लिया जा रहा है। धौलपुर सब-डिवीजन में आर. ए. सी. व ए. ए. सी. की एक एक कम्पनी नियुक्त कर दी गई है। कोटा जिले में एक डी. एस.

(श्री रामकिशोर व्यास)

पी. डाकू विरोधी अभियान एवं अन्य इस प्रकार के कार्यों के लिए एक डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट को नियुक्त कर दिया गया है। इन अपराधों में ८९ डाकू पकड़े गये।

श्री मुरलीधर व्यास : जो संख्या बताई गई है उसमें रेल्वे ट्रेन्स में डाके पड़े हैं उनके नम्बर भी शामिल हैं क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : सबके होने चाहिए।

श्री मुरलीधर व्यास : रेलवे का है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : स्पेसिफिकली मैं अर्ज नहीं कर सकता। मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज बताया है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

खेतड़ी के जागीर अध्यापकों एवं कोटपुतली के अध्यापकों का फिक्सेशन

१४३. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) ठिकाना खेतड़ी के जागीर अध्यापकों में से कितनों का फिक्सेशन हो चुका है और कितनों का बकाया है ?

(२) एक ही ठिकाना के अध्यापकों में से कुछ के फिक्सेशन होने और कुछ के बकाया रहने के क्या कारण हैं ?

(३) क्या यह भी सही है कि तहसील कोटपुतली में भी कुल अध्यापकों का फिक्सेशन बहुत शीघ्र हो गया और कुछ का ५ वर्ष होने आये पर नहीं हुआ, इसका क्या कारण है ?

(४) क्या यह भी सही है कि बिरला स्कूल को १९५२ से सरकार ने संभाला था ?

(५) क्या यह भी सही है कि करीब सात वर्ष हो गये फिर भी उक्त स्कूल के अध्यापकों का अपग्रेडिंग और फिक्सेशन नहीं किया गया है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) ९६ अध्यापकों का फिक्सेशन हो चुका है। ७४ अध्यापकों का बाकी है।

(२) ७१ केसेज में महालेखापाल, राजस्थान ने आपत्ति उठाई है। उसकी कार्यवाही की जा रही है।

१. केस लाइब्रेरियन, खेतड़ी का है जिसका फिक्सेशन नहीं हुआ क्योंकि लाइब्रेरी को राज्य सरकार ने नहीं लिया।

२. केसेज अतिरिक्त शिक्षाध्यक्ष के कार्यालय में विचाराधीन है।

(३) कोटपुतली में अभी किसी भी अध्यापक का फिक्सेशन नहीं हुआ क्योंकि महालेखापाल ने आपत्ति उठाई है जिसको दूर करने की कार्यवाही की जा रही है।

(४) जी हां।

(५) अध्यापकों का पे फिक्सेशन तो नहीं हुआ है परन्तु इनमें से कुछ अध्यापकों को वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नत कर दिया है।

Page No 23

श्री रामकरणसिंह : महालेखापाल ने जो आपत्ति उठाई, वह किस कारण से उठाई है और कब उठाई है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है ।

श्री रामकरणसिंह : एक ठिकाना है, सबका एक जगह रिकॉर्ड है, फिर भी ६६ का फिक्सेशन हो जाना और ७४ का बकाया रहना, इसका क्या कारण है ?

श्री पूनमन्द बिश्नोई : अलग अलग केसेज में एतराज होते हैं, कुछ में खामी नहीं रही वे हो गये और कुछ में एतराज रहे ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : महालेखापाल ने दो वर्ष पहले आपत्तियां उठाई थीं, उनका जवाब आपके यहां से नहीं मिला है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने निवेदन किया कि कब आपत्ति उठाई, उसकी तारीख नहीं है ।

श्री रामकरणसिंह : ६६ टीचर्स खेतड़ी तहसील के और कोटपुतली के ७४ टीचर्स हैं । खेतड़ी के पूरे पूरे टीचर्स के स्टेटमेंट में कोई कमी न रहना और कोटपुतली के किसी अध्यापक का फिक्सेशन न होना, इसका क्या मतलब है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : फिक्सेशन करने में कोई टेकनीकल गलती रह गई होगी। जिन्होंने खेतड़ी का स्टेटमेंट बनाया होगा, वे होशियार होंगे और कोई कमी न रही हो ।

श्री रामकरणसिंह : १९५२, १९५४ से आप रिप्लाई दे रहे हैं और मुख्य मंत्री जी भी कह चुके हैं कि बहुत जल्दी हो रही है, कमियां दूर की जा रही हैं । फिर भी महालेखापाल ने जो आपत्ति उठाई वह दूर नहीं हो सकी ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं खुद महसूस करता हूँ । इसमें देर हो रही है । इसमें ताकीद करके मैं लिखूंगा और चाहूँगा कि जल्दी ही फैसला किया जाय ।

श्री रामकरणसिंह : मेरा अर्ज करना यह है कि इतना लेट....

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

श्री रामकरणसिंह : हो रहा है और वायदा किया है, यह होते हुए भी यह पूरा नहीं हो रहा है क्या इसके लिए कोई डेट फिक्स की जा सकती है ।

श्री अध्यक्ष : और वायदा कर रहे हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास ।

ग्राम के निकट गंभीरी नदी पर पुल बांधा जाना

१४४. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :-

(१) जिला चित्तौड़गढ में बनाये गये गंभीरी बांध पर सरकार का कुल कितना व्यय हुआ ?

(२) गंभीरी बांध की योजना को कार्यान्वित करने से पूर्व इस बांध द्वारा कितनी भूमि सिंचाई की जाने का अनुमान था तथा इस बांध से कितनी भूमि हर वर्ष सिंचित होती है ?

(श्री मुरलीधर व्यास)

(३) क्या उक्त बांध के निर्माण के फलस्वरूप तहसील निम्बाहेड़ा के ग्राम केलो के निकट गंभीरी नदी में अधिक पानी भरा रहने से वहां नदी पर पुल बांधे जानेकी कोई सरकारी योजना थी ?

(४) यदि हां, तो क्या कृषकों की असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार इस नदी पर शीघ्र पुल बनाने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री भीखाभाई) : (१) ३०. ८. ५९ तक कुल ४४. ०५. लाख रु० खर्च हुए हैं।

(२) सम्पूर्ण विकास के बाद इस योजना से १३,५०० एकड़ भूमि की सिंचाई का अनुमान है। इस बाँध से १९५६ से जो आंशिक सिंचाई हुई वह निम्न प्रकार है :—

सन् १९५६	१, ०३६ एकड़
सन् १९५७	३, ४४५ एकड़
सन् १९५८	४, ६४४ एकड़
सन् १९५९	२, ४०० एकड़

सिर्फ सितम्बर तक।

(३) पहले ऐसी कोई योजना नहीं थी पर अब विचाराधीन है

(४) जी हां। विचाराधीन है।

श्री मुरलीधर व्यास : भाग दो में आपने उत्तर दिया है कि कुल १३ हजार एकड़ जमीन सींची जायगी। तो इसके अन्तर्गत वह कितने साल सींची जायेगी, यह कुछ पता है क्या ?

श्री भीखाभाई : नॉर्मली जो है, एक योजना का १० साल में पूर्ण विकास होता है।

श्री अध्यक्ष : Are yon sure that this figure will reach even after 10 years ? Can you assure the House ?

श्री भीखाभाई : I think so Sir !

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : आपने बताया कि सन् १९५७ में ३४४५ एकड़ जमीन की सिंचाई हुई, १९५८ में ४६४४ एकड़ की सिंचाई हुई और १९५९ में ३४०० एकड़ की। इसमें कमी किस कारण से हुई ?

श्री भीखाभाई : कमी नहीं, हुई बढ़ी है। दरअसल सन् १९५८ में ४६४४ एकड़ ज़मीन की सिंचाई हुई और १९५९ के अभी तक के आंकड़े दिये गए हैं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : यह प्रोजेक्ट क्या इकोनोमिकल है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

भाखरा नहर क्षेत्र योजना के अन्तर्गत आनेवाले गांवों के व्यक्तियों की जमीन के तबादले

१४५. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :— भाखरा नहर क्षेत्र योजना के अन्तर्गत आनेवाले गावों में निम्न तरीके पर किन किन व्यक्तियों के कुल कितनी ज़मीन के तबादले किन किन कारणों से मंजूर किये गये तथा किन किन कारणों से अस्वीकृत किये गये :—

(श्री भीमसेन)

१. एक ही गांव की जमीन के तबादले,

२. एक गांव से दूसरे पड़ोस के गांव में,

३. एक गांव से किसी अन्य दूर के गांव में,

४. एक गांव से दूसरी तहसील में।

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री भीखाभाई) : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब देंगे अपनी टर्न पर। यह उत्तर हमारे से सम्बन्धित नहीं है।

श्री भीमसेन : वह इर्रिगेशन डिपार्टमेंट से सम्बन्धित है।

श्री भीखाभाई : लैंड कॉलोनाइजेशन से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री महादेव प्रसाद, इकोनोमिस्ट, बॉटेनिस्ट

१४६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ता० १८-८-५९ को श्री महादेव प्रसाद, इकोनोमिस्ट, बॉटेनिस्ट को आस्ट्रेलिया कृषि प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है?

(२) क्या यह भी सही है कि उनका रिटायरमेंट मार्च, १९६० में हो रहा है?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या १९५९ में रिटायरमेंट नहीं होने वाला है?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : कब होने वाला है?

श्री नाथूराम मिर्धा : सन् १९६५ में।

श्री अध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

भरतपुर जिले में पड़े डाके एवं पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या गृहमंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

१. पिछले ६ महिनों में भरतपुर जिले में कहां कहां और कितने डाके पड़े हैं?

२. उक्त डाकों में पृथक पृथक कितना धन लूटा गया?

३. पुलिस उन डाकुओं द्वारा लूटे हुए कितने धन-माल को बरामद करने व कितने डाकुओं को पकड़ने में सफल हुई है?

४. उक्त डाकों से प्रभावित क्षेत्रों की जनता में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

गृहमंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : १ व २. भरतपुर जिले में पिछले ६ महिनों में जहां डाके पड़े तथा सम्पत्ति लूटी गई वह इस प्रकार है:—

(श्री रामकिशोर व्यास)

क्र. सं.	स्थान	लूटी हुई सम्पत्ति
१.	नगला होलीपुर	—
२.	फूलपुरा	५,६२०
३.	नगला चमारान	२,०००
४.	उज्जैन रोड़	१,२००
५.	माधोपुरा	२,५००
६.	फरसा	७,२१२
७.	मढ़ोला	२,०००
८.	सोगर	—
६.	चिलचोड़	५१,६८०
१०.	पिपहेरा	८३,६६८
११.	सिद्धपुरा	२,०००
१२.	अचलपुरा	३,२६२

३. डकैतियों में लूटे गये माल कीमती १,६१,५०२ रु० में से २,६८७ रु० का माल प्राप्त हो चुका है। १५ डाकू गिरफ्तार हो चुके हैं और दो डाकू मारे गये हैं।

४. प्रजा की सुरक्षा के लिए प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय पुलिस व स्पेशल आर. ए. सी. फोर्स मुख्य मुख्य स्थानों पर नियत कर दी गई है।

श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी : क्या जो कुछ माल डकैती में लूटा गया है, उसमें से जितना बरामद हुआ है, क्या इसे आप संतोषजनक प्रगति मानते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं।

श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी : फिर सरकार ने क्या किया ? जो माल लूटा गया उसको बरामद करने के लिए क्या किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : डाकुओं को पकड़ते हैं, वे उससे पहले माल उड़ा देते हैं, खर्च कर देते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : यह कहा जाता है कि राजस्थान में डाकुओं का सफाया हो गया, तो क्या ये डाकू नये आ जाते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : पड़ौस से आ जाते हैं ?

श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी : १५ डाकू पकड़े गये, तो कितने डाकुओं ने डाका डाला था ?

श्री रामकिशोर व्यास : अलग अलग सवाल है, किस डाके में कितने आदमी शामिल होते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह

अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड में पेन्शनयाफ्ता वर्क, चार्जड मुलाजिमों की नियुक्ति का आधार

१४८. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

१. अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के वर्तमान सैक्रेट्री कौन हैं ?

२. अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड में वर्क चार्जड कौन कौन मुलाजिम पेन्शनयाफ्ता हैं ? इनकी नियुक्ति किस आधार पर की गई ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : १. अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के वर्तमान सेक्रेट्री श्री समर्थराज, कृषि संचालक,

(श्री नाथूराम मिर्धा)

राजस्थान हैं।

२. अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड में कोई भी व्यक्ति पेन्शनयाफ्ता मुलाजिम नहीं है।

प्रश्न संख्या १४९

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरणदास

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १५०

श्री शिवचरणदास।

(अनुपस्थित)

श्री धर्मपाल पंवार।

अदालत मुन्सफी, भादरा में जुडिशियल लॉक अप की कमी

१५१. **श्री धर्मपाल पंवार** (नोहर सु.) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

अदालत मुन्सफी, भादरा को जब कि १ अगस्त, १९५८ से प्रथम दर्जा मजिस्ट्रेट की शक्तियां पदत्त हैं वहां अभी तक जुडिशियल लॉक-अप क्यों नहीं बनाया गया है ?

गृह-मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : फन्ड्स उपलब्ध न होने की वजह से भादरा में नया जुडिशियल लॉक-अप अभी तक नहीं बनाया जा सका है। उचित कार्यवाही की जा रही है।

श्री धर्मपाल पंवार : कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : तारीख नहीं बता सकता।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीभानसिंह।

भरतपुर जिले में ट्रेक्टरों की खरीद के लिये दिया गया ऋण

१५२ **श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : will the Minister for Agriculture be pleased to state;

How many persons were given loans in Bharatpur District for the purchase of tractors since the formation of Rajasthan till the year 1958 ? Please give their names with parentage amount and also their tractors registration numbers against each name .

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) - ६८ व्यक्तियों को कर्ज दिया गया था। उनकी सूची मय आवश्यक जानकारी के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिए)

श्री श्रीभानसिंह : जिन आदमियों ने ट्रेक्टर पर्चेज नहीं किये, उनके अगेन्स्ट गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नियम के अनुसार कार्यवाही की गई।

श्री श्रीभानसिंह : नियम के अनुसार कार्यवाही कर रहे हैं लेकिन १९५७ में जो लिस्ट दी थी, उसमें उस व्यक्ति के लिए बताया आपके डिपार्टमेंट ने कि उसने ट्रेक्टर पर्चेज कर लिया है।

(श्री श्रीभानसिंह)

That was certified by the Department and the tehsil and in 1959 your same department gives the information that he has not purchased the tractor. So in between 57 and 59 he sold the tractor or he has purchased the tractor. ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कौनसे व्यक्ति के लिए बता रहे हैं।

श्री श्रीभानसिंह : आप देखिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : किस व्यक्ति के लिए बात कर रहे है।

श्री श्रीभानसिंह : आप देखिये। नॉट पर्चेज्ड के अन्दर नाम लिख रखा है।

Shri Pushkar Singh at No. 10.

श्री नाथूराम मिर्धा : श्री सुरेन्द्रकुमार ?

श्री श्रीभानसिंह : श्री पारासरसिंह ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कितने नं० पर है

श्री श्रीभानसिंह : नं० १०

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : अब भी उत्तर चाहते है आप ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें लिखा हुआ है नॉट पर्चेज्ड, और आप क्या चाहते हैं ?

श्री श्रीभानसिंह : नहीं अध्यक्ष महोदय, १६५७ में मैंने आपके डिपार्टमेंट से प्रश्न पूछा था, उसमें लिखा हुआ है : "The tehsildar has certified that the gentleman has purchased the tractor out of the loan." In order to un earth this tractor loan mystry, I have tabled three questions successively. और ३ में डिफरेंट रिप्लाई दिया और ५६ में यह जवाब देते है that he has not purchased the tractor. ५७ में यह सर्टिफाई करते हैं : That the Tehsildar has certified that he has purchased the tractor and the make of the tractor is Gaiter.

श्री नाथूराम मिर्धा : ट्रेक्टर पर्चेज करने की कई स्टेजेज हैं। एक आदमी ट्रेक्टर पर्चेज करने के लिये लोन लेता है तो आधा पैसा उसे घर से लगाना पड़ता हैं और आधा पैसा सरकार देती है। इसके पहले उसको कई कार्यवाहियां करनी पड़ती हैं। अभी आधा रुपया कम्पनी में जमा करवाता है और जमा कराने के बाद सर्टिफाई कर देते हैं कि इस कम्पनी का ट्रेक्टर है, इस मेक का ट्रेक्टर है, ऐसा भी हो जाता हैं कि उस कम्पनी से सारी कार्यवाही पूरी होने के समय तक उस मेक का ट्रेक्टर अवेलेबल नहीं होता है और जिस मेक का सर्टिफाई किया गया है वह ट्रेक्टर नहीं आ सकता है तो अलग-अलग स्टेजेज पर अलग-अलग कार्यवाही होती है। अगर ट्रेक्टर हाथ नहीं आता है तो जिन लोगों ने जिस पर्पज के लिये लोन लिये हैं और पैसा उन पर्पजेज में खर्च नहीं किया गया है तो उन हर एक केसेज में नियमों के अनुसार पूरी रकम मय ब्याज के वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : पर्पजेज की डेफिनेशन कुछ भी हो पर ५७ में यह इत्तिला दी गई कि पर्चेज किया था और अब कहा जाय कि नोट पर्चेज्ड........

Page No 29

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मुझे याद नहीं है कि किस समय क्या जवाब दिया था ....

श्री अध्यक्ष :You take note of this please. This is a very serious thing. पहली बात यह है कि गलत इत्तिला दी गई और दूसरे दो साल हो गये वसूली नहीं की गई।

श्री नाथूराम मिर्धा : पहले क्या जवाब दिया गया था मुझे पता नहीं, मुझे बताया जाय कि क्या जवाब दिया गया था।

श्री श्रीभानसिंह : ५१-५२ में लोन दिया है और ५७ में सर्टिफाई किया जाता है - by the Tehsildar or the Head of the department whoever he may be at Bharatpur that he has purchased the tractor and he also gave its make. And in 1959 you say that he has not purchased the tractor.

श्रीनाथूराम मिर्धा : इस बारे में जो अलग-अलग जवाब दिये हैं वे मुझे बताइये, मैं पूरी जानकारी कर लूंगा और एक्शन लेने की जरूरत होगी तो एक्शन लूंगा।

प्रश्न संख्या १५३

श्री अध्यक्ष : श्री अनोपसिंह।

(अनुपस्थित—कृपा आगे देखिये)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

भरतपुर जिले की क्षतिग्रस्त सड़कों का जीर्णोद्धार

१५४. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) भरतपुर जिले में गत वर्ष की वर्षा ऋतु में कितनी और कौन कौन सी सड़कें टूटी या खराब हुई थी ?

(२) उनमें से अब तक कौन कौन सी सड़कों की मरम्मत की गई ?

(३) क्या उक्त सड़कों की मरम्मत या दुरुस्ती के लिये साधारण बजट ही पर्याप्त समझा है अथवा उसके लिये कोई विशेष धन की व्यवस्था की गई है ?

(४) क्या सरकार ने यह जानकारी प्राप्त कर ली है कि उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों के सर्वाङ्गीण सुधार के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) सूची प्रस्तुत है।

(२) सम्पूर्ण सड़कों की साधारण मरम्मत की जा चुकी है।

(३) जी नहीं। १,२५,००० रु० की धनराशि रेन डेमेज ग्रान्ट से रखी गई है।

(४) जी हां। ६,८८,४०० रु० का तखमीना लगाया है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : आपने फरमाया कि सम्पूर्ण सड़कों की साधारण मरम्मत की गई, तो साधारण मरम्मत से क्या तात्पर्य है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यही तात्पर्य है कि

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जहां से वर्षा के कारण अथवा और कारणों से टूट जाय वहां रेती डाल कूल कर काम में आने लायक बनाई जाय।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी: आपने लिस्ट दी है, २२ सड़कों के नाम देते हुए बताया है कि साधारण मरम्मत की गई है पर भरतपुर-जयपुर सड़क पर १८ वें मील पर कोई मरम्मत नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष: साधारण मरम्मत के माने यह भी हो सकते हैं कि बिलकुल साधारण मरम्मत जो नज़र न आ सके।

(हंसी)

श्री नाथूराम मिर्धा: आप बाणगंगा से थोड़ा आगे की बात कर रहे हैं? वहां मोटरें चलती हैं गिट्टी पड़ी हुई है थोड़ा सा टुकड़ा रह गया है दो तीन फर्लांग का, उसको पक्का मेटल का करने की कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी: नहीं, प्रश्न यह है कि साधारण मरम्मत भी नहीं हुई है, सिवाय इसके कि थोड़ी थोड़ी गिट्टी कहीं कहीं डाल दी गई है और मेरा यह चैलेंज है कि साधारण मरम्मत भी नहीं हुई है।

श्री नाथूराम मिर्धा: मरम्मत नहीं हुई है तो मोटरें कैसे चलती हैं?

श्री अध्यक्ष: गिट्टी डालना भी साधा- मरम्मत में आ जाता है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी: वैसे तो बरसात के समय में भी मोटरें तो चलती ही थीं। १,२५,००० की धनराशि रेन डेमेज ग्रान्ट्स में रखी गई पर खर्च कुछ भी नहीं हुई है।

श्री नाथूराम मिर्धा: खर्च नहीं हुई तो मरम्मत कैसे हुई है?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी: मरम्मत नहीं हुई है।

श्री नाथूराम मिर्धा: मरम्मत बराबर हुई है और जहां जहां मरम्मत हुई है वह सारी जो मैंने लिस्ट दी है, उसमें लिखा हुआ है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी: लिखा है पर केवल गिट्टी ही पड़ी हुई है, मरम्मत नाम की कोई चीज नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट। श्री भैरोंसिंह।

पुलिस विभाग में खरीदे गए तापक (Heaters)

१५५. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पुलिस विभाग में गत दो वर्षों में तापक (Heaters) खरीदे गए थे? यदि हां, तो कब तथा कितने और किस कीमत के?

(२) ये तापक किस कार्य के लिए तथा कितने-कितने वॉल्टेज के खरीदे गए थे?

(३) इनका पेमेंट कब किया गया तथा इनको कौन सी तारीख को रिसीव किया, किस तारीख को रिसीव करना चाहिये था तथा इनकी खरीद के लिये कब और किस प्रकार से ऑर्डर किसके द्वारा दिया गया?

(श्री भैरोंसिंह)

(४) क्या यह सही है कि इन तापकों पर १,००० वॉल्ट के होने के लेवल लगे हुए थे?

गृह-मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां, १७ हीटर ३५ रु० प्रति हीटर एवं साधारण टैक्स की दर से फरवरी, १६५६ में खरीदे गये।

(२) ५ हीटर पुलिस हैड क्वार्टर्स के अफसरों एवं उनके कर्मचारियों के प्रयोग के लिए एवं १२ पुलिस रेडियो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठंड से बचने के लिये खरीदे गये। ये प्रत्येक २,००० वाट के थे।

(३) ५ हीटर जो पुलिस हैड क्वार्टर्स के लिये थे उनका पेमेंट ऑर्डर बैंक को दि० २२-३-५६ को एन्डोर्स कर दिया गया एवं १२ पुलिस रेडियो ऑर्गेनाइजेशन के लिए थे २०-३-५६ को एन्डोर्स कर दिया गया। उन्हें १७-२-५६ को जिस दिन वे प्राप्त होना चाहिए थे प्राप्त हुए ऑर्डर आई. जी. पी. द्वारा दिनांक ७-२-५६ को यह उल्लेख करते हुए दिया कि रूम रिफलेक्टर, टाइम हीटर प्रत्येक २,००० वाट के इंगलिश रोड के ऑर्डर प्राप्त होने के दिन से १ सप्ताह के अन्दर सप्लाई किये जावें।

(४) जी हां, हीटरों पर सभी प्लेट्स १,००० वाट्स की थीं किन्तु वास्तव में ये प्रत्येक २,००० वाट्स के थे।

श्री भैरोंसिंह : यह रिसीव करने की तारीख कौन सी थी?

श्री रामकिशोर व्यास : १७ फरवरी।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह समझा जाय कि रिसीव करने के बाद में यह सारा पेमेंट किया गया २० मार्च को?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां, २० मार्च को बैंक को एन्डोर्स किया। फरवरी में रिसीव हुआ, मार्च में पेमेंट हुआ।

श्री भैरोंसिंह : फरवरी ५६?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : तो यह समझा जाय कि रिसीव करने के एक महीने बाद पेमेंट किया?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : यह किसने टेस्ट किया कि २,००० वॉल्टेज के हैं?

श्री रामकिशोर व्यास : सेंट्रल पर्चेज़ कमेटी है उसने एग्ज़ामिन किया, इसके अलावा एक्सपर्ट्स ने भी जांच की कि दो रोड्स लगी हुई हैं एक एक हज़ार की।

श्री भैरोंसिंह : क्या खरीद करते समय और रिसीव करते समय लिखित सूचना दी है कि तुम्हारे हीटर्स पर लेबिल लगा हुआ है उसके अनुसार कमेटी को महसूस होता है कि ये केवल एक हजार वॉल्टेज के हैं?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो नहीं कह सकता पर राइटिंग में हमारे पास है कि ये दो-दो हजार वॉल्टेज के हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मिट्ठनलाल की मृत्यु का विवरण

१५६ **श्री मूलचन्द डागा (पाली) :** क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर

(श्री मूलचन्द डागा)

देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अक्टूबर, १६५६ में पुलिस थाना रामगंज, जयपुर ने श्री मिठनलाल को गिरफ्तार किया था ?

(ख) यदि हां, तो उसको किस जुर्म के अन्तर्गत गिरफ्तार किया और उसकी इत्तिला सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को कब दी ?

(ग) क्या उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो कब, कैसे और किस जगह ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी नहीं । रामगंज पुलिस ने श्री मिट्ठन लाल को गिरफ्तार नहीं किया था।

(ख) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

(ग) तारीख ८-१०-५६ को श्री मिट्ठनलाल व श्री गोपीचन्द की पार्टी में रामगंज थाने के सामने झगड़ा हुआ जहां से श्री मिट्ठनलाल को थाने पर लाया गया । जैसे ही वह थाने की सीढ़ियों पर चढ़ा बेहोश हो गया । उसको फौरन शफाखाने भेजा गया जहां पहुंचते ही उसकी मृत्यु हो गई ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी) : थाने में लाया गया या गया था ?

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द ।

श्री मूलचन्द डागा : इस मामले में किसके-किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां, हुआ है, मुकदमा चालान भी हो गया है ।

श्री मुरलीधर व्यास : उसे बुलाया गया था या थाने में वह खुद गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपस में झगड़ा था ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह बताने की....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री श्रीभानसिंह ।

श्री मुरलीधर व्यास : आप सप्लीमेंटरी भी नहीं करने देते........

श्री अध्यक्ष : जी नहीं , इस पर कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते, चालान कर दिया गया है, अदालत में अन्डर ट्रायल है ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं इस पर नहीं पूछ रहा हूं मैं तो पूछ रहा हूं कि वह साइकिल पर गया था ....

श्री अध्यक्ष : जो पूरे फैक्ट्स थे मुकदमे के हो सकता है वे इस मुकदमें के मुतल्लिक अदालत में इश्यू हों ।

नेक्स्ट

कोटा फोरेस्ट स्कूल

१५७ **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या मंत्री, वन विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देंगें:—

(१) कोटा फॉरेस्ट स्कूल के पासशुदा विद्यार्थियों को किस पद पर तथा किस ग्रेड में फिक्स किया गया है ?

(२) क्या इन व्यक्तियों को इनकी वेतन की वार्षिक वृद्धि समय पर मिल रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) कोटा फोरेस्ट स्कूल के जिन विद्या-

(श्री दयाकृष्ण विजय)

र्थियों ने रेन्जर कोर्स पास किया है क्या उन्हें यह कॉन्ट्रेक्ट फार्म भरना पड़ा था कि उन्हें पांच साल तक रेन्जर के स्थान पर सेवा करनी पड़ेगी तथा उन्हें रेन्जर की ग्रेड दी जावेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार कोटा स्टेट के द्वारा किये गए उक्त कॉन्ट्रेक्ट का पालन कर रही है ?

(४) क्या यह सही है कि अभी सन् ५९ में वन विभाग ने फॉरेस्टर्स की जो प्रमोशन की लिस्ट निकाली है उसमें कोटा ट्रेन्ड फोरेस्टर्स को कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है ?

वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) सबोर्डिनेट सर्विस में कुछ को रेन्जर कुछ को डिप्टी रेन्जर और कईयों को फॉरेस्टर के पद पर निम्नलिखित ग्रेड में :—

रेन्जर १००-५-१३० ई. बी. १०-२००

डिप्टी रेन्जर ५०-४-९० ई. बी. ५-१२०

फॉरेस्टर ४०-२-६०

(२) जिनका पे फिक्सेशन हो गया है उनको वार्षिक वेतन वृद्धि मिल रही है, जिनका फिक्सेशन नहीं हुआ है उनको नहीं मिल रही है।

(३) कोटा स्कूल से रेन्जर कोर्स किसी ने पास नहीं किया इस कारण प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) जी हां। प्राथमिकता किसी को नहीं दी गई। सर्विस और काम के रेकॉर्ड के आधार पर प्रमोशन दिये गये।

श्री दयाकृष्ण विजय : यह आपने कहा कि किसी को रेन्जर, किसी को डिप्टी रेन्जर और किसी को फ़ोरेस्टर बनाया गया। मैं यह निवेदन करूंगा कि एक ही स्कूल से पास होने वाले लोगों को अलग-अलग पद देने का क्या कारण है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : राजस्थान का इन्टीग्रेशन हुआ उसके पहले कोटा में ट्रेनिंग होती थी और वे लोग ट्रेन्ड थे और जिस समय इन्टीग्रेशन हुआ उस समय उनको जिस जिस पद पर जिस जिस के लिये सुटेबिल थे इन्टीग्रेशन किया गया।

श्री दयाकृष्ण विजय : एक ही स्कूल के पास।

श्री अध्यक्ष : अब समय नहीं है। नेक्स्ट

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में नगरपालिका भरतपुर के पेंडिंग मामले

१५. **श्री श्रीभानसिंह (बयाना)** : Will the Minister for Home be pleased to state :—

How many cases of Bharatpur Municipal Board are pending for finalisation before the Anti-Corruption Department ?

Have any of them been challaned in the courts ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) भ्रष्टाचार विरोधी विभाग द्वारा भरतपुर नगरपालिका के ६ अभियोग पंजीबद्ध किये गये थे। जिनमें से तीन पेंडिंग है।

(२) ६ अभियोगों में से तीन का न्यायालयों में चालान कर दिया गया।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : ये ६ कौन व्यक्ति थे।

श्री अनोपसिंह (बालोत्तरा) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या १५३ बहुत इम्पोर्टेन्ट था और बहुत दिनों से मैं इसकी इन्तज़ार कर रहा था।

डॉ० बहादुरसिंह : ये ६ अभियोग किन किन पर थे।

श्री रामकिशोर व्यास : चिरन्जीलाल कन्हैयालाल, गनपतसिंह, महेशचन्द्र आदि

डॉ० बहादुरसिंह : क्या महेशचन्द्र इस समय मौजूदा म्युनिसिपल चेयरमैन हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। प्रश्न संख्या १५३।

सेड़वा पुलिस थाने के हैड कॉन्स्टेबिल श्री रायसिंह सोढा की मृत्यु में सम्मिलित अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही

१५३. **श्री अनोपसिंह** (बालोतरा) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या जिला बाड़मेर के सेड़वा पुलिस थाने का एक हैड कॉन्स्टेबिल श्री रायसिंह सोढा की जोधपुर अस्पताल में मृत्यु हो गई ?

(२) क्या मृतक का डाइंग डिक्लेरेशन लिया गया ? यदि हां, तो वह क्या था ? उसने किन-किन शख्सों को इस अपराध में शामिल बताया ?

(३) अपराधियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया ?

गृह मंत्री (**श्री** रामकिशोर व्यास) :

(१) जी हां, चौकी जाड़पा, थाना बाड़मेर का कॉन्स्टेबिल श्री रायसिंह अपनी चोटों से महात्मा गान्धी अस्पताल, जोधपुर में मर गया।

(२) जी नहीं। डाइंग डिक्लेरेशन नहीं लिया जा सका क्योंकि महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर में अपनी मृत्यु तक वह बेहोश रहा।

(३) सिपाही की हत्या से सम्बन्धित पांचों अपराधियों का एस. डी. एम. बाड़मेर की अदालत में चालान कर दिया गया है।

श्री अनोपसिंह : उनके क्या क्या नाम हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : उनके नाम तो मेरे पास नहीं हैं ?

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : क्या इसमें कोई फरार भी हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है ?

श्री अनोपसिंह : क्या इसमें वहां के जो भूतपूर्व एम. एल. ए. थे वे भी शामिल हैं ?

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : जब आपने उनके चालान किये हैं तो उनके नाम तो अवश्य होंगे। आप उनके नाम तो बता ही सकते हैं।

श्री अनोपसिंह : उसकी मृत्यु किस कारण से हुई....

श्री अध्यक्ष : उनके चालान अदालत में हो चुके हैं इसलिए इस पर बहस नहीं हो सकती।

Page No 35

श्री श्रीभानसिंह : यह तो पूछ ही सकते कि जिन-जिन के चालान किये उनके नाम क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष : अगर उनके पास नाम हैं तो बता दें।

श्री रामकिशोर व्यास : "One Ahmed was arrested on this and that date, one other was arrested on this date..."

No other information is available with me.

श्री अनोपसिंह : यह क्यों मारपीट की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो अदालत तय करेगी। पुलिस ने चालान कर दिया है।

एक माननीय सदस्य : उसका पोस्टमार्टम किया गया ?

श्री अनोपसिंह : पुलिस को काफी समय मिला था उसका डाइंग डिक्लेरेशन लेने का उसको सेड़वा से बाड़मेर लाया गया था और बाड़मेर से फिर जोधपुर लाया गया। यह काफी समय था इस समय में उसका डाइंग स्टेटमेंट कभी भी लिया जा सकता था।

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें छुपाने की कोई बात पैदा नहीं होती क्योंकि पुलिस का खुद का आदमी था जो मेरा था।

श्री रावराजा श्री सरदारसिंह (उणियारा) : पोस्टमार्टम कराने से पता लग सकता था। जब पुलिस का खुद का आदमी था तो भी आपने पोस्टमार्टम नहीं कराया।

श्री अध्यक्ष : जांच करके चालान किया है।

श्री रामकिशोर व्यास : पुलिस ने चालान किया है। आप नाम जानना चाहते हैं तो नाम तो मेरे पास नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

१२. १८. म. प.

पूर्वी बंगाल से आये हुए लोगों के पुनर्वास सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

एक स्थगन प्रस्ताव पूर्वी बंगाल से आये हुए लोगों के पुनर्वास के हेतु श्री दयाकृष्ण विजय द्वारा भेजा गया है। इसके बारे में पहले भी प्रश्न सदन में आये थे। लेकिन आज प्रस्ताव समय पर नहीं आया और न मैं उचित समझता हूँ कि यह प्रस्ताव इतने महत्व का है जिससे कि सदन के पूर्व निश्चित कार्य को स्थगित किया जावे और इसको लिया जावे। अतः इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान नहीं करता।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह एक, दो परिवारों का प्रश्न नहीं है। १५० परिवार हैं उनको छोड़ दिया गया है। वे दरवाजे पर आये पड़े हुए हैं। उनके लिए बैलों की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। वे प्रदर्शन कर रहे हैं। मगर उनके लिए, कोई इन्तजाम नहीं हो रहा है और यह कहा जाता है कि यह महत्व का प्रश्न नहीं है। यह तो बहुत महत्व का प्रश्न है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये। आज से नहीं काफ़ी अर्से से उनका प्रश्न हल नहीं किया जा रहा है। ६ महीने पहले कोटा दशहरे में कहा गया

(श्री दयाकृष्ण विजय)

था कि बैल दिलाओ मगर नहीं दिलाये गये। जब तक इस पर विचार नहीं होगा....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

श्री दामोदर लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावक ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें दो तीन पोइन्ट रखे हैं। पहला रिफ्यूजी को बैल नहीं दिलाये। दूसरा यह कि उनको लोन नहीं दिया गया और तीसरी बात यह है कि कुछ वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के बारे में कम्पलेन्ट है।

मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कह देना चाहूँगा कि बैलों के खरीदने का जहां तक प्रश्न है वहां तक सीतापाड़ी के मेले में जो बैल आये वे आम तौर से ज्यादा कीमत के थे। बैलों को खरीदने के लिए आम तौर से २००)रु० या २५०)रु० दिये जाते हैं मगर बैल इतनी कीमत के थे कि वे खरीदे नहीं जा सके। उन्होंने जो बैल पसन्द किये वे इतनी कीमत के थे कि खरीदे नहीं जा सकते थे। इसलिये वे यह चाहते थे कि उनको रुपया नगद दे दिया जावे ताकि वे खुद बैल खरीद लें। मगर पिछला अनुभव जो रुपये देने का है यह बतलाता है कि उनको जो पहले रुपये दिये गये थे उनको उस काम में नहीं लिये जिनके लिये दिये गये थे। और बैल उस कीमत में आ नहीं सकते थे। सरकार ने उनके लिए बैलों के खरीदने का इन्तजाम किया है और वह यह है कि बांरा में हटवाड़े से एस. डी. ओ. और तहसीलदार द्वारा उनको बैलों के जोड़े मिल जावेंगे। इसके अलावा जहां तक मिस्टर बेनर्जी की शिकायत का सवाल है, एस. डी. ओ. बांरा को उसकी इन्क्वायरी के लिये मुकर्रर कर दिया गया है। वे इसकी इन्क्वायरी कर रहे हैं। जब इसकी पूरी इन्क्वायरी हो जावेगी और रिपोर्ट आएगी उस पर एक्शन लिया जावेगा। लोन के प्रश्न के संबन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट को लिखा गया है। वहां से आने पर इसका भी प्रबन्ध हो जायेगा।

मैं यह कहना चाहता हूँ, कि बार बार माननीय सदस्य इसके बारे में कहते हैं कि उनको तकलीफ है, मगर जहां तक मेरी जानकारी है और मेरे को सूचना अधिकारियों से मेरे दफ्तर की मार्फत मिली है उनकी यही शिकायत गलत मालूम होती है। मैं खुद इस कॉलोनी की जांच करने के लिए और शिकायतों को सुनने के लिये एनकरीब जानेवाला हूँ। उस समय सदस्य भी वहां उपस्थित रहेंगे और मुझे सूचना देंगे।

१२.२० म० प०

राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, १९५८

(अग्रेतर—खण्डशः विचार विमर्श)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान टिनेन्सी छठा संशोधन विधेयक पर बहस। कल क्लॉज़ ३ की धारा ३० सी पर बहस समाप्त हो गई थी। मन्त्री महोदय बहस का उत्तर देंगे। इस विधेयक के बारे में जो अब नई व्यवस्था है वह इस प्रकार है : कल सदन की कार्यवाही नहीं होगी और सोमवार को इसका तृतीय वाचन करने का जो निर्णय किया गया था उसको सोमवार को न करके मंगलवार को करेंगे। सोमवार की शाम तक क्लॉज़ बाई

(श्री अध्यक्ष)

क्लॉज़ डिस्कशन पूरा हो जावेगा और मंगलवार का पूरा दिन तृतीय वाचन के लिए मिलेगा।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अभी काफी संशोधन बाकी हैं इसलिए हर एक सेक्शन पर समय निर्धारित कर दें ताकि निश्चित समय पर बहस समाप्त हो सके। उसके बाद ३० डी आवेगा। मैं समझता हूँ कि ३० सी के उत्तर के बाद ३० डी लिया जावे और उस पर बहस ३ बजे तक समाप्त हो जाय, फिर उस पर मन्त्री महोदय उत्तर दे दें और उसके बाद दूसरे सेक्शन्स ले लिये जावें। अगर आपकी अनुमति हो तो ऐसा कर लिया जाय?

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग आज है और इसी में समय का निर्धारण कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : इसके लिए तो तीन बजे तक का समय निर्धारित कर लिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : तीन बजे तक यह चलता रहेगा और उसके बाद बिजनेस–एडवाइज़री कमेटी का निर्णय मिल जावेगा।

श्री अध्यक्ष : ऐसा भी हो सकता है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री): 'What will happen?

श्री अध्यक्ष : इस सारे बिल के सेक्शन्स को ब्रेक–अप करके बिजनेस एडवाइज़री कमेटी में तय कर लेंगे कि सोमवार को कितने घन्टे इसके लिए दिये जावेंगे और आज किस तरह से इसको चलाया जावेगा। फिर उसी हिसाब से बहस रेगुलेट कर दी जावेगी। आज इसका उत्तर दे दें।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल क्लॉज़ ३० सी पर अमेन्डमेंट पेश हुए थे। मैं उन पर जवाब दे रहा था तो मैंने उस समय अर्ज किया था कि वास्तव में राजस्थान में सीलिंग कितना होना चाहिये इसके ऊपर काफी माननीय सदस्यों ने विभिन्न विचार प्रकट किये हैं।

कुछ माननीय सदस्यों का तो यह कहना है कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ सीलिंग रखी है वह और भी ज्यादा होनी चाहिये। ३० स्टेन्डर्ड एकड़ है उसमें अलग अलग अमेन्डमेन्ट्स माननीय सदस्यों ने पेश किये हैं और उनको अगर एनेलाइज़ किया जाय तो उनमें से एक बात तो यह है कि जो सीलिंग बिल में शिड्यूल रखा गया है उसका सुधार कर दिया जाय। दूसरा यह है कि बयाना से आये हुए माननीय सदस्य ने नया ही शिड्यूल दिया है और इसको इन्सर्ट करने के लिए इकरार किया और कहा कि पहले से ही कम जमीन है। उसका क्या आधार है? किस तरह से उसको वर्क आउट किया है यह मैं नहीं समझ सका हालांकि बताया कि प्रोडक्टिव केपेसिटी को देखते हुए और प्रेशर ऑफ पोपुलेशन ऑन लैंड को देखते हुए और बहुत सारी बातों को देखते हुए उन्होंने इसको बनाया है। उनका एक शिड्यूल है। यह मैंने समझने की काफी कोशिश की लेकिन मैं समझता हूँ कि राजस्थान की दृष्टि से सीलिंग इम्पोज़ करने के लिए वह उपयुक्त नहीं है। कारण अभी अर्ज करूंगा।

तीसरा अमेन्डमेंट है वह फुलेरा से आये हुए

(श्री दामोदरलाल व्यास)

माननीय सदस्य का है जिन्होंने एक नया फॉर्मुला रखा है। यह ठीक है कि जहां इर्रिगेटेड लैंड ज्यादा है, पेरेनियल इर्रिगेटेड है वहां दिक्कत नहीं है । उसको कन्वर्टेबिल डिफरेन्ट सोइल में रखा है वह ठीक हो सकता है और दूसरी स्टेट्स ने भी इसको एडोप्ट किया है लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि यह फॉर्मुला भी राजस्थान में ठीक नहीं बैठता है ।

एक फॉर्मुला यह भी आया है कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ रखा है और जहां १० मन गेहूँ एक एकड़ के लिए रखा है वहां २० मन गेहूँ पैदावार का कर दिया जाय। इसका मतलब यह है कि सीलिंग डबल हो जावेगी। एक यह भी है कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ के बजाय ३००) के लगान की एक जमीन रख दी जाय। इसके अलावा एक प्रोपोजिशन है कि १५,२० और ३० से नीचा रखा जाय तो मतलब यह है कि ओरिजनल बिल में शिड्यूल था उसको रखा जाय। एक यह है कि लोअर बेसिस पर रखा जाय, दूसरा १५, २० रखा जाय और तीसरा यह है कि हाइयर बेसिस पर रखा जाय और उसके लिए अलग अलग फॉर्मुले दिये हैं ।

मैं यह अर्ज करूंगा कि राजस्थान में सीलिंग किस हिसाब की होनी चाहिये और कैसी उपज होनी चाहिये ? इसके लिए सलेक्ट कमेटी मुकर्रर हुई और उसने अपनी रिपोर्ट दी। बिल पेश किया और सलेक्ट कमेटी ने काफी सोच विचार कर रिपोर्ट दी। तो क्या कारण थे और क्यों सलेक्ट कमेटी ने फॉर्मुला डिस्कार्ड किया, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जहां तक शिड्यूल देने का सवाल है माननीय सदस्यों ने समाजवाद के नाम पर और दूसरे नाम पर काफी कुछ कहा लेकिन हर एक जगह कितने स्टेन्डर्ड एकड़ आ जावे यह तो मालूम होना चाहिये। मैंने पहले ही अर्ज किया था कि शिड्यूल लगे, यह पोसिबल नहीं है। मैंने पहले भी अर्ज किया था और जैसा कि हर एक तहसील में आप देखेंगे कि विभिन्नता है। कहने को तो कह दिया जाय कि हर एक तहसील में एरिया मुकर्रर कर दिया जाय ३०, ६०, १५०), डिफरेन्ट सोइल की जमीन है, फिर भी मुकर्रर कर दिया। आप राजस्थान की किसी भी तहसील को ले लीजिये तो आपको उसमें डिफरेन्ट काइन्ड्स ऑफ सोइल मिलेगी और एक तरह की जमीन प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से भी नहीं मिलेगी। जहां इर्रिगेटेड और अनइर्रिगेटेड का सवाल है राजस्थान में अनइर्रिगेटेड ज्यादा है बनिस्बत इर्रिगेटेड के। इसलिए हमारी लैंड की पॉलिसी को इर्रिगेटेड एरिया पर बेस करना पड़ेगा। इसी तरह से हर एक तहसील को ले लीजिये कितनी किस प्रकार की सोइल है। जो दस्तावेज़ हैं उनको देखने से भी आपको मालूम हो सकता है चाहे किसी भी तहसील के सैटलमेंट को ले लीजिये उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल किसी में ७ है, किसी में ८ और किसी में १० है। उसके आधार पर हर एक तहसील का सर्किल मुकर्रर करते हैं और उसका आधार यह है कि प्रोडक्टिव केपेसिटी अलग अलग होती है। एक बारानी जमीन किसी एरिया में है। वहां पर यह स्थिति है कि कहीं तो सात मन, दस मन पैदा हो जाता है और कहीं पर सात सेर और दस सेर होता है। किसी तहसील में आपके हिसाब से ५० एकड़ जमीन मुकर्रर कर दी जाय तो किसी के अच्छी

(श्री दामोदरलाल व्यास)

बारानी जमीन आ जावेगी जिसमें १० मन, १२ मन पैदा होता है और किसी के ऐसी जमीन भी आ जावेगी जिसमें कि केवल १० सेर, १२ सेर ही एकड़ से पैदा होगा। एक मिकदार हर तहसील वाइज़ मुकर्रर कर दी जाय तो बजाय इसके कि सामाजिक न्याय करें अन्याय ज्यादा होगा। जिन लोगों के पास खराब जमीन है उनको मुश्किल से १।४ आमदनी होगी। बजाय उनके कि जिनके पास अच्छी जमीन चली जावेगी। इसलिए इसके लिए एक स्टेन्डर्ड नहीं हो सकता कि एक एरिया मुकर्रर करके कह दे कि खराब है, चाहे मीडियम प्रोडक्शन हो और अच्छा प्रोडेक्शन हो। मैं कहता हूँ कि यह तरीका नहीं हो सकता और यह इक्वटेबल भी नहीं हो सकता और इसी बेसिस पर सलेक्ट कमेटी ने इसको रिजेक्ट किया। सैटलमेंट एक्सपर्ट्स को बुलाया और डिफरेन्ट प्रोडेक्टिविटी और केपेसिटी ऑफ सोइल को देखते हुए इस नतीजे पर पहुंचे कि यह फॉर्मुला इक्विटेबल नहीं है और यह पोसिबल नहीं है कि हर तहसील में एक एरिया मुकर्रर कर दें। उसके लिए एक स्टेन्डर्ड मुकर्रर करना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि सोशल जस्टिस करना चाहते हैं तो जो लैंड का सीलिंग मुकर्रर करें वह इक्विटेबल होना चाहिये और जमीन रखने के लिए होनी चाहिये और इसी बेसिस पर फ़ॉर्मुला को डिस्कार्ड किया था।

मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि किसी भी तहसील को ले लीजिये; माननीय सदस्य ने जो शिड्यूल पेश किया है और सीलिंग कमेटी द्वारा जो शिड्यूल पेश किया गया था उसको भी मिला लीजिये उसमें बहुत से ऐसे केसेज मिलेंगे जिसमें Village to Village, field to field, soil में डिफरेन्स मिलेगा। इसको हम मान लेते हैं तो इससे क्या होगा कुछ को तो खराब से खराब जमीन मिल जायेगी जो अनइकोनोमिक होल्डिंग हो सकता है और बहुत से लोगों को अच्छी से अच्छी जमीन मिल जायेगी। यह फॉर्मुला राजस्थान में किसी भी तरह से एप्लाई नहीं हो सकता और न देश के किसी भी भाग में एप्लाई किया गया है। कई जगह सीलिंग बिल्स पास हो गये हैं, कई जगह सीलिंग बिल लाये जा रहे हैं किसी में भी इस प्रकार के फॉर्मुला को इन्ट्रोड्यूस नहीं किया गया है....

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : क्या आप यह बता सकते हैं कि ऐसे कौन से ग्राम हैं....

श्री दामोदरलाल व्यास : I don't want to be interrupted please. If you want to ask anything, you please ask me in the end.

यह कोई तरीका नहीं है आप जो कुछ भी पूछना चाहें उसके लिये मैं आपको संतोष दिलाने की कोशिश करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि माननीय सदस्य मुझे इन्टरप्ट न करें।

अब जो दूसरा तरीका है जो माननीय सदस्यों ने बताया कि रेन्ट को बेसिस मान कर सीलिंग मुकर्रर किया जाना चाहिये। इस चीज़ को भी हमने एग्ज़ामिन किया था भिन्न भिन्न जगहों के सैटिलमेंट ऑफिसर्स को बुला करके वहां के कागजातों की जांच करवाई जैसा कि कहा गया कि रेन्ट बेसिस पर सीलिंग लागू किया जाय इस सम्बन्ध में यह विदित हुआ कि राजस्थान की स्थिति में ऐसी विभिन्नता,

Page No 40

(श्री दामोदरलाल व्यास)

डिस्पेरिटी है कि रेन्ट कभी भी उसका बेसिस बन नहीं सकता। मैं आपको उदाहरण की तौर पर बताऊं आप चाही जमीन के लगान को ही ले लेजिये। चाही ज़मीन नम्बर ए० का जयपुर सिटी सर्किल में लगान ४० रुपया प्रति बीघा है जब कि उसी प्रकार की चाही भूमि का लगान बूंदी के एरिया में ४॥) रुपये तक का है। यह मैंने आपको इसलिये बताया कि इनका मिजान किसी भी तरह से बैठ नहीं सकता। कुछ एरिया तो ऐसा है कि जिसका सेटलमेंट तीस साल पहले हो गया था और कहीं का अभी अभी हुआ है इस तरह से रेन्ट के हिसाब से काफी फर्क है। चाही ज़मीन का जहां जयपुर सिटी सर्कल में ४० रुपया प्रति बीघा लगान है वहां सवाई माधोपुर में चाही का लगान १५ रुपये है और बूंदी तहसील में पांच, छः और साढ़े चार हैं और इसी तरह से कोटा में जायेंगे तो यही लगान मिलेगा। नान्दोई तहसील में १९ रुपये, सीकर तहसील में ९ और १० रुपये मिल जायेगा। ४० से लेकर ९,१०, ५ और ४॥ रुपये तक का लगान है इसको सीलिंग का बेसिस कैसे बनाया जा सकता है?

इसी प्रकार बारानी जमीन को ले लीजिये। बारानी के लगान की हाइएस्ट रेट झुंझुनूं डिस्ट्रिक्ट को है। वहां पर ४॥ से पांच रुपया फी एकड़ तक लिया जाता है। इसके मुकाबले चुरू डिस्ट्रिक्ट में छः आना और पांच आना बीघा लगान है। गंगानगर में बारानी का उतना ही लगान है। जयपुर और कोटा डिस्ट्रिक्ट का कहीं रुपया, कहीं दो रुपया, कहीं तीन रुपया तक भी है। नागोर में १ से ६ रु०तक मिलेगा। बाडमेर में जायेंगे तो चार पैसे और पांच पैसे हैं। लगान की इतनी भिन्न भिन्न दरें हैं उसका कारण यह है कि अलग अलग स्टेट्सन में किसी का सेटलमेंट पहले हो गया था किसी का बाद में और लगान की दरें इतनी भिन्न भिन्न हैं, चाहें वह बारानी की ले लीजिए चाहे चाही की ले लीजिये अलग-अलग जगह भिन्न भिन्न भिन्न दरें हैं। इसको लगान का बेसिस मानना बिल्कुल नामुमकिन है। अगर इसको बेसिस मानकर सीलिंग इम्पोज कर दिया जाय तो जहां हम सोशियल जस्टिस कायम करना चाहते हैं वहां अन्जस्टिस हो जायेगा। इससे बहुत से लोगों को बहुत सारे एडवान्टेजेज मिल जायेंगे और जिनके खराब जमीन हाथ आयेगी उनको हालत बहुत खराब हो जायेगी। कई जगह ऐसा भी है कि वाटर रेट और लैंड रेवेन्यू दोनों शामिल हैं। इनको अलग करने में काफी अर्सा लगेगा। कहीं बन्दोबस्त बहुत पहले हो चुका है तो कहीं कल बन्दोबस्त हुआ है। लगान और सोइल में काफी फर्क है।

१२. ३२. म. प.

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसलिए लगान को आधार मान कर हम सीलिंग कायम नहीं कर सकते।

तीसरी बात यह है कि सीलिंग हम लागू करना क्यों चाहते हैं, यहां हमारे सीलिंग का कारण क्या है? माननीय सदस्यों ने भी महसूस किया है कि सीलिंग हम इसलिए कायम कर रहे हैं ताकि सोशियल जस्टिस कायम हो। लैंड का समान वितरण करना चाहते हैं। एक आदमी के पास तो १५ हजार बीघा ज़मीन है और दूसरे पास के एक एकड़ भी

Page No 41

(श्री दामोदरलाल व्यास)

ज़मीन नहीं है। इस प्रकार की जो असमानता है वह हम मिटाना चाहते हैं....

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : (के बोलने हेतु खड़े होने पर--)

श्री दामोदर लाल व्यास : मैंने आपका तो नाम लिया नहीं।

Why do you invite attention of the House to you ? I never said anything about you. There are so many other people.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): आपने पन्द्रह हजार का नाम लिया इसलिए ये बोलने खड़े हुए थे।

श्री दामोदर लाल व्यास : There are so many people जिनके पास पन्द्रह, बीस हजार बीघा से भी ज्यादा है। यह कहने पर मुझे यह मालूम नहीं हुआ कि रावराजा साहब क्यों खड़े हो गये।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैंने सवाल पूछा था उनका गलत जवाब दिया था इसलिए खड़ा हुआ था।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : आपने बोलते बोलते अंगुली उस तरफ कर दी थी इसलिये वे खड़े हुए थे।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने तो आपकी तरफ की थी क्योंकि बीकानेर में ज्यादा ज़मीन है इसलिए कर दी थी। हमारा सीलिंग लगाने का उद्देश्य यह है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो और लोगों के पास इतनी जमीन हो जिससे वे अपना लिविंग स्टेन्डर्ड ठीक रख सकें। लिविंग स्टेन्डर्ड को ध्यान में रखते हुए पांच आदमियों की फेमिली का भरण-पोषण अच्छी तरह से हो सके। हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉवरटी नहीं करना चाहते हम उन लोगों का स्टेन्डर्ड समान स्तर पर लाना चाहते हैं जिनके पास जमीन नहीं है, जो लैंडलैस है और सीलिंग उतना ही रखना चाहते हैं जितना लिविंग स्टेन्डर्ड अच्छी तरह मेन्टेन कर सकें, किसान अपनी फेमिली का अच्छी तरह से गुजारा कर सके, उसके खाने-पीने, रहन-सहन की समस्या न हो ये सब बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। केवल यह बात नहीं कि हमारे यहां लैंडलैस लेबर की संख्या इतनी है और इतनी जमीन हमारे पास है इसको बराबर बराबर बांट दिया जाय यह कोई उचित सोल्यूशन नहीं है। मगर हमको यह सोचना पड़ेगा आखिर जब हम सीलिंग मुकर्रर करना चाहते हैं वहां हमें कोई आधार तो मुकर्रर करना होगा। इन्कम की बेसिस को आधार मानें तो भी एक तहसील से दूसरी तहसील में वह आधार नहीं रह सकता क्योंकि विलेज टू विलेज और फील्ड टू फील्ड सोइल डिफ्रेन्ट हो सकती है। यह भी कहा गया कि पोपुलेशन की बेसिस पर जमीन को वितरण कर दी जाय। हमने सीलिंग कमेटी में इस बारे में काफी विचार किया। १४ सिटिंग्स इसकी हुई उसमें इन सब बातों पर विचार किया और सब विचार के बाद प्रेजेन्ट फॉर्मुला है उसको ही हमने ठीक समझा और इसको एडोप्ट किया। किसी माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि इसमें जो ३,६०० रुपये की इन्कम रखी है वह एक प्रकार से ग्रॉस इन्कम के रूप में आती है।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इसको ग्रॉस इन्कम के रूप में मानना बिल्कुल गलत है। इसके लिए हमको यह देखना होगा कि किसान अपनी जमीन पर किस तरह से प्रोडेक्शन करता है। एक एकड़ में १० मन के हिसाब से तीस एकड़ का ३०० मन हो गया और उसको आपने १२ मन रुपये के हिसाब से केलकुलेट कर लिया इस तरह से उसकी आमदनी आपने ३,६०० रुपया मान ली। लेकिन १२ रुपया मन का भाव कहीं भी नहीं है। चौदह रुपया तो स्टेट ट्रेडिंग का भाव है और लास्ट ईयर तो १६, १७ रुपये मन का भाव रहा है। अगर अपन स्टेट ट्रेडिंग के प्राइस से भी इसको मानें तो ४,२०० रुपया पड़ता है मगर इसके साथ में हम यह न भूल जायें कि सारी जमीन के अन्दर किसान गेहूँ ही गेहूँ बोयेगा, वह बाजरा भी बो सकता है, जवार भी बोता है, मक्का भी बोता है। हमेशा वह काश्त के लिए अपनी जमीन का प्लानिंग करता है। उसमें देखते हैं कि इतने में गन्ना बोना है, इतने में कॉमर्शियल क्राप्स, इतने में गेहूँ इतने में खरीफ़ क्राप और इतने में रबी क्राप करनी है और किसान ज़मीन का भी फ्रेज प्रोग्राम बनाकर प्लान के हिसाब से चलता है। इस तरह इसमें ४,२००)रु० नहीं काफी आमदनी होगी। फिर इन्टेन्सिव कल्टीवेशन के लिये भी और उसे आगे तरक्की देने की भी काफी आइन्दा गुंजाइश है।

Once a ceiling is always a ceiling. Ceiling is not a continuous process.

इसमें फिर कोई ऐसी रोक नहीं कि बस इस तरह का इम्प्रूवमेन्ट अपनी ज़मीन में करना चाहें तो नहीं कर सकें। इसके लिये यह कहना कि ३,६००) रु०पर सीलिंग लगा रहे हैं यह गलत है। ३० स्टेन्डर्ड एकड़ नियत करने में इसको ध्यान में रखा है हमने। आप ऑल इण्डिया में भी देखेंगे तो वहां भी सीलिंग मुकर्रर करने में ये ही फैक्टर्स देखे जाते हैं कि इतनी ज़मीन कम से कम रखी जाय जिसे पांच आदमियों की एक फेमिली आसानी से पर्सनल कल्टीवेशन से, पर्सनल मेहनत से काश्त कर सके। यह सबसे पहला फैक्टर गिना है। उसे फेमिली होल्डिंग भी कहा है। प्लानिंग कमीशन का भी ऐसा ही सुझाव है। सरकार ने इसे स्वीकार किया है। उससे तीन गुना रखा है। यह सीलिंग जो हम कर रहे हैं यह मेक्सिमम लिमिट है। जब यह करते हैं तो यह भी ध्यान में रख कर किया है कि कल फेमिली में पांच की जगह सात भी मेम्बर हो सकते हैं, कुछ खर्चा घर का बढ़ सकता है किसान का। पर साथ साथ यह भी हमने ध्यान रखा है कि इसके साथ साथ इन्टेन्सिव कल्टीवेशन और अच्छे बीज, खाद वगैरह से वह इम्प्रूव भी कर सकता है और इससे आमदनी भी बढ़ सकती है। इससे अधिक पर बगैर हार्ड लेबर के और पांच आदमियों की एक फेमिली अकेली काश्त नहीं कर सकेगी।

यह ३० स्टेन्डर्ड एकड की बात कई जगह मिलेगी। मैंने कई जगहों के एरिया वर्क आउट करके भी देखा है। इससे काफी जमीन लोगों के पास रहेगी और इससे अपना लिविंग स्टेन्डर्ड भी वे बढ़ा सकेंगे। आखिर हमारे सामने एक ध्येय है। गरीबों में बंटवारा नहीं करना है। आखिर बेसिस हमारा गरीबी का बांटना नहीं है। सोशियल जस्टिस करते हुए वे अपना एक पर्टीकुलर स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग मेन्टेन कर सकें, यह हमारा ध्येय है। इसलिये मेरे कहने का आशय यह है कि ३,६००)रु०की जो बात कहीजा

(श्री दामोदरलाल व्यास)

रही है वह गलत है। अलग अलग सीजन में हिसाब लगायेंगे तो ३,६००) और ४,२००) से ज्यादा आमदनी आवेगी बशर्ते कि पूरी प्लान के साथ खेती की जावे। इसलिये ३,६००)रु० को ग्रॉस इन्कम की धारणा गलत है। ३,६००)रु० की नैट इन्कम की बात करें तो मैं मान सकता हूँ। यह भी बहुत हीं कन्जर्वेटिव से कन्जर्वेटिव स्टेटमेन्ट को मान कर चलें तो वर्ना तो ज्यादा आना चाहिये। पर ग्रास इन्कम ३६००) की बात आप नहीं कह सकते हैं। आप किसी भी खेत पर ज़मीन का हिसाब लगा कर देख लीजिये।

अलवर, भरतपुर को देखिये। मैं मानता हूँ बहुतों ने देखा होगा, वहां भी यह नहीं है तो ३६००) की बात टीक नहीं है।

इसके अलावा जो यह कहा जाता है कि हमारे यहां ज़मीन बहुत है और इसलिये हमें इतनी छोटी जमीन पर सीलिंग मुकर्रर नहीं करना चाहिये। इस बारे में मैं भी अर्ज करूंगा और बहुत से सदस्य हमारे ही स्टेटिस्टिक्स से आंकड़े लेकर कहते हैं और कोशिश करते हैं कि जितने लैंडलैस टिनेन्टस हैं उन सबके हिस्से में डेढ़ सौ, सौ सवा सौ के करीब आ सकती है और इस बात को लेकर कोशिश करते हैं यह बताने की कि सीलिंग को हाई लेवल पर ले जावें तो मैं नम्रतापूर्वक अर्ज करूंगा, पहले भी मैंने बताया था कि वास्तविक स्थितीक्या है। जहां तक जमीन का सम्बन्ध है जरा आप अगर इसको देखेंगे इस फिगर्स को तो टोटल जोग्राफिकली ग्रॉस ८ करोड़ ३६ लाख एकड़ जमीन है कुल। इसमें से अनकल्चरेबल २.१६ लाख हैं। आप हिसाब लगाते हैं। उस पर मैं अर्ज करुगा। अब बाकी रह जाती है कल्चरेबल ६,२० लाख एकड़। इसमें से ४ करोड़ ६० लाख एकड़ ऑक्यूपाइड एरिया है। बाकी रह जाता हैं १,३० लाख एरिया। यह ४,६०लाख एकड़ भूमी जो है वह ओकूपाइड है ओकूपाइड कल्टीवेटेड लैंड है ३७ लाख। बाकी हमारे पास कल्चरेबल फेलो लैंड ही रह जाती है १,६० लाख। अब आप १,३० लाख that is unoccupaied culturableland इसमें से ८० लाख डेजर्ट की ज़मीन है और ऐसी ज़मीन का भाग है जहां डिमान्ड नहीं है प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऐसी है जो इकोनोमिक नहीं है और जहां कोई काश्तकार खेती करने के लिये तैयार नहीं है। अब १,३० में से ८० लाख निकल गया तो ५० लाख एकड़ ज़मीन रहती है जो अनऑकूपाइड फेलोलैण्ड है। अब पचास लाख में से लगा लीजिये। मैं कई चीजों को अनेलिसिस कराकर अर्ज कर रहा हूँ ऐसे कैसेज हैं इसमें isolated and scattered small pieces of land, 2 acres or 3 acres neighbouring other fields. जिनको अलॉट कर सकते हैं उसके जो नैबर फ़ील्ड वाले हैं उसी को अलॉट कर सकते हैं और किसी को नहीं कर सकते क्योंकि दो दो तीन तीन खेतों के बीच में एक आध डेढ़ दो एकड़ के करीब खाली है उनको देना है। वे आसपास वालों को ही अलॉट हो सकते हैं। इस तरह का यह ५० पर्सेन्ट एरिया है। इसमें से यह पचास पर्सेन्ट एरिया निकाल देते हैं तो २५ लाख एकड़ ज़मीन बचती है जो एसा है जिसको हम कल्चरेबल अनऑकूपाइड एरिया कह सकते हैं। उसमें से पांच लाख एकड़ ऑलरेडी अलॉट कर दिया है ५७ और ऑन वर्डस बाकी रहा ....

श्री मुरलीधर व्यास : (बीकानेर सिटी) बाकी २५ लाख किस इलाके का रह गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो पहले ही इलिमिनेट करके मैंने कह दिया कि डेजर्ट इलाके का तो निकल ही गया।

श्री मुरलीधर व्यास : यह किस इलाके का है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका मतलब है पच्चीस जिलों के अलग अलग फिगर्स दूं। That is not possible. But when I am making a statement in the Assembly, I am supposed to give correct information that I have collected from the State land Records. If you want information regarding any particular district, I will be glad to give you. But at the moment I don't have that-

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : On a point of clarification, Sir. जो पहले सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट..........

श्री दामोदरलाल व्यास : I am just finishing Sir I have submitted that I should not be disturbed You ask me at the end. पांच लाख अलॉट करने के बाद बीस लाख बची। इस बीस लाख में से ५० पर्सेन्ट पूअर क्वालिटी की ज़मीन है। इसलिये यह कहना कि हमारे राजस्थान में ज़मीन इतनी है यह ठीक नहीं है। यह इन फिगर्स से साफ हो जावेगी। We have a strong case for imposing of ceiling इसके साथ आगे लैंडलैस पर्सन्स हैं उनकी मिकदार को देखेंगे तो आप देखेंगे-४ लाख, ८६ हजार सन् ५८ की सेन्सेस के अनुसार फेमिलीज हैं। इसके अलावा Holdings below one acre:-4,32,000 acres. Holdings from $2\frac{1}{2}$ acre to 4 acres :- 4,47,000."

तो इस तरह से कुल मिला कर १८ लाख ऐसे लोग हैं जिनको स्मॉल होल्डर्स कह सकते हैं.......

श्री मुरलीधर व्यास : क्या ४ लाख फेमिलीज़ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पर्सन्स कह रहा हूँ। इधर मैं आपको ज़मीन का हिसाब बता देता हूँ। बाडमेर के लिए मैं कहूंगा कि कल एक माननीय सदस्य ने कहा कि ज़मीन इतनी है कि जहाँ लैन्ड पर प्रेशर है वहाँ की पॉपुलेशन को मूव कर दिया जाये। जैसे कि ट्रेन में भर कर भेज देंगे। बहुत आसानी से कह दिया। जहाँ प्रेशर ज्यादा है और ज़मीन कम है तो उनको बाडमेर भेज दिया जाये। यह प्रेक्टिकल नहीं है और देखने की बात तो यह है कि हम कानूनन कितना कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अर्ज करूंगा कि प्रेशर ऑफ लैन्ड देखने के लिए चन्द डिस्ट्रिक्टस का हिसाब मैं आपके सामने पेश करूंगा जिससे मालूम होगा कि कहाँ पर ज़मीन की क्या हालत है और कितनी ज़मीन अवेलेबल है और वहाँ पर कितने लैंडलैस पर्सन्स हैं। अलवर को लीजिए। इसमें आप देखेंगे कि Un-occupied culturable land available for allotment : 10,904 acres. और इसके अन्दर फॉरेस्ट एरिया भी इन्क्लुडेड है। अब नम्बर ऑफ Landless persons as reported by the Collector in 1958 is 37,264. १०,००० एकड़ ज़मीन है और ३७,००० पर्सन्स लैन्डलैस हैं। जो कि हमने सन् १६५८-५६ में सेन्सस किया था उसके लिहाज से यह चीज निकलती है। इसी तरह से भरतपुर में ३६,००० एकड़ ज़मीन मिल सकती है

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इन्क्लूडिंग फॉरेस्ट वगैरह और यहाँ पर ७७,७५० लैन्डलैस पर्सन्स हैं। इसी तरह से झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में १९,३०८ एकड़ ज़मीन है और इसके अन्दर वह सारी ज़मीन जिसको जोड़, बीड़ वगैरह सब कहते हैं। क्योंकि उसको अभी तक सेप्रेट नहीं किया गया है और जैसा मैंने कहा था कि किस तरह की ज़मीन निकाली जानी चाहिए वह मैं दो डिस्ट्रिक्ट्स का हिसाब और बतलाऊंगा। उसमें सीकर को देखें तो मालूम होगा कि ४३,००० एकड़ ज़मीन है और वहाँ पर ९,००० लैन्डलैस पर्सन्स हैं। जयपुर में ३,५०,००० एकड़ ज़मीन मिल सकती है और ३४,००० लैन्डलैस पर्सन्स हैं। इसके अन्दर अलग मौके के ऊपर बहुत से स्केटर्ड प्लॉट्स हैं वे निकल जाते हैं और अनप्रॉडक्टिव जमीन निकल जाती है। इस तरह से यहाँ ज़मीन ३,५०,७५४ एकड़ है उसमें से जयपुर डिस्ट्रिक्ट का सेन्सस करवाया उसको अगर आप देखें तो १,६५,००० ज़मीन ही अलॉटमेन्ट के लिए रहती है। That is the position.

अब तो अलग अलॉटमेन्ट के लिए ज़मीन मिल सकती है वह That is 1.65,000 acres. According to the figures collected from the Tehsil it is 1,66,177 acres. और लैन्डलैस पर्सन्स ४३,८२१ हैं। सन् १९५८–५९ की सेन्सस से अब उसके अन्दर से area not available for cultivation such as डोल, बंजर इसमें से ४५,००० एकड़ ज़मीन तो ऐसी निकल गई जो कि कल्चरेबल नहीं है। अब बाकी की ज़मीन रह जाती है 1,20,000 acres.

Area with plots of 50 acres or more: 20,000 acres.

Area with plots of less than 10 acres: 60,000 acres

Area with plots of 10 to 50 acres: 40,000 acres.

यह कुल ज़मीन अलॉटमेन्ट के लिए मिलती है वह १,२०,००० एकड़ है। जहाँ रेकार्ड के अन्दर ज़मीन है वह है ३,६५,००० एकड़ उसमें से जिस तरह का हिसाब मैंने बताया scattered pieces which can not be allotted to anybody and nobody is prepared to take them उन सबको निकाल दें तो ३,६५,१०० में से सिर्फ १,२०,००० एकड़ ज़मीन मिलती है। यह तो एक डिस्ट्रिक्ट का एनेलेसिस है और उसी बेसिस पर आप देखेंगे कि अनऑकुपाइड कल्चरेबल लैन्ड है उसमें जो हिसाब उसका दिया उसके बाद में एक्चुएली हमारे पास ज़मीन उतनी नहीं है कि हम लैण्डलैस पर्सन्स को एकोमोडेट कर सकें। स्मॉल होल्डर्स को तो छोड़ दिया जाये। उनके लिए मैंने कहा है कि उनका केस तो वहाँ कन्सीडर करेंगे जहाँ कि सरप्लस लैण्ड है और जहाँ लैण्ड है small holders will be considered only then. यह पोज़ीशन हमारी लैण्ड की है। इसलिए यह कहना कि सीलिंग हायर लेवल पर होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। हमें हमारी लैण्ड की पोज़ीशन देखनी पड़ेगी और साथ ही लैण्डलैस की पोज़ीशन भी देखनी पड़ेगी और साथ ही साथ स्मॉल होल्डर्स की पोज़ीशन को भी देखनी पड़ेगी। इसलिए हायर सीलिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप यह कहें कि जितने भी आदमी हैं उनको लैंड पर बसाना चाहते हैं तो मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कि जहां सोशियल जस्टिस के नाम से ज़मीन लेते हैं तो हम उन लोगों के साथ अनजस्टिस नहीं करना चाहते जिनसे ज़मीन लेने की सोच रहे हैं और जिनके पास ज्यादा ज़मीनें हैं। हम चाहते हैं कि उनका स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग भी ठीक रहे और वह और उनकी फेमिली अच्छी तरह से रह सके। बाकी जमीन उन्हीं लोगों से ली जाये जो कि पर्सनली कल्टीवेट नहीं कर सकते और जो कभी इधर और कभी उधर बेचते हैं और जिसको उन्होंने कॉमर्शियल कमोडिटी बना रखी है। उन लोगों से ज़मीन लेकर उनको देना चाहते हैं जिनके पास जमीन नहीं है और जिनको जमीन की आवश्यकता है। लैंडलैस की डेफिनेशन को यहां सदन ने पास किया है उसमें shall mean an agriculturist by profession उसके लिहाज से वही पर्सन लैंडलैस है और उसी को जमीन दी जायेगी। यह कहना कि इन्डिविजुअल को जमीन दी जा रही है, यह गलत बात है। हां, इन्डिविजुअल को तो टेम्प्रेरी बेसिस पर जमीन दी जाती है। फिर यह कहना कि सारी जमीन पर कोऑपरेटिव बना दी जाये तो यह भी सम्भव नहीं है। हर एक जमीन पर कोऑपरेटिव बना नहीं सकते और उसको बना करके प्रोपर्ली फाइनेन्स करना और उसके साथ ही सक्सेसफुली चलाना दूसरी चीज है। उसके लिए बहुत से स्टाफ की जरूरत है। हमें इस कोऑपरेटिव की पॉलिसी को इम्पलीमेंट करना है लेकिन यह समय नहीं है। अब लैंडलैस पर्सन्स को जमीन अलॉट करने का हमारा सिद्धान्त है और उसको हमने स्वीकार किया है लेकिन जब तक कोऑपरेटिव पूरी नहीं बन जायें उसका मतलब यह नहीं है कि ज़मीन पड़त रहे। हम इन्डिविजुअल को दे सकते हैं वर्ना ultimately the land has to remain with the tiller of the land. तो जैसा मैंने अर्ज किया कि जहां तक डिफरेन्ट अमेन्डमेन्ट्स पेश किए गए हैं इसमें कि हायर लेवल पर सीलिंग हो, लोअर लेवल पर सीलिंग हो, यह बात ठीक नहीं है। हमने एक स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग को देखते हुए जो फॉर्मूला सलेक्ट कमेटी ने दिया मैं समझता हूँ कि वह बहुत ही ठीक है और उसको अगर सदन एडोप्ट करे तो उसके लिहाज से जमीन भी मिलेगी और लैण्डलैस पर्सन्स को भी रीहेबिलिटेट कर सकेंगे। उसके साथ ही साथ किसी के साथ सोशियल इनजस्टिस भी नहीं करेंगे और जो लिविंग स्टेन्डर्ड हमारे काश्तकारों का होना चाहिये वह रहेगा। जैसा मैंने कहा कि हर आदमी को अधिकार होगा कि इन्टेन्सिव कल्टीवेशन से अपनी आमदनी बढ़ायें। आज जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन हैं, जैसे किसी के पास हजार, दो हजार बीघा जमीन है और उसमें कुछ जमीन दूसरों से काश्त करवाते हैं that state of affairs cannot continue in a welfare state. हमारा मतलब यही है कि जमीन जमीन के बोनेवाले के पास ही रहे. Everybody shall have to cultivate land personally if he wants to keep the land in his hands.

१ म. प.

अब रहा सवाल दूसरा कि इसके अन्दर कुछ अमेंडमेंट इस तरह के हैं, एक पॉइन्ट इसके अन्दर यह है कि यहां पर वैल इर्रिगेटेड लैंड के लिए यह प्रोवाइड किया गया है कि That should be treated as Barani. इसमें कुछ माननीय सदस्यों ने

Page No 47

(श्री दामोदरलाल व्यास)

काफी ऐतराज किया है और मैं समझता हूँ कि हमारे राजस्थान में जैसी इर्रिगेशन की और इर्रिगेटेड लैंड की स्थिति है उसको देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए कि बहरहाल जिससे जमीन लेते हैं तो उसमें किसी के साथ अनजस्टिस नहीं होना चाहिए पहली बात तो यह है कि वैल जो बनाया जाता है उसकी सारी कीमत, उसका सारा इन्वेस्टमेंट काश्तकार का होता है। स्टेट का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तकावी स्टेट देती है तो वापिस वसूल करती है मय व्याज के। इसमें कोई ऐहसान की बात नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि कुआ जिस आदमी ने बनाया है, उसने अपनी जमीन को इम्प्रूव किया है, उसमें केपिटल इन्वेस्टमेंट किया है। दूसरी बात यह देखनी पड़ेगी कि कुओं वाली जमीन खास तौर से राजस्थान में यह देखना पड़ेगा कि चाही जमीन, वैल इर्रिगेटेड लैण्ड की क्या हालत है। उसमें देखना पड़ेगा कि हमारे यहां कुए ज्यादा गहरे नहीं हैं। उनमें पत्थर आ जाते हैं और बनाने में काफी खर्चा करना पड़ता है और कुओं में पानी भी ज्यादा नहीं होता है कि जिससे काफी जमीन पर आबपाशी हो सके और उसके साथ-साथ कास्ट ऑफ कल्टीवेशन जो वैल पर होता है वह मेरे ख्याल से इतना ज्यादा होता है कि बारानी जमीन के हिसाब से जो पैदावार होती है उस पर आकर बैठता है। यह हिसाब लगाने की बात है। आप स्वयं लगा कर देख सकते हैं। मैंने भी इस बारे में कोशिश की थी पहले मैं भी हामी था कि वैल इर्रिगेशन को एक्सक्लूड नहीं करना चाहिये। लेकिन कल्टीवेशन की जो कॉस्ट होती है, क्योंकि लोगों को चड़स वगैरह रखना पड़ता है, क्योंके अपने यहां हर आदमी के यहां पंपिंग सैट नहीं है। हमने हरएक फील्ड पर बिजली प्रोवाइड नहीं कर रखी है। हमारे यहां जो पोजीशन आज है जमीन की, उसको देखना पड़ेगा और जब कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इतनी है, जमीन और उसके साथ साथ केपिटल इन्वेस्टमेंट जो कि प्योरली कल्टीवेटर का है उसको देखते हुए इसको एक्सक्लूड करना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि आज राजस्थान में जितनी जमीन है इर्रिगेटेड उसमें २१ या २२ लाख एकड़ वैल इर्रिगेटेड लैण्ड है, और इस वैल इर्रिगेटेड लैण्ड को आप लेना चाहते हैं। मैं माननीय सदस्य से कहूँगा कि आप बड़े समझदार हैं, अक्लमन्द है लेकिन इस बात को मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि आज हमारे कन्ट्री में बहुत से लोग सीलिंग की पॉलेसी को एप्रूव नहीं करते हैं। कुछ लोग इसमें ऐसे हैं कि उसका पोलिटिकल इन्स्ट्रूमेंट बनाना चाहते हैं सीलिंग पॉलेसी को चाहे वे पार्टी का प्रचार करने के लिए चाहे ईमानदारी से समझते हों कि यह पॉलेसी गलत है मगर इसके साथ साथ में किसानों को यह बताया जायेगा कि कुए खोदने पर भी सीलिंग लागू किया जायेगा, तो कुए खोदने का जो इन्सेन्टिव है वह डिसएपियर हो जायेगा। गवर्नमेंट इस बात की आवश्यकता महसूस करती है पब्लिक इन्ट्रेस्ट से, प्रोडेक्शन बढ़ाने के इन्ट्रेस्ट से कि जितने ज्यादा कुए खोदे जांय उतना ज्यादा अच्छा है। कुए खुदवाने के लिये सबसे बड़ी जो बात है वह इस तरह से कुए खोदने के लिये लोगों के दिमाग में इन्सेन्टिव होना चाहिये। इसके साथ ही साथ हमको उनको फेसिलिटी देना चाहिये और कुए ज्यादा बढ़ाये जाना

(श्री दामोदरलाल व्यास)

चाहिये।

माइनर इर्रिगेशन के लिये वह और बहुत जरूरी है कि जहां तक वेल इर्रिगेटेड का सवाल है, मैं अर्ज करूंगा कि वैल इर्रिगेशन को बारानी ट्रीट नहीं करेंगे तो यह उनके बारे में न्याय नहीं होगा बल्कि मैं यह कहना चाहूँगा कि वैल इर्रिगेशन में १०, १५ बीघे से ज्यादा जमीन एक कुए में नहीं आती है। इस तरह के केसेज को छोड़ दें कि कुछ एरिया को छोड़ दें कि जहां बड़े गहरे कुए खुदवा कर लोग आबपाशी करते हैं, ऐसे इने गिने लोग होंगे कि जिन्होंने पंपिंग सैट लगाये हैं, जिन्होंने ट्यूब वैल बना लिये हैं। १०, ५ केसेज ही राजस्थान में ऐसे हैं लेकिन २१ लाख एकड़ जमीन आज कुओं से सेहराब होती है उसको नहीं भुला सकते हैं। क्योंकि किसी के पास १० या १५ बीघे से ज्यादा जमीन नहीं है। कुए का जाव इससे बड़ा होनेवाला नहीं है। इससे जमीन इनको नहीं मिलेगी और इन्सेन्टिव को निकाल देंगे तो यह मेरे खयाल से देश के हित में बात नहीं होगी। इसलिये मैंने सलेक्ट कमेटी की इस बात से एग्री करके जो वैल कल्टीवेटेड एरिया है, चाही है उसको बारानी में शुमार करने के लिये रखा है। वह मेरे खयाल से ठीक है क्यों कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को देखते हुये उस लैण्ड से जो पैदावार होती है वह बारानी की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडेक्शन है वह चाही जमीन की पैदावार के बराबर आ जाती है। आप चाहें तो हिसाब लगा कर देख सकते हैं। यह कोई मुश्किल नहीं है।

अब रहा सवाल इस बात का कि थर्ड अमेंडमेन्ट जो है इसमें....

श्री मुरलीधर व्यास : कुएवालों में भी दूसरा कुआवाला होगा जिसके पास दो एकड़ जमीन होगी ....

श्री दामोदरलाल व्यास : आपकी दृष्टि में मैंने यह अर्ज कर दिया कि एक ही है। आप चाहते हैं कि सब लैण्ड को तकसीम कर दें और सभी को गरीब बना दिया जाय। मैं उसको मन्जूर नहीं करता हूँ। मैं समझता हूं कि वह देश के हित की बात नहीं है....

श्री मुरलीधर व्यास : मैं नहीं कहना चाहता हूँ....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अभी बतलाऊं। आप फिर पूछ लें।

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order Please. The Hon'ble Member please not to interrupt the debate.

श्री मुरलीधर व्यास : किसी के पास दो एकड़ ही ज़मीन है वह कैसे जीवन निर्वाह करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order Please.

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें अलग, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक अमेंडमेंट यह पेश किया गया कि ३० सी का प्रोविजो है :–"Provided that where the members of a family exceed five, the Ceiling area in relation there to shall be increased for each additional member at such scale as may be prescribed so however that it does not exceed sixty standard acres of land." उसके लिए शायद एमेंडमेंट है कि "as may be prescribed" नहीं होना चाहिए और 6 acres

Page No 49

(श्री दामोदरलाल व्यास)

per head होना चाहिए । तो मैं आपको अर्ज करूंगा कि इसमें ज़्यादा इन्ट्रेस्टेड नहीं हूँ कि गवर्नमेंट प्रेस्काइब करने के लिए पॉवर रखे अपने पास में । पोजीशन यह है कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ के साथ में जब ६० स्टेन्डर्ड एकड़ मेक्सीमम रख दिया है तो एक एडिशनल मेम्बर का कितना एरिया होगा, मैं अर्ज कर दूं सदन की और आपकी आज्ञा से कि इसमें यह लिख दें—It shall be increased by five acres. I will not agree six acres but five acres may be kept. इसको अगर आप मन्जूर कर लें तो जो प्रेस्काइब की पॉवर गवर्नमेंट रखना चाहती है और जिसको आप पसन्द नहीं करते हैं, मैं भी नहीं रखना चाहता हूँ । Then I come to the another proviso.

You can just say—

"Provided that where the members of a family exceed five, the Ceiling area in relation thereto shall be increased for each additional member by five standard acres, so however that it does not exceed sixty standard acres of land." मेम्बर कितने बढ़ जायं....

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह तो २५ ही हुआ ।

राजा श्री मानसिंह : The Human beings are not like rabits to increase in number and they never get maximum area......

श्री होतीलाल (भरतपुर) **:** ५ एकड़ के हिसाब से अगर ५ और बढ़ गये तो इस हिसाब से २ फेमिली हो गई लेकिन वह २५ एकड़ ही बढ़ा । इस तरह से ६० में से ५ एकड़ बचा लिये ।

श्री दामोदरलाल व्यास : It is not necessary कि आप मेम्बर नहीं बढ़ायें । मैं आपको थोड़े ही मना करता हूँ ।

(हंसी)

I am not going to place any restriction on that direction. So far as the production of field is concerned, you can have that liability...

श्री दामोदरलाल व्यास : ३० एकड़ ५ के लिए रखा है यदि ज्यादा मेम्बर हो जाते हैं तो । आप ६ मेम्बर का ही क्यों अन्दाज़ करते हैं । १० भी हो सकते हैं और ११ भी हो सकते हैं ।

Any way I have considered and that is my considered opinion and I will request the House to accept that. I would not like to take powers which you don't wish. ५ एकड़ पर हैड रखा जाय ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : प्रेस्काइब ही अच्छा है । आप मर्जी आये वह कर दें ।

श्री दामोदरलाल व्यास : Then, Sir, there is an other provision, second provision. 'Provided further that no Ceiling area shall be less than 30 ordinary acres of land., I think Sir, it is very difficult. The Members have suggested and I accept that this provision may be deleted.

इसमें इस तरह है कि जब ३० स्टेन्डर्ड एकड़ प्रेस्काइब कर दिया उसके बाद यह

Page No 50

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कहना कि ३० एकड़ ऑर्डिनेरी से कम नहीं होगा, उचित नहीं है क्योंकि ऐसी जमीन भी है जिसमें १० मन प्रति एकड़ के बजाय ३० मन या ४० मन भी पैदावार होती है।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : ऐसा कहां है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप बोदर मत करिये, चूरू में ऐसा नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि....

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : Which proviso is to be deleted ?

श्री दामोदरलाल व्यास : The second proviso. Because there are difficulties. I think that will not be just. I accept this amendment pertaining to the deletion of provison no. 2 clause 30 C. I think Sir, I have dealt with all the amendments. I will request the Hon'ble Members who have tabled their amendments to withdraw. This may be passed as amended.

श्री श्रीभानसिंह : What about the other amendment. You have not come to your own amendment ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Oh ! Yes, I am sorry Sir. That is a very interesting amendment. That was tabled because as a matter of fact it was brought to my notice that certain aquisition of land have been taken up now in the name of their grand-sons etc. to circumvent the provisions of the Bill. However, I would not press the amendment and I will withdraw it.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्रीजी ने बताया था कि यदि स्पष्टीकरण करवाना हो तो उसके लिये बाद में मौका देंगे....

श्री दामोदरलाल व्यास : आप तो सवाल के जरिये कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : अभी मौका है, २ मिनिट के लिये कर ही लेना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : That will not be in the form of speech.

श्री भैरोंसिंह : एक तो आपने ऐसा बताया था कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ जमीन की नैट इन्कम ३६०० रु० सालाना होगी और आपने यह भी कहा कि यह केवल ३६०० ही नहीं होगी बल्कि मेरे केल्कुलेशन से और ज्यादा आमदनी होती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार ने ऐसा केल्कुलेशन किया है जिसके बेसिस पर वे बतला सकें कि ३८ एकड़ में मेग्जिमम आमदनी इतनी होगी। पहला सवाल तो मेरा यह है।

मेरा दूसरा सवाल यह है कि आपने यह कहा था कि जितनी सैटलमेन्ट रेन्ट रेट है उसको एसेसमेन्ट का बेसिस नहीं माना जा सकता और उसका रीजन यह बताया कि पहले जो सैटलमेन्ट हो चुका है तीसरे बांटे के हिसाब से या और किसी हिसाब से, उसको मानकर चलते हैं तो जमीन काफी देनी पड़ेगी। लेकिन हाल ही तीन चार वर्षों के अन्दर टिनेन्सी एक्ट पास होने के बाद सैटलमेन्ट का रिवीजन हुआ है और उसके अनुसार रेट्स फिक्स हुई हैं और आपके अनुसार जो प्रोग्रेसिव होना चाहिये वह भी

Page No 51

(श्री भैरोंसिंह)

शामिल कर लिया गया है तो क्या जहां रिवीजन हो गया है वहां इस बेसिस पर माना जायेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वैसे तो मैंने ये दोनों सवाल काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिये थे, मैंने कहा था कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ के लिये यह कहना कि ३६०० रुपये ग्रॉस इन्कम आयेगी, यह गलत है। मैंने यह बतलाया था कि किसान अपना काम शुरू करने से पहले अच्छी तरह से प्लानिंग करता है कि कितनी जमीन में गेहूँ बोयेगा कितनी में केश क्रोप जैसे मिर्ची, धनिया, सरसों, गन्ना, कपास आदि की काश्त करेगा। इस तरह से यदि वह प्लान्ड वे में काश्त करता है तो उसकी इन्कम बहुत ज्यादा होगी। यदि कंजरवेटेव एस्टिमेट भी लगाया जाय तो भी ३६०० रु० नैट इन्कम आ ही जायेगी। और आप कहते हैं कि हिसाब लगाया क्या ? आप हिसाब लगाकर देखिये कॉमर्शियल क्रोप किस तरह होती है। मैं कहता हूं कि यह एस्टिमेट सही होगा। यह कहना कि ३० एकड़ जमीन में वह गेहूं ही बोयेगा और १० मन प्रति एकड़ के हिसाब से ३०० मन गेहूं उपजायेगा और उस पर कोई काश्त नहीं करेगा। इसलिये यह गलत तरीका है। कोई आदमी खाली गेहूं की ही काश्त नहीं करता है। खरीफ भी करेगा, रबी भी करेगा, केश क्रोप भी करेगा और उस पर कपास, धनिया, जीरा, गन्ना सब कुछ बोयेगा। यदि आप चाहते हैं देखना तो मेरे पास तशरीफ लाइये, जिस जगह के लिये आप जानना चाहेंगे मैं आपको सैटलमेन्ट रेकॉर्ड से बताऊंगा। मेरे पास फिगर्स हैं। मैंने तहसील वाइज आंकड़े निकलवाये हैं। एक आदमी के पास कितना एरिया है, उस पर कितनी कॉमर्शियल क्रोप करता है, रबी और खरीफ की कितनी करता है और उसकी कितनी पैदावार हो जाती है यह सब कुछ निकाला हुआ है। मैं सारे राजस्थान का रेकार्ड तो यहां नहीं ला सकता।

सैटलमेंट की जो बात पूछी माननीय सदस्य ने, उसके बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने बहुत साफ समझाया था यदि वे समझना चाहते तो उसे समझ जाते। शायद मैं उन्हें नहीं समझा सका। सैटलमेंट की रेट में डिसपेरिटी थी। पहले के सैटलमेंट में और अब के सैटलमेंट में रेन्ट की डिस्पेरिटी जितनी थी उस के कारण अभी और पहले की डिस्क्रीमेटली नहीं ले सकते। ५२ के बाद हुआ है वहां सैटलमेंट का बेसिस ले लें और पहले का है वहां ३० एकड़ ले लें, यदि आप यही कहना चाहते हैं तो आई रिग्रेट। वरना मैंने कहा था कि सैटलमेंट सब जगह एक सा हुआ नहीं है, कहीं आज हो रहा है, कहीं पहले हुआ है। Settlement rates cannot form the basis of Ceiling.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : सीलिंग का आधार स्टेन्डर्ड एकड़ माना है; आर्डिनेरी एकड़ से स्टेन्डर्ड एकड़ वर्क आउट कर लिया है क्या ? यदि नहीं तो कितने दिनों में हो जायेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी इस क्लॉज पर नहीं आये हैं। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि इसके लिये क्या मशीनरी सेट अप करना चाहते हैं जिससे कि किसी के साथ अन्जस्टिस न हो और सही एकरेज कायम हो सके।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : कितना है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इस क्लॉज पर आयेंगे तब बतलाऊंगा।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : माननीय मंत्रीजी ने अभी बताया है कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ में एक काश्तकार केश क्रोप का कल्टीवेशन कर सकता है और उससे आमदनी कर सकता है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान लैंड युटिलाइजेशन एक्ट में गवर्नमेंट को ऑथोराइज किया है कि गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, तो क्या मंत्रीजी एश्योर करना चाहते हैं कि रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहते हैं ?

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : मेरा भी एक प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

डॉ० बहादुरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन डॉ० बहादुरसिंह ने क्लॉज ३० (सी) में रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : I beg leave of the House te withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ३ में सेक्शन ३० सी पर जो संशोधन श्री श्रीभानसिंह ने प्रस्तुत किया है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री श्रीभानसिंह : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर : I beg leave of the House to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने प्रस्तुत किया है, उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री सोहनलाल भटनागर : I withdraw Sir.

श्री उपाध्यक्ष : श्री चन्दनमल वैद।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री चन्दन मल वैद ने प्रस्तुत किया है ....

श्री श्रीभानसिंह: एक एक्सेप्ट किया है।

श्री सोहनलाल भटनागर : That is to be accepted Sir.

श्री दामोदरलाल व्यास : He is right.

Page No 53

श्री श्रीभानसिंह : I think this amendment of Shri Chandanmal already contains that deletion of the proviso.

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Chaudhary's. श्री चौधरी के संशोधन को स्वीकार किया जाय ।

श्री श्रीभानसिंह : Shri Chandanmal's amendment first.

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर दोनों के अमेंडमेंट हैं तो दोनों के स्वीकार हो जायेंगे उसमें कोई फर्क नहीं है ।

श्री सोहनलाल भटनागर : I think it should not be rejected.

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Chandanmal's amendment is not identical. He also wants deletion of the explanation as well. So I take it.

प्रश्न यह है कि श्री चन्दन मल वैद ने जो क्लॉज ३, ३० सी पर संशोधन प्रस्तुत किये हैं, उनको स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी ।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : I beg leave to withdraw my amendment except that deletion of the 2nd proviso to 30 c.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी. के चौधरी ने क्लॉज ३० सी पर, एक्सेप्ट सेकिंड प्रोविजो, प्रस्तुत किए हैं, उनको वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री पी. के. चौधरी : I withdraw my amendment except that second proviso.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी. के. चौधरी ने प्रस्तुत किया, उसको स्वीकार किया जाय ।

हां पक्ष जीता ।

राजा श्री मानसिंह (वैर) : 'Noes' have it Sir.

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन स्वीकार किया गया ।

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : एक ही आदमी है ।

श्री उपाध्यक्ष : Do you want to press it still ?

राजा श्री मानसिंह : 'Noes' have it sir.

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसे मुझे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री लक्ष्मीचन्द ने प्रस्तुत किया है उसे वापिस लिए जाने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री लक्ष्मीचन्द : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : राजा श्री मानसिंह।

राजा श्री मानसिंह : I press my amendment Sir.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन राजा श्री मानसिंह ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय। जो पक्ष में हों वे 'हां' कहें, जो विपक्ष में हों वे 'ना' कहें।

राजा श्री मानसिंह : Ayes have it Sir.

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन गिर गया।

राजा श्री मानसिंह : I would like division Sir.

श्री उपाध्यक्ष : There was only one voice. I request Raja Man Singh not to press it now.

राजा श्री मानसिंह : I want division.

श्री उपाध्यक्ष : Even the other members behind you did not support you, I was very vigilent.

I appeal to your good sense not to press for Division. Let the discretion be vested in the Chair. I can specifically say that none except you constitute the volume of voice. I seek your indulgence and take the second amendment. संशोधन गिर गया। श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो अमेन्डमेंट है, उसे मैं प्रेस करता हूँ।

एक माननीय सदस्य : सुनाई नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने समझ लिया।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मुरलीधर व्यास ने पेश किया है, उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

'ना' पक्ष जीता, संशोधन गिर गया।

श्री मुरलीधर व्यास : 'हां' पक्ष जीता!

श्री होतीलाल (भरतपुर) : अकेले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Let me proceed now.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी : मैं अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह कि जो संशोधन श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ने प्रस्तुत किया है, उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है जो संशोधन रावराजा श्री सरदारसिंह जी ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

Page No 55

श्री उपाध्यक्ष : श्री दामोदरलाल व्यास ।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री दामोदर-लाल व्यास ने ....

श्री दामोदरलाल व्यास : One I have already withdrawn.......जो अडल्ट अनमेरिड, विडोअर के संशोधन को विड्रॉ करने की इजाजत चाही थी । सेकिंड अमेंड-मेंट पांच एकड़ का है that of course must be passed.

श्री उपाध्यक्ष : इजाज़त अब मांग रहे हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां। It will not be misunderstood with amendment relating to unmarried and widowers etc......

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : I can call for......

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह कि जो संशोधन [(६४) Clause-3. In the newly proposed section 30 C, add the following proviso to sub-setcion (1) after the frist pro-viso :

'Provided further that, in the case of an adult unmarried or a widower without a family, the ceiling area shall be half of the ceiling area applicable to a family of five mem-bers'.] श्री दामोदरलाल व्यास ने प्रस्तुत किया है, उसे वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां । मैं वापिस लेता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन ३० सी पर, पांच स्टेन्डर्ड एकड़ का प्रोविज़ो [In the proviso one to Sec-tion 30 C, substitute the following words for the words "at such scale as may be prescribed "]

"by 5 standard acres" श्री दामोदर लाल व्यास ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि सेक्शन ३० सी को संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

सेक्शन ३० सी, संशोधित रूप में, स्वीकार की गई ।

We now come to Section 30 D.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह अमेंडमेंट जो है, नम्बर ६, इन ३० डी (1) Section 30 D In clause (c) of sub-section (1), after the word and figures "Section 42" insert "as it stood before the passing of the Rajasthan Tenancy (Sixth Amendment) Act, 1959",यह तो फार्मल है, इसको इन्डीकेट करने के लिए as it stood before the passing of the Rajasthan Tenancy (Sixth Amendment) Act, 1959.

श्री उपाध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ३० डी में दो अमेंडमेंट हैं : (1) The figures '1955.' be substituted for '1957' in the fifth line. दूसरा है, Clauses (a), (b) and (c) be deleted. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ३० सी को अभी सदन ने पास कर दिया। उसके बाद महत्वपूर्ण क्लॉज रहता है, वह ट्रान्सफर के बारे में है और जैसा ओरिजनल बिल के अन्दर प्रावधान था, उसमें लिखा था, एक्ट फोर्स में आये, उससे तीन साल के पहले के ट्रान्सफर को वोइड करार दिया जायेगा। यह बहुत अनसर्टेन था इसको देखते हुए डेफ़ीनेट डेट एक जनवरी १६५५ के बाद किये गये ट्रान्सफर को वोइड करार दिये जाने का प्रावधान रखा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मुझे निवेदन करना है कि सीलिंग की नीति है, वह प्रथम चुनाव के वक्त प्रतिपादित की गई थी, और पॉलिटिकल पार्टीज ने इसे अपने घोषणा पत्र में रखा और इस पर विचार प्रकट किये। १६५३ में उस नीति को कार्यान्वित करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक सीलिंग कमेटी का निर्माण किया। मेरे खयाल से राजस्थान के सब लोगों ने जान लिया था कि राजस्थान के अन्दर सीलिंग कानून लागू होने जा रहा है लेकिन मेरे खयाल से जिन व्यक्तियों के ऊपर यह लागू होने वाला था वे काफी सतर्क थे इस बात से। उसके बाद सीलिंग का कानून लाने में प्रथम यह हुआ कि इसको धीरे धीरे लाने की कोशिश की गई, इसकी वजह से गये छः वर्षों में काफी होलसेल ट्रान्सफर्स हुए। हम ३० सी के अन्दर चाहे ३० स्टेन्डर्ड एकड़ पास करके बड़े खुश हुए हों कि राजस्थान के अन्दर बहुत जमीन है और उस पर सीलिंग कानून लगाने वाले हैं। मेरे खयाल से जो आशा है, वह निराशा में परिवर्तित होने वाली है और किसी तहसील में कोई जमीन मिलने वाली नहीं है, यदि जो कुछ प्रोविजन ३० डी में रखा है, वह ज्यों का त्यों रह जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में जो प्लानिंग कमीशन ने राय दी थी, वह यह है :—

"It has been brought to our notice that anticipating imposition of ceilings, substantial owners are making benami transactions in favour of near relations and friends to bring their holdings within assumed limits. If such transfers are allowed, they will defeat the very object of imposition of ceilings. We would, therefore, recommend that any transfer or lease made after a given date, should be disregarded in determining the surplus area. The date should be fixed by each State Government in the light of its own circumstances."

श्री सोहनलाल भटनागर : तो अब हमें देखना है कि राजस्थान में कौन सी डेट ठीक रह सकती है, जिसके कारण जाना जा सके कि इसके बाद के सारे ट्रान्सफर वोइड करार दिये जा सकें। तो मेरे खयाल से ५३ में सीलिंग कमेटी का निर्माण हुआ वही डेट ठीक रहती, पर यदि उसको लम्बा माना जाय तो ५५ में राजस्थान सरकार ने इस सम्बन्ध में विज्ञप्तियां भी निकाली हैं कि लैंड के ट्रान्सफर्स वोइड करार दिये जायेंगे,

(श्री सोहनलाल भटनागर)

इसलिए १९५५ की डेट ठीक रहती है और इसके बाद के जितने ट्रान्सफर किये गये हैं, उनको अवैध करार देना चाहिये। पहले ओरिजिनल बिल में सब ट्रान्सफर्स को वोइड करार दिया था पर इसमें मेम्बर ऑफ फेमिली को ट्रान्सफर किया है वही वोइड करार दिया है यही नहीं इसमें है: in favour of a person who immediately before the date of such transfer was not agriculturist or एग्रीकल्चरिस्ट्स के फेवर में ट्रान्सफर किया गया होगा तो उसको वोइड करार नहीं दिया जायगा। एग्रीकल्चरिस्ट्स की डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें सर्वेन्ट्स भी हैं ...."Agriculturist shall mean a person who by himself or by servants or tenants earns his livelihood wholly or principally by agriculture or by cattle breeding;" इसलिये में सदन के सामने यह प्रस्तुत करता हूँ कि : a, b, c, be deleted...इस दृष्टिकोण से काश्तकार से काश्त करवाते हैं वे भी काश्तकार हो जायेंगे और हर एक अपने आपको काश्तकार कहेंगे और जिस किसी को भी ट्रान्सफर किया गया है, ठीक और वैध होगा।

इसलिये १९५५ की डेट रखी जाय और सब-क्लॉज ए. बी, सी रखे हैं उनको डिलीट किया जाय।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, इस क्लॉज ३ पर मेरे दो संशोधन हैं, उनमें से एक ही पेश कर रहा हूँ: Substitute the figure '1955' for '1957' appearing in the fifth line.

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस कानून को बनाने के लिए, जब यह सवाल राजस्थान में आया कि हमें कृषि क्षेत्र की कितनी अधिकतम सीमा निर्धारित करनी चाहिये, उस समय इसके लिये समिति का निर्माण १९५३ में किया गया, उस समिति ने १९५८ में रिपोर्ट दी। जिनके पास ज्यादा ज़मीनें थीं, वे थोड़े से चैतन्य हुए और इस बात का प्रयत्न करने लगे कि आया समिति कितनी भूमि निर्धारित करने जा रही है, उन्होंने इस बात को सोचा और अपनी कुछ लैंड अपने मित्रों, रिश्तेदारों, नौकरों, और माइनर बच्चों और लड़कियों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और यह लिख कर दिया कि ये काश्तकार हैं, छोटे-छोटे बच्चों के नाम भी लैंड ट्रान्सफर कर दी।

तो इस तरह से जो सीलिंग का उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से यह कानून बनाने जा रहे हैं उस उद्देश्य को विफल करने के लिये भूमि ट्रान्सफर कर दी, वह सब गैर कानूनी है, यह व्यवस्था इस क्लॉज में है। कब से इस प्रकार के ट्रान्सफर्स गैर कानूनी हों यह सोचने की बात है। यह कानून आज बना रहे हैं, आज से यह चीजें गैरकानूनी होनी चाहिये, पर इससे वास्तव में जो इस कानून के बनाने का मूल उद्देश्य है, वह सफल नहीं होता। ५३ से यह कानून लागू होना चाहिये था, उस वक्त से यह लागू हो व जो इस प्रकार के ट्रान्सफर्स किये हैं वे गैरकानूनी करार दिये जायं, यह भी एक सोचने की बात हो सकती है पर ५३ में लोगों को यह

(डॉ० बहादुरसिंह)

मालूम नहीं था कि कितनी भूमि सीलिंग में रखी जायेगी। पर ५५ में यह चीज निर्धारित हो गई थी कि इतनी भूमि सीलिंग में रहेगी तो इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये की ५५ की जनवरी से जिन लोगों ने इस प्रकार के ट्रान्सफर कर दिये हों वे गैरकानूनी हो जायेंगे। इसलिये मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूँ कि जो इस कानून से राज्य सरकार की मन्शा है, जो भूमिहीन हैं, उनमें समान वितरण हो, जिन लोगों ने गलत तौर पर जमीन इधर से उधर ट्रान्स्फर कर दी है वह गैर कानूनी हो जायेगी, १९५५ से। तो मैं यह संशोधन सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि यदि आप सीलिंग की मन्शा को सही तौर पर कार्य रूप में परिणत करना चाहते हैं तो यह रखिये कि जनवरी १९५५ से किये गये इस प्रकार के ट्रान्स्फर्स गैर कानूनी करार दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी० के चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इसमें दो अमेंडमेंट्स हैं। एक तो यह है कि जहां 'जनवरी ५७' है वहां 'दिसम्बर, ५३' कर दिया जाय।

1. Replace the word and figures 'January, 1957' by the word and figures 'December, 1953' in sub-section (1).

2. Insert the word 'malafide' between the words 'no' and 'tranfer' and aslo insert the words 'to by-pass its provision' after the figures '1959'.

3. Delete clause (b).

"For the purpose of determining the Ceiling area in relation to a person under section 30 C, no transfer of the whole or part of the holding of such person which is proved to have been made by him on or after the first day" here instead of 'January,' there should be 'December, 1953' and at the end of figure 1959, the word 'to by pass its provision' inserted and sub-clause (b) may be deleted.

उपाध्यक्ष महोदय, सीलिंग का, यहां ५३ का मैंने रखा है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन ने मेलाफाइड ट्रान्स्फर्स को ५३ से रोकने का कहा था और स्टेट गवर्नमेंट से कहा था कि इस समय से रोकें और फ्यूचर में नहीं हो सकें इसके लिये स्टेट गवर्नमेंट रोक लगाये। पर अन्फोर्चूनेटली न तो उस वक्त हमने रोकने की कोशिश की और न फ्यूचर में ही रोकने की कोशिश की इसलिये ट्रान्स्फर्स जिनको मेलाफाइड समझते हैं, उन्हें ५३, दिसम्बर के बाद जितने मेलाफाइड ट्रान्स्फर्स हुए हैं उनको गैर कानूनी करार दिया जाय। जहां तक ट्रान्स्फर का सवाल है, वर्ड मेलाफाइड है उसके लिये मैं जोर देना चाहता हूँ। आगे इसका हैडिंग देखेंगे....

It is for restrictions on certain transfers. सब के सब ट्रान्स्फर्स को केन्सिल नहीं कर सकते। सीलिंग कमेटी ने अपनी सिफारिश में मन्जूर किया है कि :

"It would also not be just not to recognise even those transfers of land that might have been made either to the landless persons or to those who had less land than the Ceiling area, since the object of imposing ceiling

(श्री पी० के० चौधरी)

was after all to provide land to the landless."

यह तो सीलिंग कमेटी का व्यू है कि लैंड-लैस को या तो जिनके पास सीलिंग एरिया से कम लैन्ड है उसको कैन्सिल करना उचित नहीं होगा। मैं उनके व्यू से सहमत हूँ लेकिन उसके साथ साथ मैं लीगल कावल देता हूं और वह यह है कि कोई भी ट्रान्सफर को कैन्सिल नहीं कर सकते। हम सिर्फ मैलाफाइड ट्रान्स-फर्स को ही कैन्सिल कर सकते हैं बाकी की जो ट्रान्सफर्स हैं जो Article 19 of the Constitution.....उनको न तो रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से न बाद से हुई ट्रान्सफर्स को कैन्सिल नहीं कर सकते हैं। इसके लिये आर्टिकल १९ में साफ कहा गया है "All citizens shall have the right to acquire, hold and dispose of property." Acquiring, holding or disposing of the property means transfer. तो आर्टिकल १९ में सबको यह अधिकार दिया गया है। He has got every right to acquire, hold or dispose of his property.

इस पर से रेस्ट्रिक्शन हम कोई लगा सकते हैं। इसके सब-सैक्शन (५) में दिया हुआ है। "Nothing in sub-clauses (d), (e) and (f) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing reasonable restrictions on the exercise of any the rights conferred by the said sub-clauses either in the interests of the general public or for the protection of the interests of any Scheduled Tribe, सो यह जो रेस्ट्रिक्शन है सिर्फ either in the interest of the general public or for the protection of the interests of any scheduled tribe हम लगा सकते हैं। तो नॉर्मल ट्रान्सफर्स जो पास्ट में हुई हैं उनको हम यह नहीं कह सकते कि यह इन्ट्रेस्ट आफ पब्लिक में नहीं है। सिर्फ उन्हीं ट्रान्सफरों को जो मेलाफाइड इन्टेन्शन से की गई हैं which is not in the interest of the public एक आध के लिये हम आर्टिकल १९ की इस धारा की मंशा को अवोइड कर सकते हैं। लेकिन जो क्लॉज हमारे सामने है उसकी भाषा में यह नहीं है। इसमें यह कहा गया है, उसमें आपने कुछ कतेरि-फाई कर दिया है ए, बी, और सी में। आपने यह कहा है कि जो फेमिली को जमीन दी जावेगी ट्रान्सफर में, उसको मेलाफाइड किया है। जो एग्रीक्लचरिस्ट नहीं है। अगर उसको दी जावेगी उसको मेलाफाइड माना है इसके अलावा जिसके पास सीलिंग एरिया से ज्यादा ज़मीन है उसको ट्रान्सफर किया है, उसको मेलाफाइड माना है। मैं इस बात को मानता हूँ कि जहां तक फेमिली सदस्य को ट्रान्सफर का प्रश्न है वह मेलाफाइड हो सकता है लेकिन जिसके पास सीलिंग एरिया से ज्यादा ज़मीन है उसको मेलाफाइड कैसे माना जा सकता है। जिस समय सीलिंग इम्पोज होता है उस समय और उससे ले सकते हैं। लेकिन आपने यह जो ग्राउन्ड रखा है उससे यह मेलाफाइड नही हो सकता इस लिये मैं समझता हूँ कि यहां पर जो मेलाफाइड ट्रांसफर को डिफाइन किया है, वह उचित नहीं है। जहां तक क्लाज (बी) में एग्रीक्लचरिस्ट का प्रश्न है, जैसा मैंने कहा है, इसको हम मंजूर करते तो It becomes a sort of discrimination आज हमने किया है Landless person shall mean an agriculturist by profession who cultivates or can reasonably be expected to cultivate land personally but who does not hold any land, whether in his own name or in the name of any member of his joint family, or holds a fragmen. यह तो हमारे लैन्डलैस पर्सन्स की

(श्री पी० के० चौधरी)

डेफिनेशन है और सिलेक्ट कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा है कि लैंडलैस के लिये : "It would not be just not to recognise even those transfers of land that might have been made either to the landless persons or to those who had less land than the ceiling area, since the object of imposing ceiling was all to provide land to the landless. जिन लैन्डलैस व्यक्तियों को ट्रान्सफर किया जावे उनको इनवेलिड करार नहीं दिया जाना चाहिये। लेकिन उन्होंने दूसरे पैरा में कहा कि एग्रीकल्चरिस्ट नहीं होंगे उसको इनवेलिड माना जावेगा। मैं समझता हूँ कि सिलेक्ट कमेटी की यह मंशा नहीं थी कि एग्रीकल्चरिस्ट नहीं हैं और जिनके पास ज़मीन नहीं है अगर उनको ज़मीन ट्रान्सफर की है उसको इनवेलिड माना जावे। लैंडलैस से कमेटी का यह इन्टेनशन था कि जिनके पास ज़मीन नहीं है और जो खेती नहीं करते हों। जहां तक एग्रीकल्चरिस्ट का सवाल है वह इस कानून में टिनेन्सी एक्ट में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। "An agriculturist shall mean a person who by himself or by servants or tenants earns his livelihood wholly or principally by agriculture or by cattle breeding." इसमें एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन की है वह लैंडलैस व्यक्तियों की डेफिनेशन नहीं है। वह तो प्रोपर्टी होल्डर की डेफिनेशन है। आपने टिनेन्सी एक्ट मार्फत या टिनेन्ट की मार्फत अपनी ज़मीन इन्कम पैदा करता है। मैं नहीं समझता कि सिलैक्ट कमेटी का यह इन्टेंशन होगा। एग्रीकल्चरिस्ट की मंशा बहुत ही साफ है। He gets his land cultivated through his servants or hired labour. यह उनकी डेफिनेशन है तो उनका इन्टेन्शन था कि लैन्डलैस व्यक्ति को ट्रान्सफर नहीं किया जावे। लेकिन मैं देखता हूँ कि इस एक्ट में प्रोवाइड किया गया है। That in favour of a person who imidiately before the date of such transfer was not agriculturist. जब हम इसको एक्सैप्ट करते हैं तो लैन्डलैस व्यक्ति को ट्रान्सफर को कैन्सल नहीं कर सकते। मगर इससे हम उसको निगेटिव करते हैं और हमने जिसको एग्रीकल्चरिस्ट डिफाइन किया है।

Agriculturist shall mean a person who by himself or by servants or tenants earns his livelihood wholly or principally. तो मैं देखता हूँ कि जो सिलैक्ट कमेटी की मंशा थी, लैन्डलैस व्यक्ति को ट्रान्सफर किया गया है उसको कैन्सिल नहीं किया जावे, उसको हम नेगेटिव करते हैं। लेकिन आपने एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन दी है उसमें वह प्रोपराइटर है वह चाहे काश्त करता है या नहीं। अगर उसके नाम पर ट्रान्सफर होती है तो उसको आप केन्सल नहीं मानते हैं। इसलिये मैंने क्लॉज (बी) है उसको हटाने के लिये रखा है। अगर रखना है तो उसमें मोडिफिकेशन हो सकता है That in favour of a person who immediately before the date of last transfer was not a landless person instead of agriculturist not a landless person. यह बात दिमाग में बैठती है। लेकिन जब हम एग्रीकल्चरिस्ट को उस डेफिनेशन में लेते हैं तो लैन्डलैस व्यक्तियों को हुआ ट्रान्सफर मेलाफाइड मानना हमारी और सिलेक्ट कमेटी की मंशा के खिलाफ है।

इसके साथ साथ मैं माननीय उपाध्यक्ष, एक लीगल पोइन्ट की तरफ आपका ध्यान

Page No 61

(श्री पी० के० चौधरी)

आकर्षित करना चाहता हूँ और वह है आर्टिकल ३१। मान लें की आपने यह कह दिया कि यह आर्टिकल ३१ का वॉयलेशन (violation) नहीं है। आपने रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से उसको रक्खा है।

You have put restriction on all transfers. Are you for cancelling all transfers? कानून के अनुसार जो ट्रान्सफर हो गया है उसको आप केन्सल नहीं कर सकते,- यह आर्टिकल १६ के खिलाफ है! It is against the right of freedom to acquire, hold and dispose of property.

दूसरा क्लॉज (बी) के लिये मेरा निवेदन है और लीगल ऑबजेक्शन है कि अन्डर आर्टिकल १६। Under article 19 G—all citizens shall have the right to practice any profession, or to carry on any occupation, trade or business.

जब किसी ने सीलिंग डिसाइड होने से पहले, मान लीजिये He has decided to take up the profession of agriculture. उसके पास क्लॉज बी रह जाता है any land which he has acquired for adopting profession of agriculture. उसको आप कैंसिल कर देते हैं for which there is a restriction under article 19 G. लेकिन मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर के लैंडलैस पर्सन को सबस्टीट्यूट करते हैं तो कॉन्स्टिट्युशन का वायोलेशन नहीं होता है। वहाँ तो आर्टिकल 'जी' को कन्सीडर किया है और it may be some day challanged in the court of Law.

दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, मान लीजिये आपने इसको पास कर दिया, आपने उन ट्रेसपासर्स को मेलाफाइडी मान लिया, लैंडलैस को या दूसरों की जो ज़मीन ट्रान्सफर हुई है उसको मेलाफाइडी मान कर you have put restrictions on it. ट्रान्सफर हो जायेगी। उसके बाद आर्टिकल ३१: No person shall be deprived of his property save by authority of Law. यानी आर्टिकल ३१ ऑफ दी कॉन्स्टिट्युशन हर एक व्यक्ति को अधिकार देता है कि उसके अधिकार से प्रोपर्टी से डिबार नहीं है except by procudure or authority of Law. कानून से करते हैं। उसमें अधिकार रखा है वह यहाँ है :

"No property shall be compulsorily acquired or requisitioned save for a public purpose and save by authority of a law which provides for compensation for the property so acquired or requisitioned and either fixes the amount of the compensation or specifies the principles on which..."

इम्पोर्टेन्ट बात जो नोट करने की इसमें है वह यह है:

"which provides for compensation for the property so acquired or requisitioned..."

हमारे सामने इश्यू जो है जो ट्रान्सफरी यानी जिसको ज़मीन ट्रान्सफर की जाती है या की गई है उस वक्त and he has got a constitutional protection for it. उस ज़मीन पर उसका क्लेम हो जाता है और that is given in Article 31...वह आर्टिकल ३१ में दिया है और आर्टिकल ३१ में है कि उस व्यक्ति से ज़मीन एक्वायर करते हैं तो उसके लिए आपको you will

(श्री पी० के० चौधरी)

have to provide for compensation और कानून में manner and method of it, you will have to provide. लेकिन आपने कानून में कम्पेन्सेशन का प्रावधान नहीं रखा है। आर्टिकल ३० डी :—

"Notwithstanding the provisions contained in sub-section (2), the transferee of the land referred to therein shall be entitled to claim from the transferor thereof a refund of the consideration money, if any paid by him for such land, and the amount thereof shall be a charge on the compensation money payable by the State Government in respect of such land under section 30 G." यानी आपने प्रोविजन क्या रखा है कि जो ट्रान्सफरी है उसकी ज़मीन आप एक्वायर करके लेते हैं। और आपने प्रोविजन उसमें यह रखा है कि He can have refund and claim the refund...उसने कन्सीडरेशन में पे किया हो ज़मीन एक्वायर करने देता है उसके रिफन्ड के लिए क्लेम कर सकता है। किस पर ? not on the State Government but on the transferor. जिससे ज़मीन लिया है उस पर रिफन्ड के लिए कर सकता है। and the amount thereof shall be a charge on the compensation......

श्री उपाध्यक्ष : I hope you will conclude early.

श्री पी० के० चौधरी : Yes Sir. The money is to be paid to the State Government. The State Government is not paying the compensation.

दूसरा इश्यू यह आता है। उसने ज़मीन लिया है। He had made improvements on it. Suppose he had taken a barren land. He has cleared it. He has dug wells. All these things will not count on the money. He will claim only compensation and that too on the transferor and not on the State Government. But legally speaking this is not a refund of money, this is not a compensation.

श्री उपाध्यक्ष : We are going in to the niceties of the legal question.

श्री पी० के चौधरी : Certainly Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Sensitive phase of the legal question.

श्री पी० के० चौधरी : So Sir, Article 31 clearly states that no property shall be compulsorily acquired or requisitioned save for a public purpose and save by authority of a law which provides for compensation for the property so acquired or requisitioned and either fixes the amount of the compensation or specifies the principles on which and the manner in which the compensation is to be determined and given and no such law shall be called in question in any court of law on the ground that the compensation provided by that law is not adequate."

श्री उपाध्यक्ष : I hope you will try to accommodate other Members also.

श्री पी के चौधरी : I am finishing just Sir मेरा कन्टेशन यह था कि as worded

(श्री पी० के० चौधरी)

here एक तो मैंने यह कहा कि आर्टिकल १६ का वायोलेशन होता है जबकि लैंडलैस पर्सनल का, जिसको ज़मीन मिलती है, उसको केन्सेल कर देते हैं। मेलाफाइडी ट्रान्सफर होता है तो वह तो केन्सल होना चाहिए।

Only malafided transfers should be cancelled, not the genuine transfers or the transfers made in the normal business. Second point by stating here that all transfers made to those who are not agriculturists, you are violating the law and you are preventing a person from adopting a profession. It is violation of the Constitution by not providing for any compensation to be paid to the transferee. The transferee is antitled to compensation from the State Government. The State Government may deduct or may retain that amount but the onus of compensation should be on the State Government and it should take into consideration the improvements which the transferee has produced on his land.

२ म० प०

श्री उपाध्यक्ष : That is rightly placed. Let us come to other line. That you have very elaborately placed.

श्री पी० के० चौधरी : It validates Castes, and the discrimination for castes. It becomes the origin of castes. In India the origin of castes, i. e. Banias or Shudras etc. they are all by profession. The people who are doing this sweepers' work, on their profession that caste has come. This caste system is from profession. So anybody whose caste is agriculturist will be entitiled to acquire land. It is introducing the caste system from agriculture. Hance it is a violation of article 14.

राजा श्री मानसिंह (वैर) : Mr. Dy. Speaker Sir. I move several amendments on this Clause; which are :

(i) Replace the words and figures "on or after the first day of January, 1957 in anticipation of the passing of the Rajasthan Tenancy (2nd Ammendment) Act, 1959" by the words "after the date of enforcement of this Act."

(ii) In clause (a) delate the words "or in favour of a member of the family of such person or in favour of his other relations or friends."

(iii) Delate clause (b).

(iv) In clause (c) replace the figure "42" by the figures "30 C."

When I read the Section as a whole Sir, I was unable to understand the intention with which this section has been placed here. The section reads as :

"For the purpose of determining the Ceiling area in relation to a person under section 30 C, no transfer of the whole or part of the holding of such person which is proved to have been made by him

(राजा श्री मानसिंह)

on or after the first day of January, 1957 in anticipation of the passing of the Rajasthan Tenancy (2nd Amendment) Act, 1959."

I would like to point out Sir, that the Ceiling Committee was formed by the Rajasthan Government in November, 1953 Select Committee after considering this matter elaborately put forward his report which was placed on the table of the House in January 1958. The Bill that we are now considering Sir, was introduced in the House in October, 1958 and we are to pass this Bill after it has been amended by the Select Committee in December 1959. I am unable to understand that when the Committee was formed or the Bill was introduced or when the Bill is to be passed, how the Government have arrived at this wonderful figure of first January 1957. No doubt, Sir, they want to have a check on any transfer of land that have been made in anticipation of passing this Ceilings Bill. The Bill itself was introduced in 1958.

But this much I can say, Sir, that the Congress Party within itself and its party-men knew about this Ceilings Bill long before 1953 and if at all we are to give benefit to landless agriculturists, then we should enforce this Act from 1947, from the date of India's Independence. Since 1947 to 1953, or even beyond that upto 1957, I can prove, Sir, if I am given the time, that the Congress people who are not agriculturists, have taken lands in the names of their family members and relations.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : Do you mean to say that Congressmen have no right to exist on land ? They are as much entitled to it as you or any body else. There is no disqualification for Congressmen to acquire land if they want to settle down on agriculture.

राजा श्री मानसिंह : My meaning is that most of them acquired land though they were not agriculturists at that time. We have been told, and it has not been disproved, that people placed very highly in the Congress party have got lands in the names of their wives and wives' brothers. I would concede, Sir, and I will be willing to withdraw this amendment that I have put forward on the condition that the Government would agree to fix the date from which ceilings are to be imposed as the date of Independence in 1947. Then we can judge that those people who have had land transferred to them, have done it in all sincerety or not.

We are told, Sir, that after 1st January, 1957, transfer of land in anticipation of this Bill will not be recognised. But I may point out, Sir, that even a child born after 1957 could have been given birth in anticipation of this Bill. A person

(राजा श्री मानसिंह)

who knew that the Government is about to bring about this legislation could have increased his family to come within the maximum ceiling area prescribed. Therefore, any child that is born after 1957 should also be debarred from getting any advantage under this Act.

श्री उपाध्यक्ष : Has it actually happened ?

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): Might be, Sir.

श्री दामोदरलाल व्यास : With your permission, Sir. Does he mean to say that all transfers made by holders of large holdings in favour of their minor children should also be recognised ?

राजा श्री मानसिंह : I am not saying about recognition. I am saying that families may have been increased in anticipation of the passing of this Act. A family which consisted of 5 members in 1957, might have been increased by two children in anticipation of this Act so as to get more than 30 standard acres of land.

श्री दामोदरलाल व्यास : How they have increased their families ? By artificial means ?

श्री उपाध्यक्ष : They have been serious enough in procreation.

राजा श्री मानसिंह : What I mean to point out, Sir, is that if you could acquire land in anticipation of something, then you can also acquire land by increasing a family in anticipation of this Act.

श्री उपाध्यक्ष : But this line of argument is very delicate, Raja Man Singh.

राजा श्री मानसिंह : Secondly, Sir, I have moved the amendment to sub-section (a) which reads :— "... in favour of a member of family of such person or in favour of his other relations or friends......" I am unable to understand Sir, why the Government is introducing this particular sub-clause. I can understand it with regard to a member of the family that any transfer in favour of a member of the family of such person will not be recognised, because a member of a family may be dependent on the individual who has to receive the land within the ceiling area. But " in favour of his other relations or friends", this is what I cannot understand. It is quite possible for a person having excessive land to transfer that to his other relations or friends who might be landless agriculturists, and if we are to deprive these agriculturists from getting advantage because they happen to be related to the person who has to surrender land to the Government, I think it is most incorrect. Then the question of friends comes in. Who is

राजाश्री मानसिंह)

a friend and who is an enemy in our country? We are all citizens of India and all citizens of India are my friends. So the whole idea of this particular word being introduced in this sub-clause is ridiculous. It is mischevious. I, therefore, have moved the amendment that the words "or in favour of other relations or friends" be deleted. My third amendment is for deletion of clause (b). As my friend from Phulera has pointed out, how does a person become an agriculturist in future?

According to this Act, a person cannot become an agriculturist after 1957 except either by doing the profession of agriculture already on some-one else's land or by acquiring land and cultivating it himself. Today we have a profession of lawyers, but a person does not become a lawayer by birth. He has to learn the profession and take his place there. Similarly an agriculturist does not become an agriculturist by birth. A person who is born in an agriculturist family need not be an agriculturist by profession, and if a person who is not born in an agriculturist family adopts the profession of agriculture, I think he cannot be debarred from doing so. The clause as it stands at persent, means that any person who has been practising the profession of agriculture for the last two years has to be deprived of land in future, and during these last two years, where he might have taken advantage of another profession, now he will be deprived of his profession of agriculture on the one hand and on the other hand cannot have the same advantage to go to any other profession. Therefore, I have suggested, Sir, that this sub-clause be deleted.

Lastly, Sir, my amendment is to replace the figures "42" by the figures "30 C" in clause (c). There is another amendment by the Hon'ble Minister which reads :-

In clause (c) of sub-section (1), after the word and figures "section 42" insert "as it stood before the passing of the Rajasthan Tenancy (Sixth Amendment) Act, 1959."

Section 42 of the Tenancy Act reads as under :-

"42. Sale or Gift.— Except with the general or special permission of the State Government, no khatedar tenant shall have the right to transfer by sale or gift his interest in the whole or part of his holding to any person who at the date of such transfer is already in possession of land which, together with the land so transferred, will exceed 9o acres of un-irrigated or 39 acres of irrigated land ."

It is quite possible, Sir, that when the schedule of ceilings is worked out with regard to different areas, it may be more than what is mentioned in the Tenancy Act, inSection 42. I feel that if we are to limit future acquisition of

(राजा श्री मानसिंह)

any land, it should be in relation to the ceiling that we have just now passed. Therefore, I suggest that figure "42" that is mentioned in sub-section (C) be deleted and replaced by the figures "30C". The whole section in fact, Sir, seeks to take away from the agriculturists the right of distribution amongst them-selves of the land that has to be surrendered. The land may be surrendered to any other agriculturist or it may be surrendered to the Government. What is the difference ? But the Government wishes to take up this right and distribute the land on their own. I feel that the Government in power at the moment is not completely impartial and they will distribute land only to their own party henchmen who are supposed to be landless, or to co-operative societies formed of their party-men who are supposed to be landless.

Therefore, I appeal to the Hon'ble Minister concerned that he would accept my amendment.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मेरा है वह इस प्रकार है जनवरी, ५७ की जगह ५३ रखा जावे। [Substitute the figures '1953' for '1957' in sub-Section (1)]

पीछे वाले ४७ कहते हैं तो अच्छा है। इतने आगे आप बढ़ जावें तो अच्छा है। ४७ में जबर्दस्त क्रान्ति हुई थी। पर ५७ में जो असली आजादी मिल रही है वह किस प्रकार की है, हमें यह देखना है।

इस सीलिंग बिल में चार रास्ते थे जहां से वाकई में भूमिहीनों को जमीन मिल सकती थी और कुछ ऐसे लोगों को भी जमीन मिल सकती थी जिनके पास अनइकोनोमिक होल्डिंग्स थीं।

पहला सबसे बड़ा रास्ता यह था कि जिस समय ५३ में रिपोर्ट आई उसी वक्त सीलिंग रख दिया जाता और जल्दी ही उस पर कार्यवाही हो जाती। हमने इसका प्रचार बहुत लम्बा चौड़ा किया। इसके बाद दूसरे चुनाव देश में आये। जोरों से हमने प्रचार किया कि हमने इतना परिवर्तन तो कर दिया है, और इतना नया परिवर्तन करने वाले हैं। घबराओ मत। आपको जमीनें मिल जायेंगी। आप भूमिहीन नहीं रहोगे। इस प्रकार ५३ का जमाना गुजरा। ५६ में भी फिर सत्ता उन्हीं लोगों के हाथों में आई। जिन्होंने जोर-जोर से कहा था और उम्मीद कुछ बंधी थी कि जरा ऐसा सीलिंग निकलेगा कि उनको भी कुछ जमीनें मिलेंगी। पर वह समय भी गुजर गया।

५६ का समय आया और यह कानून बनने लगा। तो पहले की सारी अभिलाषायें तो तीस स्टेन्डर्ड एकड़ के साथ आई। इसके साथ दूसरी अभिलाषायें भी हैं, जिनको पूरा करने की आशा लगाये बैठे थे। पर इसमें भी ५७ का शब्द इस प्रकार डाल दिया कि ५३ के बीच में जितनी भी जमीनें हस्तान्तरित हुई वे सब जायज गिन लों। अगर हिसाब लगाया जावे तो इस बीच में इतने हस्तान्तरण हुए हैं, किस तरह रजिस्टर बने, किस तरह

(श्री मुरलीधर व्यास)

सारी कार्यवाहियां हुई उसकी मिसाल पहले के इतिहास में नहीं मिलेगी कभी। ये किस लिए हुई ? क्या कारण था, इसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं। कारण बिलकुल स्पष्ट है। किसी न किसी प्रकार कानून के आने से पहले उससे बचने की इच्छा। जितने परिवार के मित्र, मिलने-जुलने वाले, घर में जो भी मिला उसको जमीन बांटी गई। ये कार्यवाहियां इतनी धड़ाके से हुई कि जैसी कभी कभी टिकिट के लिए लाइनें लगानी पड़ती थीं वैसे इन की रजिस्ट्री कराने के लिए लोग लाइनों में खड़े रहे।

तो यह सारा जो कुछ भी हुआ इससे बहुत आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि यह इसलिए हुआ कि जो सीलिंग हो रहा है और उसका जो मूल उद्देश्य है उसको नाकामयाब किया जाये। इसके सिवाय और दूसरा उद्देश्य नहीं है। आप कहेंगे कि नाकामयाब से आपका क्या मतलब है, यह तो हमारा हक था। परन्तु बनाने की एक मन्शा होती है और कानून उसी को कानून कहा जाता है कि जो वाकई कानून बनने के बाद जिस उद्देश्य को लेकर बनाया जाता है उस उद्देश्य की पूर्ति हो। अगर उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है तो कानून चाहे कितना ही अच्छा हो, चाहे उस पर बहुत सा रुपया लगा हो, आम लोगों के दिमागों को गुमराह करने के लिए अच्छा हो सकता है लेकिन आम जनता के लिए और उस आदमी के लिए जो कि इस कानून की राह देखता था उसके लिए यह कानून रद्दी की टोकरी हो सकता है और कोई दूसरी चीज नहीं हो सकता। कानून, वही कानून होता है जो कि उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। मैं कहता हूँ कि आपका सीलिंग का कानून चाहे कितने ही ऊंचे दर्जे का हो अगर वह उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता है या कानून की तुलना की दृष्टि से उसमें कुछ कमी रह जाती है तो वह बेकार ही है........

श्री उपाध्यक्ष : You are coming to the general policy of the Bill. I will request you please to confine to the point.

श्री मुरलीधर व्यास : तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब हम कानून बना रहे हैं और कानूनी उद्देश्यों को लेकर बना रहे हैं और वह कानून जिस तरीके से बन रहा है और जो तिथि उसमें जनवरी सन् १९५७ रखी है वह कानून के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकता। इसलिए अगर यहां १९५७ कर दिया जाता है तो इससे मेरे खयाल से कोई राहत नहीं मिल सकती और इसलिए मैंने जनवरी, १९५३ रखा है और वह इसलिए रखा है कि १९५३ के बाद में कोई भी हस्तांतरण हुए हों वे सारे अवैध घोषित कर दिये जायें। आप चाहे १९५५ करें, ५६ करें या ५७ करें और उसमें इतना ही कानूनी मुद्दा बतायें कि दिक्कत आने वाली है तो, वह तो सब में ही आने वाली है याने अगर आपने १९५३ भी कर दिया तो भी वह दिक्कतें आने वाली हैं और सन् १९५७ कर दिया उसमें भी दिक्कतें आने वाली हैं। अगर १९५३ रखने से जो हमारा मूल उद्देश्य है उसकी पूर्ति होती है तो हम कामयाब हो सकेंगे। जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा कि जर्मीन तो लैंडलैस को दी जाये तो कानूनी मुद्दे को किसी प्रकार से भी आप टालो तो वह उद्देश्य हल होने वाला नहीं है अगर

(श्री मुरलीधर व्यास)

आप वाकई इसका हल ढूंढना चाहते हैं और जमीन देना चाहते हैं तो पहले मामले में तो कर दिया क्योंकि एक आदमी के पास ३० स्टेन्डर्ड एकड़ जमीन होनी चाहिये ताकि उसका जीवन निर्वाह अच्छा हो। हम नहीं चाहते कि सब को गरीब बना दें। अगर इस ३० स्टेन्डर्ड एकड़ से किसी ने दूसरा रास्ता निकाल लिया है और एक परिवार के आदमियों के पास ज्यादा ज़मीन चली गई है और यह स्थिति हो गई है तो उसका आप क्या उत्तर देंगे ? उसको तो यह नहीं कह सकते कि यह ५ आदमियों का परिवार है और सब को अलग-अलग देने से १५० एकड़ चली गई तो यह दलील उसके साथ नहीं जा सकती। मैं कहना चाहता हूँ कि किसी प्रकार से आप कानून को सफल बनाना चाहते हैं तो इसको सन् १६५३ कर दीजिये और इसके बाद में जो भी कानूनी दिक्कत आयेगी वह ५४, ५५ और ५६ सभी में आती रहेगी। लेकिन इससे यह लाभ जरूर होगा कि ऐसे बहुत से लोग जिनके बारे में हम कल्पना करते हैं और जिनको जमीन देना चाहते हैं तो यह परिवर्तन करना चाहिये। मैं समझता हूँ कि अगर राजस्व मंत्री महोदय ने कम से कम पहला परिवर्तन नहीं किया और उसके पीछे दलील दी और उसको नहीं माना पर फिर भी यह दूसरा परिवर्तन इस प्रकार से करते हैं तो मैं समझता हूँ कि बड़ा भारी क्रांतिकारी कदम माननीय राजस्व मंत्री महोदय का होगा और उस कदम से वह वाकई में कुछ न कुछ जमीन निकाल सकेंगे और जो उन्होंने अपना दृष्टिकोण बना रखा है कि हम सब के लिए सामान्य न्याय चाहते हैं और इसी तरह की व्यवस्था चाहते हैं तो उसमें समता कर सकेंगे। यह अगर नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले तीसरे दरवाजे से रास्ता निकल जायेगा, जिससे जमीन निकल जायेगी। पहला निकल गया, दूसरा निकल गया और तीसरा मैकेनाइज्ड फार्म में से दरवाजा निकल जायेगा। इस तरह से आपने चार ऐसे रास्ते रख दिए कि अगर आपने गंभीरता के साथ कहीं पाबन्दी नहीं लगाई तो आपका कानून क्रांतिकारी कानून नहीं होगा और जो आप करना चाहते हैं वह नहीं हो सकेगा। इसी दृष्टिकोण से मैंने यह संशोधन रखा है कि सन् १६५७ के बजाय जनवरी, १६५३ कर दिया जाये। क्योंकि १६५३ के बाद ही यह सब हुआ है इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इसके पीछे गम्भीरता से सोचेंगे और कानून में एक रास्ता तो ऐसा रखेंगे कि ऐसे लोग जो भूमिहीन हैं और जिनके पास कम जमीन है उनको कुछ न कुछ जमीन मिल सके। अगर आप सारे रास्ते खुले रखेंगे तो मैं बताऊंगा कि सारा कानून आपकी रद्दी की टोकरी में होगा और यह कोई क्रांतिकारी कानून नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भोगजी भाई।

(अनुपस्थित)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन क्लॉज ३, सेक्शन ३० डी, सब-सेक्शन (१) में इस प्रकार है :

Substitute the figures "1945" for "1957" occurring in the fifth line

मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि जो

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

आप सीलिंग लगाने जा रहे हैं, और सीलिंग से ऐसे तबके को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, जो कि अभी तक उस लाभ से वंचित रहा है, तो उसके लिए यह राज्य सरकार को आवश्यक प्रतीत हुआ है कि कोई तिथि ऐसी नियत की जाये, कि जिससे बाद में अगर कुछ ऐसे लोगों ने जिनके पास बहुत सी जमीन है और उनकी आवश्यकता से अधिक जमीन है, तो वे उसे बेच दें, या किसी प्रकार से वह हस्तान्तरण कर दें उसके लिए कोई निश्चित तिथि होनी चाहिये और उस तिथि के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अपनी ओर से यह निश्चित किया है कि फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, १९५७। इसके साथ ही साथ कुछ संशोधन माननीय सदस्यों की ओर से आये हैं, जिनमें दो प्रकार की तिथि है। एक तो पीछे की और जो कि उसको बहुत पीछे की ओर ले जाते हैं, यहां तक कि हमारे देश में स्वतंत्रता का सूर्य उदय हुआ, वह ठीक उसी दिन से चाहते हैं कि इस प्रकार का कानून निश्चित कर दिया जावे, कि १५ अगस्त, १९४७ के बाद भी कोई भूमि इस प्रकार से हस्तान्तरण की गई हो, तो उसको कानूनी हक नहीं दिया जाये, ऐसा करने का। उसके बाद में जो दूसरी तारीख आती है, वह सन् ५३ की आती है....

श्री उपाध्यक्ष : सन् १९४७ का कोई अमेन्डमेन्ट नहीं है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : यह भोगजीभाई का है।

श्री उपाध्यक्ष : बस ड्राप हो गया।

कुछ माननीय सदस्य : वह उन्होंने मूव ही नहीं किया है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : और यहां भाषण में, मैं समझता हूं कि एक दो माननीय सदस्यों ने, चाहे तथ्यों को आगे निश्चित किये बगैर कहे हों, लेकिन कुछ दलील देते हुए ये शब्द दोहराये थे, कि अच्छा यह होता कि ४७ से लागू कर दिया जाता, और उस सिलसिले में उन्होंने कुछ कांग्रेस जनों के विरुद्ध भी बातें कहीं थीं, कि इससे शायद वे लोग कुछ अपने लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि वे गलत समझ रहे थे या कहने में गलती कर रहे थे। यहां पर जो कुछ इसमें दिया है, इस भूमि के हस्तान्तरण करने में उसका उद्देश्य उन लोगों से है, जिनके पास में ज़मीन बहुत सी है, और ज़मीन को काफी कीमत लेकर लोगों को बेच रहे हैं, या दूसरे रिश्तेदारों या और लोगों को दे रहे हैं। वहां पर उन्होंने कहा कि इससे कांग्रेस वाले बहुत सी ज़मीन ले चुके हैं। मैं समझता हूँ, कि कांग्रेसजन ले चुके हैं, तो इसमें ले चुकने का केस नहीं है। लेकिन हस्तान्तरण करने का है, जिनके पास जमीन रही है बगैर बेचे यह इसमें प्रावधान है। वहां पर किसी प्रकार से कांग्रेस जन की बात डालने के लिए दूसरी तरह से लाते हैं, कि इससे कांग्रेस वालों ने बहुत सी भूमि खरीदी हैं। उन्होंने अपने भाषण में सन् १९४७ का जिक्र किया था। उसके बाद दूसरी तारीख जो आती है वह सन् ५४ की आती है, और बाद में जो दिये हैं वह सन् ५७, ५६, सन् ५५, और शायद एक ऐसा भी संशोधन है, कि जब से फोर्स में आये, तब से लागू हो, मैंने इन सबके विरुद्ध अपनी तारीख रखी है, सन् ५४ की, और उसके लिए एक न्यायानुमोदित युक्ति

(श्री जुगलकिशोर)

मेरे पास है, और वह यह है कि यह जो सीलिंग का सिलसिला आरम्भ हुआ, उससे पहले तो कानून बनाना मैं समझता हूँ गैर-कानूनी है। कोई भी कानून ऐसे समय से लागू किया जाय, जब कि वह कानून अस्तित्व में ही नहीं हो। प्रशासनिक कार्य में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आता है, लेकिन सार्वजनिक हित में जो कानून होता है, आम तौर से वह कानून बनने के बाद लागू होता है। तो कानून बनने से पहले कानून लागू किया जाय। यह हमारे देश के संविधान और साधारण कानून के विरुद्ध है। लेकिन शायद किसी प्रकार की कोई भी प्रक्रिया आरम्भ होने को है, उसके तुरन्त बाद इस प्रकार से कानून बनाया जा सकता है। तो जहां तक सीलिंग कमेटी बनती है, उसका जो सबसे पहले फोरवर्ड है उसको मैं पढता हूँ।

"The Rajasthan Government appointed a Committee in November, 1953 to advise them about the fixation of ceilings on holdings of agricultural lands in Rajasthan."

यानी सबसे पहले सिलसिला नवम्बर ५३ से आरम्भ होता है, कि राजस्थान के अन्दर अधिकतम भूमि की सीमा का निर्धारण किया जाय, तो सन् ५३ का नवम्बर मास ५३ वें वर्ष का एक अन्तिम मास ही कहा जाता है एक दिसम्बर को छोड़कर। नवम्बर ग्यारहवां महीना होता है। इसलिए सन् ५३ से यदि कानून लागू किया जाता है, तो इसका मतलब यह है कि जब तक कानून का आधार ही नहीं है, उससे पहले से कानून लाने को तजवीज यहां रखी गई है, जिसको मैं अनुचित समझता हूँ। लेकिन जिस वक्त यह सिलसिला आरम्भ हो जाता है, नवम्बर ५३ में इस प्रकार सरकार एक निश्चय कर लेती है, कि इस प्रकार की एक कमेटी बनाई जाय, और मैं समझता हूँ कि उसका प्रचार भी उसी वक्त आरम्भ हो गया होगा, और उस प्रचार का परिणाम भी हो सकता है, कि यहां के लोग जिनके हित पर कुछ इससे असर पड़ता है, वे चौकन्ने हो सकते हैं, और चौकन्ने हो सकते हैं, यह संभावना ही नहीं, बल्कि एक तथ्य है, बल्कि वे चौकन्ने हुए।....

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : तिकोने हुए।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : तिकोने नहीं, चौकन्ने ही कहा जायेगा। तिकोने तो अब होंगे।

तो इसका मतलब यह है कि हम उस प्रकार का कानून आज लावें, कि भूमि का हस्तान्तरण एक ऐसे इरादे से, एक हमारे माननीय सदस्य ने उसमें यह भी शब्द जोड़ा है, कि वहां इरादा मेलाफाइड हो, शायद उन्होंने यही शब्द दिया है, इस प्रकार से किये गये हों, उनको ही कानून के विरुद्ध माना जाय। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों के पास भूमि रही है, उनका पहले हक रहा है, और साधारण स्थिति में चाहे कर्जा चढाकर कर चले आ रहे हैं, लेकिन भूमि को अपने पास से जुदा नहीं करते हैं। भूमि को एक पैतृक संपत्ति मानते रहे और साधारण स्थिति में भी जुदा नहीं होने दी है। उसमें कोई दूसरा इरादा होना संभव नहीं है। और क्या इरादा हो सकता है, सिवाय इसके कि वे यह समझते हैं कि ऐसा युग आ रहा है,

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

ऐसा समय आ रहा है जब कि अनाप-शनाप भूमि, अपनी आवश्यकता से अधिक भूमि नहीं रख सकेंगे। एक ऐसा समाजवादी युग आ रहा है तो एकमात्र उनका इरादा चाहे, मेलाफाइड कहें या बोनाफाइड कहा जाय, जिनाइन कुछ भी नहीं है। वह एक ही इरादा है, कि अब वे भूमि को नहीं रख सकते हैं, इसलिए अच्छा है, कि भूमि के बदले में कैश पेमेन्ट ले लिया जाय।

अब इसको कैसा इरादा कहा जाय, नेक कहें या बुरा। क्या इरादा हो सकता है, यह तो वे ही जानें। लेकिन जाहिर यही है, कि वे भूमि का हस्तान्तरण करते हैं, वे इस दृष्टि से करते हैं, और उसके बदले में कुछ पैसा लेते हैं और उसका परिणाम क्या होता है, कि सरकार जो कानून बनाने जा रही है, जिस वर्ग के हित में उस वर्ग के लिए वह भूमि नहीं बचती है। यदि उसको इसी प्रकार की छूट दे दी जाय कि जिसको चाहे दे दे, अपनी भूमि हस्तान्तरित करता रहे, ५४, ५५ ५६, ५७, ५८, ५६ और इसके बाद में भी जब तक कि यह कानून लागू हो, तो मैं समझता हूँ कि जिस उद्देश्य को लेकर इस कानून की रचना की गई है, जो कि इस युग की सब से बड़ी आवश्यकता है वह सारी विफल हो जाती है। जो उद्देश्य यही सीलिंग को लाने का है कि हमारे देश के अन्दर जो इतने भूमिहीन लोग हैं, जिनके पास भूमि बहुत कम है उनको भूमि देकर कुछ सम्पन्न बनाया जाय, कुछ सम्मानपूर्ण जीवन के योग्य बनाया जाय। वह उद्देश्य सारा विफल हो जाता है, यदि कोई ऐसा चैक इस तरह का नहीं लायेंगे, कि अब लोग भूमि को हस्तान्तरित नहीं कर सकते हैं तो भूमि को हस्तान्तरित करने के लिए सरकार ने लागू किया, तो बहुत देर की। उन्होंने रखी है ५७ की ऐसी तारीख है, जिस वक्त कि यह सीलिंग कमेटी बनी। और सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट बतलाती है, कि इसके कितने ही सदस्य स्थान-स्थान पर गये, यानी जिन गांवों में गये, तो वहां पर कह सकते हैं, कि खूब प्रचार हुआ होगा। पढ़े लिखे लोग जानते होंगें। सारे गांव के बड़े बड़े किसानों को मालूम हुआ होगा। लेकिन कमेटी के मेम्बर्स दौरा करते हैं। ५४ से दौरा आरम्भ होता है लगातार २, ३ साल तक होता है, और इसका काफी प्रचार हुआ। तो यह समझना अपनी बुद्धि को धोखा देना होगा, कि उन दिनों में लोग यह नहीं समझ पाये हैं, कि जिस जमीन पर वे दूसरे तरीकों से चले आ रहे हैं, यह भूमि जिसका संपर्क उनसे हजारों बरसों से उचित या अनुचित ढंग से और उसका लाभ उठाते आ रहे हैं, वह भूमि अब हमारे अधिकार में रहने वाली नहीं है। इसलिए स्वाभाविक है, कि अपनी भूमि का हस्तान्तरण करना उन्होंने तभी से आरम्भ कर दिया। वह आरम्भ ५४ मे कर दिया, क्योंकि ५३ में कमेटी बनी और लोगों ने समझ लिया। मेम्बर्स ने दौरे आरम्भ किये, तो लोगों ने समझ लिया। यह हो सकता है कि कुछ देर और लग सकती है, साल दो साल की, क्योंकि आज भी जिस गति से हम चल रहे हैं, और जो कुछ प्रावधान रखा है, स्टेन्डर्ड एकड़ का तो आज भी शंका तो यही होती है, कि इसमें दो तीन साल सरकार लगा ले, जिससे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी है, वह निकल जाय। एक कहावत मुझे याद आती है कि एक मनिहारा चूड़ीवाला,

Page No 73

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

अपने कन्धे पर बहुत सी चूड़ियां लेकर जा रहा था और कोई आदमी आया और उसको लाठी मार कर पूछा कि बंधी हुई क्या चीज है, तो उस मनिहार ने कहा, कि एक लाठी और मारो, तो कुछ भी नहीं रहेगा। अर्थात् तमाम चूड़ियां टुकड़े टुकड़े हो जायेंगी, तो कुछ भी नहीं रहेगा। यही चीज हमारे इस कानून में नज़र आ रही है। हम ५३ से विचार कर रहे हैं, कि सीलिंग लागू किया जाय, और हमारी कमेटी दौड़-धूप करती है, भागती है और चलती है, और कई चीजें लाते हैं, यहां पर, और आखिर ५९ के ऐसे अन्तिम दिनों में आकर हम इस पर विचार कर रहे हैं, और फिर उसके अन्दर भी शायद स्टेन्डर्ड एकड़ के दौरान में न मालूम कितना टाइम लगे। लेकिन उसमें आज भी यह यहां संशोधन पेश किया जाता है कि जिस वक्त से यह फोर्स में आये तब से वह हो, तो इसका मतलब यह है कि अभी दो तीन साल और चाहिये कि उस भूमि को हस्तान्तरित करते रहें। इस भूमि को हस्तान्तरित करते रहे, तो मैं समझता हूं, न्याय इस बात को चाहता है, गरीब बेकार इस बात को चाहते हैं, और युग इस बात को चाहता है कि भूमि का हस्तान्तरण उस दिन से रोक दिया जाय, जिस दिन से राजस्थान में वातावरण पैदा हुआ कि जो लोग बहुत दिनों से भूमि को कब्जे में रखते आये हैं, गरीबों और भूमिहीनों को वंचित रखा है, उनसे लेकर उन गरीबऔर भूमिहीनों को दी जाय और वह तरीका अच्छा कौन सा हो सकता है, न्यायानुमोदित हो सकता है, वह यही हो सकता है कि जब यह सीलिंग कमेटी बनी और जब से लोगों में इसका प्रचार हुआ, सीलिंग कमेटी नवम्बर ५३ में बन जाती है और नवम्बर और दिसम्बर इन दो महीनों में उसका प्रचार हो लेता है, और सन् ५४ से जो लोग उसका लाभ उठाना चाहते हैं कि जब तक कानून बने तब तक अपनी भूमि निकाल दें, उन्होंने अपना लाभ उठाना शुरू किया, अच्छा तो यह होता, कि उस दिन से ली जाय। सीलिंग कमेटी में भी यह प्रश्न आया था, उस कमेटी के मेम्बरों को भी आशंका थी कि सीलिंग कमेटी का प्रचार होते ही लोगों में यह भावना फैलती जा रही है, कि भूमि को इधर-उधर निकालें इसलिए कमेटी ने भी यह सवाल रखा, कि जल्दी से जल्दी कानून बनाया जाय, लेकिन किन्हीं कारणों से उसमें समय लगता रहा और आज भी यह प्रयत्न किया जा रहा है, कि समय टल जाय। इसी उद्देश्य से यह हुआ कि, जिस तारीख और सन् में सीलिंग लागू करेंगे, वह नहीं हो सकता और मुझे भय है, कि जिन लोगों के लाभ के लिए सीलिंग लगाना चाहते हैं, उनमें से शायद कुछ प्रतिशत ही उससे लाभ उठा सकेंगे। यह करीब-करीब हस्तान्तरित हो जायेगी, सन् ५७ से पहले भी काफी हो चुका है। यदि ५४ को तिथि मान लेते हैं और जिन लोगों ने हस्तान्तरित किया है, उस तारीख के बाद उनसे लेने की व्यवस्था करते हैं, तब तो इस कानून से फायदा होगा और यदि ऐसा न करके ५४ के स्थान पर सरकार ५७ पर आरूढ़ रहती है या दूसरे ऐसे संशोधन हैं, जो ५७ से भी आगे की तिथि देते हैं, उनके अनुसार तिथि कायम की तो सीलिंग का जो उद्देश्य है, वह कभी सफल नहीं हो सकता। इन शब्दों के साथ और इस आशा के साथ कि राज्य सरकार न्यायोचित संशोधन स्वीकार करेगी, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूँ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छब्ड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, धारा ३० डी पर मेरे तीन संशोधन हैं। मेरा पहला संशोधन है सब-क्लॉज १ में 'After first of Janury, 57' इनको हटाया जाय।

मेरा दूसरा संशोधन है सब-क्लॉज (ए) में "in favour of his other relations or friends" ये निकाल दिये जांय और तीसरा संशोधन है, सब-क्लॉज (बी) को डिलीट कर दिया जाय।

[संशोधन इस प्रकार हैं:—

Sub-section (1) (i) Delete "on or after the first day of January, 1957" occurring in the lines four and five;

(ii) delete the words "or in favour of his other relations or friends" occurring in clause (a)

(iii) delete clause (b).]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रथम संशोधन के विषय में कुछ निवेदन करूं उससे पहले सदन में जो घोषणायें मन्त्री जी के मुख से हो चुकी हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और वे घोषणायें इस प्रकार की हैं कि हमने परिवार की जो परिभाषा की है उसमें हमने पुरुष के साथ में स्त्री, बच्चे और मां को उसमें माना है और उसके बाद ३० (सी) में हमने फेमिली को युनिट मान लिया है, फेमिली की संख्या कितनी हो सकती है, यदि उसमें ५ व्यक्ति है और उनको ३० स्टेन्डर्ड एकड़ दी जायेगी, तब हम उस अनुपात को देखते हैं तब जो क्लाज इसमें है उसकी तरफ ध्यान देते हैं तो जितने भी ट्रान्सफर्स हुए हैं उन ट्रान्सफर्स के बारे में जिस प्रकार की आशंका मेरे से पूर्व वक्ता की है, सन् ५३ से सीलिंग लागू होना चाहिये जब से कमेटी बनाई गई क्योंकि तभी से लोगों ने ट्रान्सफर्स करनी शुरू कर दी। वे ट्रान्सफर्स जितने हुए हैं उनसे वे समझते हैं कि जमीन ऐसे लोगों के पास गई है जो एग्रीकल्चरिस्ट नहीं थे या उनके फ्रेन्ड या परिवार के लोग थे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि टिनेन्सी एक्ट में ट्रान्सफर करने की पावर दी है। जिसके पास जमीन है वह उसको ट्रान्सफर कर सकता है। यह पावर हर किसान को मिली है। यदि हम किसी कानून से उसके पावर पर प्रतिबन्ध लगाते हैं तो जब तक वह कानून एग्जिस्टेन्स में नहीं आता है उससे पहले बने हुए कानून से ट्रान्सफर्स हो चुकी हैं तो वह जायज है उस कानून से वह किसी को भी ग्रान्ट कर सकता है। टिनेन्सी एक्ट की धारा ४२ के तहत ट्रान्सफर कर सकता है, बेच सकता है, सक्सेशन में सेक्शन ४० की तहत दे सकता है। आज जो सक्सेशन एक्ट लागू है उसको कैसे चैलेन्ज कर सकते हैं। आज एक व्यक्ति मर जाता है उसके बाद निश्चित तौर से उसके जो उत्तराधिकारी हैं उनके पास ज़मीन उस व्यक्ति को दी जायेगी, म्युटेशन होगा अन्तकाल में उसका नाम आयेगा। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि सक्सेशन एक्ट या टिनेन्सी एक्ट की धारा ४२ के प्रोविजन के तहत किसी ने ट्रान्सफर किया है उसको आप किस तरह से इल्लीगल घोषित कर सकते हैं ; यह कानूनी मुद्दा है। आज जिस कानून ने अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को दूसरे कानून द्वारा उसे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देकर नकारात्मक नहीं कर सकते। यदि आपने इस प्रकार की बात को और उसके खिलाफ कोई हाई कोर्ट तक पहुंचा तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसने जो पहले ट्रान्सफर्स

(श्री दयाकृष्ण विजय)

किए हैं उन्हें वैधानिक माना जायेगा और उसको हटाया नहीं जा सकता। इसलिये सबसे पहली कानूनी आपत्ति यह है कि यदि किसी व्यक्ति को कानून ने अधिकार दिया है उसका लाभ उठाने से उसे वंचित नहीं कर सकते। यह सबसे पहला कानूनी मुद्दा है। इस प्रकार लिखना बिल्कुल अवैधानिक है कि सन् ५७ के बाद जितने ट्रान्सफर्स हुए हैं वे अवैधानिक समझे जायेंगे। यह इस प्रकार की बात है जो कानून की किसी सीमा में नहीं आती।

फिर मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि किसी ने ट्रान्सफर अपने बच्चे के नाम या पत्नी के नाम या मां के नाम किया है, ऐसे बहुत कम उदाहरण होंगे जिसमें दूसरे लोगों को बख्शीश किया हो और जिन लोगों ने जमीन को बेचा है, रुपये लिए हैं और जिन लोगों को बेचा है और जिन्होंने खरीदा है आपके कानून के तहत उसको कैसे अवैधानिक करार दे सकते हैं। आपका टिनेन्सी एक्ट ५५ से फोर्स में आया है, यदि जमीन ज्यादा है तो न बेच सकते हैं और न खरीद सकते हैं। आप हर एक को कानून से बेचने या खरीदने का अधिकार देते हैं लेकिन यह कानून पास करने के बाद कहते हैं कि सीलिंग से अधिक जमीन किसी के पास हो तो ३ महीनों में सारी जमीन बेच दें तो निश्चितरूप से उनको बेचनी पड़ेगी वर्ना सरकार अपने कब्जे में करेगी तो जब इस प्रकार का ऑर्डर निकलेगा कि सब लोग बेच दें ३ महीने में तो सभी लोग जमीन बेचने को तैयार हो जायेंगे और जमीन का भाव गिर जायेगा। जब सप्लाई ज्यादा होगी और डिमान्ड कम हो गई तो इकोनोमिक्स का जो सिद्धान्त है उसके अनुसार प्राइस या वेल्यू गिर जायेगी। आज किसान खरीदने वाला है लेकिन सीलिंग के बाद कोई ऐसा नहीं होगा जो जमीन खरीदने के लिए लालायित होगा क्योंकि जमीन ऐसी चीज नहीं है जिसे हरएक ले ले। जमीन पर जो खर्च करता है उसको थोड़ा बहुत समय व्यक्तिगत रूप से देना पड़ेगा।

जमीन को खरीदने के लिए लालायित तो किसान होंगे। आप चाहते हैं कि किसान को जमीन कम पैसे में मिले तो यह आवश्यक हो जाता है कि आप ऐसी सिचुएशन क्रियेट करें, ऐसा वातावरण निर्माण करें कि काश्तकार जमीन देने के लिए मजबूर हो जाय और किसान जमीन को खरीदने की इच्छा न करे, तो भी उसे आसानी से कम पैसे में जमीन मिल जाय। इस प्रकार की स्थिति के लिए आवश्यक है कि आप किसी प्रकार की डेट न लगाते हुए यह प्रोविजन बढ़ा दें कि जिनके पास एक्सेस जमीन है वे तीन महीने में अपनी जमीन बेच दे, अगर नहीं बेचेंगे तो सरकार उनसे अवाप्त कर लेगी, सरकार वह भूमि ले लेगी और अपनी मर्जी के अनुसार, बाजार भाव के अनुसार या कम पैसों में वह जमीन बेच देगी। मैं समझता हूँ जो खेती कर सकते हैं वे जमीन खरीदेंगे। आज जमीन खरीदने की भूख बहुतों को है, जमीन के लिए बहुत लालायित हैं, यह सही बात है। लेकिन काश्तकार जानता है कि काश्त करना आसान काम नहीं है। शहर वाले, शहर में रहने वाले यह मानते हैं कि जमीन को कोई भी खरीद लेगा, लेकिन यह सही नहीं है। मैं समझता हूँ कि यह पाबन्दी नहीं कर सकते कि काश्तकार ही जमीन खरीदेगा, पर यह पाबन्दी लगा दीजिये कि जो जमीन खरीदेगा,

(श्री दयाकृष्ण विजय)

वह लैंडलैस व्यक्ति ही खरीदेगा। इस प्रकार का वातावरण आप पैदा कर देंगे तो लोग जमीन छोड़ने के लिए मजबूर हो जायेंगे। वे जमीन को छोड़ेंगे तो जमीन की प्राइस नीचे जायेगी, यह अर्थशास्त्र का माना हुआ सिद्धान्त है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि यह जो कानूनी मुद्दा खड़ा हो जाता है कि जो ट्रान्सफर हुए हैं इस कानून से बनने के पहले, अभी तो यह कानून बन ही रहा है, न जाने कब यह लागू होगा, उस बीच जो ट्रान्सफर हो जाते हैं, सक्सेशन एक्ट के तहत हो जाते हैं, वे इस कानून के अनुसार वैधानिक रहेंगे क्योंकि जो कानून एग्जिस्टेन्स में नहीं आया है, आने वाले कानून के पहले किसी कानून के अनुसार जो ट्रान्सफर हुए हैं, वे अवैधानिक करार नहीं दिये जा सकते। आप किसी कोर्ट में जाकर देख लीजिये, उसमें निश्चित रूप से आप जीतेंगे, यह मेरा दावा है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का प्रावधान रखना अनुचित है। फिर आपने रखा है :

"in favour of a member of his family or his other relations or friends...."

जहां अपने मेम्बर के नाम पर म्यूटेशन करने का प्रश्न है, जमीन को ट्रान्सफर करने का प्रश्न है, मेरे को आपत्ति नहीं हो सकती, किसी को आपत्ति नहीं हो सकती क्योंकि परिवार में हसबेन्ड है, वाइफ है, और चिल्डरन को इसमें इन्कलूड कर लिया है। उनके नाम पर जमीन होगी तो वह भी इन्कलूड कर ली जायेगी। जब तक वे सेपरेट फेमिली बनाने के योग्य न हो जायें, तब तक वे फेमिली में ही समझे जायेंगे। जिन्होंने म्यूटेशन बच्चों के नाम पर कर रखा है, तो वह सेपरेट फेमिली नहीं हो सकती। आप कहते हैं कि हसबेन्ड, वाइफ, चिल्डरन से मिल कर एक फेमिली बनेगी, जो डिपेन्डेन्ट हैं, माता-पिता के, वे सेपरेट फेमिली कैसे बना सकते हैं, जब यह नहीं हो सकता तो उनके नाम पर जो जमीन ट्रान्सफर हुई है, वह वैधानिक है या अवैधानिक है, वह सीलिंग के एरिया के अन्तर्गत समझी जायेगी, पांच व्यक्तियों की फेमिली के अन्तर्गत समझी जायेगी। जहां सन्स के नाम पर जमीन ट्रान्सफर की है, वह सीलिंग एरिया से अधिक है तो वह निश्चित रूप से ले ली जायेगी, चाहे यह सन की है, वाइफ की है, मदर की है, इससे अन्तर नहीं पड़ता क्योंकि पांच व्यक्तियों से मिल कर फेमिली बनी है, हसबेन्ड नहीं कह सकता कि मैं अलग हूँ, वाइफ नहीं कह सकती कि मैं अलग हूँ, माइनर सन्स नहीं कह सकते कि हम पिता से अलग हैं, उन सब से मिल कर ही फेमिली बनती है। जब ऐसा है तो जो ज़मीन ट्रान्सफर हो चुकी है, उसे आप स्वीकार न करें, न मानें, रिकगनाइज न करें, इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप कानून बना चुके हैं और उस कानून के अनुसार फेमिली को मान्यता दे दी है तब इस बात को लिखना कि फेमिली मेम्बर के नाम पर हुए ट्रान्सफर को स्वीकार नहीं किया जायेगा, यह गैरजरूरी है। यदि रिलेशन्स, फ्रेन्ड्स, मित्र या रिश्तेदार के नाम पर ट्रान्सफर किया है, तो मेरी जैसी मान्यता है, अगर उसके पास सीलिंग एरिया से कम जमीन है, तो वह काश्तकार के पास जमीन पहुंचेगी, वह उसके साथ-साथ दूसरा कोई धन्धा नहीं कर सकता, अगर दूसरा धन्धा करेगा तो उसे नुकसान रहेगा। आज के जमाने में जब आप डवलप्ड मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर सब को दे रहे हैं, इर्रिगेशन का प्रबन्ध कर रहे हैं, बारानी

(श्री दयाकृष्ण विजय)

जमीन को काश्त कर सकता है, एक हवाली के जरिये, लेकिन इर्रिगेशन के लिए जब तक वहां पर कोई व्यक्ति निगरानी के लिए नहीं रहेगा, तब तक सिंचाई नहीं हो सकती। इसलिए यह जो क्लॉज़ है फ्रेन्ड्स, रिलेशन्स के नाम पर जमीन ट्रान्सफर नहीं हो सकती, यह गैर जरूरी है, इसकी आवश्यकता नहीं है। यह ऐसा प्रोविजन है, कि जो प्रोविजन पहले रखा है, उसके खिलाफ पड़ता है। क्लॉज् बी में है :

"(b) in favour of a person who immediately before tbe date of such transfer was not agriculturist,"

आप यह बात कहना चाहते हैं : "Landless person shall mean an agriculturist by profession who cultivates or can reasonably be expected to cultivate land."

यहां पर रीजनेबली एक्सेप्ट करते हैं, यहां पर इस बात का विश्वास करते हैं कि इसमें पुरुषार्थ है कि जमीन को कल्टीवेट कर सकता है, चाहे वह काश्तकार है या नहीं। यह नहीं लिखा है आपने कि एग्रीकल्चरिस्ट होना चाहिए "reasonably be expected to cultivate land"

तो आप जब एक कानून बना चुके हैं तो उसके विपरीत जाने वाला कानून नहीं बना सकते। जिन व्यक्तियों के नाम पर ट्रान्सफर किये हैं, वे काश्तकार नहीं थे, इसलिए गैर कानूनी है या अवैधानिक है। आप यह किस प्रकार कह सकते हैं, जब आपने कहा है कि कोई व्यक्ति, जिसमें सामर्थ्य है, या जिसके विषय में विश्वास करते हैं कि वह खेती कर सकता है और इस प्रकार के व्यक्तियों को ट्रान्सफर ज़मीन हुई है तो वह वैधानिक समझा जायेगा, अब यह कहना कि वे काश्तकार नहीं है, इस बात को सिद्ध करना बड़ा मुश्किल है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर

२.५७ म० प०

(श्री आबिद अली, सभापति, पदासीन)

सक्सेशन एक्ट के तहत ट्रान्सफर हुआ है, यह जरूरी नहीं है कि जो सन्स हैं या महिला है, जिसके नाम पर ट्रान्सफर हुआ है, वह खेती करता हो यह कैसे हो सकता है। इसलिए इस प्रकार की बात रखना सम्भव नहीं है और बनाये हुए कानून के विपरीत है इसलिए मैं समझता हूँ कि यह सब अवैधानिक है और गैर जरूरी है, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं तो यह मानता हूँ कि इस क्लॉज की आवश्यकता नहीं है, इस सारे क्लॉज़ को हटा लिया जाता है तो बहुत बड़ा आसमान गिरने वाला नहीं था। इसके बजाय यह रखा जाता कि जिन लोगों के पास एक्सेस ज़मीन है, उनको ऑप्शन देते हैं, उनके लिए समय निर्धारित करते हैं कि इस समय के अन्दर ज़मीन को बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। इस बीच बाजार भाव गिर जाता है, तो काश्तकार को सस्ती जमीन मिलती और लैंडलैस लोग जमीन खरीदते और जो अवैधानिक कार्य कानून के जरिये हो रहा है, वह रूक जाता और इसके साथ ही साथ आप न्याय कर सकते। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, जिनको मैं कह चुका हूँ, फिर भी यह मानी हुई बात है कि कम से कम जो कुछ ट्रान्सफर हो चुके हैं, उनके लिए यह कहना कि १९५३ में कमेटी बन

(श्री दयाकृष्ण विजय)

गई थी, इसलिए लोगों ने जमीन ट्रान्सफर कर दी है और जिनको ज़मीन मिलनी चाहिए वे इससे वंचित हो जायेंगे। यह मेरी समझ में नहीं आता है। मैंने पहले कहा था और अभी जैसा माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमारे पास १० लाख एकड़ जमीन है और हमारे पास लैंडलैस की संख्या है, वह चार लाख के करीब है, उसके बंटवारे से कुछ भी ज़मीन मिलने वाली नहीं है। हमारे पास भूमिहीन लोगों की समस्या है, उनके लिए क्या किया जाय। मैंने जैसा पहले कहा उनके लिए आल्टरनेटिव मीन्स काम में ले सकते हैं। जैसा मैंने सुझाव दिया था इसमें यह पाबन्दी लगाई जा सकती है कि भविष्य में सेल होगी वे एग्रीकल्चरिस्ट को होगी और वह सीलिंग एरिया से अधिक नहीं होगी, इससे किसानों को सस्ती ज़मीन मिल जायेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ३० डी की आवश्यकता नहीं है, इसको हटा दिया जाय तो कोई बड़ी भारी बात नहीं होने वाली है। यह रखा जाय कि जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उनको ऑप्शन दिया जाय कि जो ज़मीन ज्यादा है वे तीन महीने में बेच दें और बेच कर काश्तकार को दे दें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ और यह चाहता हूँ कि मेरे तीनों संशोधन स्वीकार किये जायं।

श्री सभापति : श्री अनोपसिंह।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : [(1) Insert the following words between the word 'friend' and the comma occurring in clause (a) in sub-section (1):—

'not engaged in the profession of agriculture, or in favour of a member of the family not normally entitled to a share in the family holding."

(2) Substitute the word 'any' for the article 'a' occurring in the first line.]

माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन में बड़ी अजीब तरीके की यह बात सुनने को मिली, दोनों तरफ से आई, इधर से भी और उधर से भी। कइयों ने ऐसा माना कि हमको किसी चीज की मालूम पड़ जाती है तो उसके लिहाज से उससे पहले से कदम ले लेना चाहिए, कइयों ने ऐसा माना कि अगर सीलिंग का कानून आपने जो पास किया है, उसके अन्दर यह धारा रखी गई और इसके ऊपर पाबन्दी नहीं हुई तो पहाड़ गिर जायेगा, भूमिहीन व्यक्ति खत्म हो जायेंगे, लैंडलैस व्यक्ति को जमीन नहीं मिलेगी और जिनके पास जमीन है वे मालदार हो जायेंगे, बैंक बेलेन्स ज्यादा हो जायेगा, क्या क्या हो जायेगा, पहाड़ गिर जायेगा, तूफान आ जायेगा, न मालूम कितनी बातें सुनने को मिली। मैं समझता हूँ कि एक चीज किसी ने सोच कर नहीं देखी, मेरा यह कोट है, अगर मैं किसी को देना चाहता हूँ तो मैं दे सकता हूँ........

३ म० प०

कौन सी रुकावट है ? अगर मेरे घर में से मैं किसी को हिस्सा देना चाहता हूँ कि मेरे घर में वह ठहर सकता है, तो इसमें किसी को क्या बाधा है। मान लीजिये मेरी एक दुकान है, मैं उसमें किसी को साझा देकर रखना चाहता हूं या बिलकुल ही उसको सौंप देना चाहता हूँ कि मेरी दुकान का एक हिस्सा या पूरी की पूरी दुकान तुम ले सकते हो तो इसमें किसी को क्या बाधा है। मैं तो

(श्री अनोपसिंह)

यह समझता हूँ माननीय सभापति महोदय, कि हमारा यह वैधानिक हक था कि हम अपनी चीजों को बेच सकें, हम हमारी जमीनों को बेच सकें। एक को जमीन चाहिये और दूसरे को पैसा चाहिये इसमें किसी को क्या बाधा....

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : जमीन आपकी नहीं है।

श्री अनोपसिंह : राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लिहाज से काश्तकारों को उन जमीनों पर जिनको कि वे खड़ते हैं, प्रोप्राइटरी राइट्स दिये हैं, वह उस जमीन को बेच सकता है, खरीद सकता है, जमीन उसकी अपने आपकी नहीं तो क्या किसी के बाप की है?

(हंसी)

जो जमीन को खड़ता है उसकी है, और जब तक वह उस जमीन को खड़ता है, बेच सकता है।

डा० बहादुरसिंह : जो जमीन को खड़ता है, उसकी है, यही तो मैं कहता हूँ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : यह कानून बन जाय कि जो जमीन को जोतता है, उसकी ही जमीन है।

श्री अनोपसिंह : यही मान लें कि जो जमीन खड़ता है उसकी है, उस हालत में भी खड़ते–खड़ते कोई जमीन को बेचता है तो इसमें क्या एतराज है....

श्री मुरलीधर व्यास : जिन लोगों ने बेची है ...

श्री सभापति : No interruptions please.

श्री अनोपसिंह : सभापति महोदय, सुनने को मिला कि नौकरों को, मित्रों को रिश्तेदारों को और बच्चों को जमीनें दे दी। दी तो उन्हीं लोगों को है न कि जो पाने के हकदार थे या जो जमीनें खरीदने के लिये लालायित थे, जो पैसा दे कर जमीन लेना चाहते थे उन्हीं को तो जमीनें दी होंगी, कोई रास्ते चलते किसी के ऊपर फेंक तो दी नहीं होगी।

अगर किसी काश्तकार के तीन भाई हैं, इस तरह की चीजें, मैं गांवों में फिर–फिर कर देख कर आया हूँ इसलिये यहां रख रहा हूँ। उन तीनों भाइयों में से दो भाई मर गये और एक भाई रह गया, उसके सिर्फ एक बच्चा है, उस बच्चे के नाम और भाई के नाम काफी तादाद में जमीन है। तो आप इस तरह उसको महरूम करना चाहते हैं कि तू जमीन बेच नहीं सकता। वह चाहता है कि रिश्तेदारों को, अपने दूसरे भाइयों को, मित्रों को जमीन देकर पैसा ले ले, वह देखता है कि मेरे कमाने वाले चले गये, इसकी बजाय मुझे इधर से पैसा मिल जाता है तो थोड़े दिनों तक अपना गुजर चला लूं, तो इसमें माननीय सदस्यों को एतराज है कि वह जमीन नहीं बेच सकता। वह अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, पडौसियों को जिनके पास कि जमीनें नहीं हैं उन्हें जमीन नहीं दे सकता, कारण क्या है? सिर्फ यही कारण है कि आप मेरा कोट लेकर कहते हैं कि हम आपका कोट लेते हैं पर यह कोट हम चाहेंगे उसको देंगे, मुझे पता नहीं चला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरा कोट लेते हैं और

Page No 80

(श्री अनोपसिंह)

कहते हैं कि जिसको हम चाहेंगे उसको देंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि आप किसी पर्टिक्यूलर तबके को, जाते को, अपने जी हुजूरयों को, जो आपसे लगाव रखते हैं, जिन पर आपकी मेहरबानी है उनको देना चाहते हैं।

या तो यह कह दीजिये कि किसी खास जाति या तबके को देना चाहते हैं या आप अपने रिश्तेदार को देना चाहते हैं, आखिर माजरा क्या है ?

श्री मुरलीधर व्यास : जिसके पास कोट पहनने को नही है उसको दे रहे हैं।

श्री सभापति : No interruptions please.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : (श्री मुरलीधर व्यास से) आप अपनी जाकेट दे दीजिये ।

(हंसी)

श्री अनोपसिंह : मतलब यह हुआ कि मैं अपना कोट नहीं बेच सकता, मेरे पास पहनने के लिये दूसरा कोट है, फिर भी नहीं बेच सकता। हम कानून बनाना चाहते हैं पर अपनी नाक से आगे देखना नहीं चाहते। दस पन्द्रह वर्ष आगे देखना नहीं चाहते आप जो कानून बना रहे हैं उससे कई नई प्रोब्लेम्स खड़ी होंगी और लोग आपस में लड़ेंगे। यदि आप यह पाबन्दी लगाना चाहते थे तो आपको चाहिये था कि ६ महीने का नोटिस देते कि जिनके पास ज्यादा जमीनें हैं वे ६ महीने के अन्दर अन्दर बेच सकते हैं तो जिनके पास ज्यादा जमीनें हैं वे बेच सकते हैं और जिनके पास नहीं हैं वे खरीद सकते हैं। आखिर आप भी तो यही करेंगे न, कि जिनके पास ज्यादा जमीनें हैं उनसे जमीनें लेकर उन लोगों को देंगे जिनके पास कि जमीनें नहीं हैं। पर आप यह चाहते हैं कि जिसको आप चाहें उसको ही जमीन दें। आप कोऑपरेटिव्स बनाना चाहते हैं पर पता नहीं आपकी कोऑपरेटिव्स कब बनेंगी, कितनों के पास रोटी रहेगी और कितनों को भूखों मरना पड़ेगा, इस पर मैं अभी नहीं कहना चाहता।

पर आप पंजाब की तरह कर सकते थे कि ६ महीनें का नोटिस दे सकते थे कि इस समय में जो चाहे अपनी जमीन बेच सकता है, आप उसको दे सकते हैं जो कि काश्त करता है। आप यह कर सकते थे कि जो व्यक्ति दो साल तक काश्त नहीं करे, जमीन को पड़ी रखे उससे आप जमीन ले सकते थे। पर यह आपका कौन सा सोशियल जस्टिस है कि मैं अपना कोट बेचना चाहता हूँ और आप कहते हैं कि आप नहीं बेच सकते। एक काश्तकार खरीदना चाहता है वह जमीन खरीद नहीं सकता और जो बेचना चाहता है वह बेच नहीं सकता। हमने जिस दिन आजादी पाई तो क्या हमें उस दिन यह हक नहीं था कि हम अपनी चीज को बेच सकें। हमें यह हक प्राप्त है हमारे संविधान के अनुसार कि जो चाहें वह धन्धा करें, आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि खेती करो ही।

लैंड लैस लेबरर्स के बारे में माननीय सदस्यों ने बड़ी दिलचस्प बातें रखी....

श्री सभापति : आप अपना अमेंडमेंट

Page No 81

(श्री सभापति)

रख रहे हैं या दूसरों ने जो आग्यूमेंट्स रखे हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं....

It is the functi)n of the Hon'ble Minister to reply to the arguments placed in the House.

श्री अनोपसिंह : मैं वही अर्ज कर देता हूँ। मेरा अमेंडमेंट यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने रिश्तेदार को, फेमिली के मेम्बर को जो कि काश्तकार की क्वालिफिकेशन्स को पूरा करने वाला हो, फिर वह चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो, बच्चा हो या काका हो, कोई भी हो, काश्तकार होने के नाते जमीन पाने का हकदार है उसको वह जमीन दे सकता है।

डा० बहादुरसिंह : चाहे नाबालिग हो?

श्री अनोपसिंह : नाबालिग है तो वह फेमिली में आ जाता है।

Whether he is a 'Nabaligh' or not 'Nabaligh', he has a right to take a share from that family to which he belongs.

यह भी मेरा संशोधन है, यही मेरे अर्ज करने का खास मतलब था, डेफिनेशन में सबसे बड़ी शर्त काश्तकार है। इसके साथ साथ अपने घर में कस्टीमरी राइट्स से नॉरमली उस प्रोपर्टी में हिस्सा पाने का हकदार था, उस हिस्से को अगर वह पा ले तो यह गैरकानूनी चीज नहीं होनी चाहिये। यह बहुत छोटी सी और इन्नोसेंट चीज है, जैसा कि हर चीज के लिये माननीय राजस्व मंत्रीजी कहते हैं कि यह तो बड़ी इन्नोसेंट चीज है इसे स्वीकार कर लेना चाहिये उसी तरह मैं भी निवेदन करूंगा कि यह तो बहुत छोटी सी और इन्नोसेंट चीज है और मानने लायक है, इसको मान लें।

आज एक बच्चा है वह फेमिली में रहता है, कल वह फेमिली से बाहर चला जायेगा तो फिर वह किसका मुंह ताकेगा, वह कहां जायेगा ? या तो यह होगा कि उस फेमिली की जमीन है उसको काटेंगे तो उस फेमिली वाले और वह बच्चा जिसने अभी अभी नई फेमिली का निर्माण किया है, दोनों ही भूखों मरेंगे। फेमिली में बच्चा है तो उसका हिस्सा क्यों नहीं रहता, इसमें कौन सा पहाड़ गिरता है, वह अपना शेयर मांगता है, अपना हिस्सा लेकर चला जायेगा। उसके फ्यूचर का आज इन्तजाम करते हैं तो कौन सा पहाड़ गिर जायेगा ?

मैं यह अर्ज करूंगा कि यह हमारी नेरो माइन्डेडनैस है और मैं निवेदन करूंगा कि इस सदन के माननीय सदस्यों को इस तरह की नेरो माइन्डेडनैस की चीज नहीं अपनानी चाहिये और अपने नाक से आगे सोचना चाहिये कि १०, १५ वर्ष के बाद में क्या खाका रहेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : सभापति महोदय, नेरो माइन्डेडनैस जो कहा गया है वह सारे सदस्यों के लिये है।

श्री अनोपसिंह : मैंने यह कहा कि सदन के सदस्यों को नेरो माइन्डेड नहीं होना चाहिये, यह मेरा मतलब है।

श्री सभापति : इन्होंने यह चेन्ज कर दिया है कि नेरोमाइन्डेड नहीं होना चाहिये।

श्री अनोपसिंह : दूसरा संशोधन मैं आपके सामने रखते हुये यह निवेदन करूंगा कि कानून तो आपने बनाया ही नहीं, कानून तो आप बनावेंगे-तब बनावेंगे अभी बच्चे की खबर ही नहीं कि कब बच्चा होगा; खबर तो जब आवेगी जब बच्चा होगा मगर उसके लिये प्रबन्ध तो पहले से ही कर दो। लड़का या लड़की का पता नहीं कब पैदा होंगे। आपको यह १९५४ में मालूम था उसी समय से आपको जमीन बेचने को बन्द करना चाहिये था। उस वक्त आपको हक था इस प्रकार की रोक लगाने को, आपको कोई रोक नहीं सकता था। अब आप कहते हैं कि आपको चार वर्ष पहले से मालूम था सीलिंग आने वाला है इसलिये आपको चाहिये था कि दुबक कर कोने में बैठ जावें यह कैसे हो सकता था। बच्चे बच्ची का कोई पता नहीं, किसी चीज का पता नहीं आप उससे पहले ही शोर मचावें, कोई अन्डे का पता नहीं; कोई मुर्गी का पता नहीं कि मुर्गी अण्डा देगी भी। इसलिये मैं सभापति महोदय, यह निवेदन करूंगा कि यह एक नेरो माइन्डेड की चीज है और इसके सिवाय कोई चीज नहीं है। जिन व्यक्तियों के पास कुछ भी जमीन नहीं है, जिनको जमीन से कोई लेना देना नहीं रहा है, जो जमीन के मामलों में कुछ समझते नहीं वे आज इस तरह की सलाह देने के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि उनको जमीन के मामलों में कभी कुछ भी दर्द नहीं हुआ है कि जमीन से क्या होता है। आज शहरों में बैठने वाले कहते हैं और यहां पर आकर कहते हैं ××× कि लैंडलैस है....

श्री सभापति : आप पार्लियामेंटरी लैंग्वेज यूज करें।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री अनोपसिंह : मैंने यह कहा है कि जो जमीन के हकदार होते हैं उन्हीं को जमीन मिलनी चाहिये और वे ही इस मामले में समझ सकते हैं कि जमीन का क्या दर्द होता है।

श्री सभापति : आपने यह कहा है कि यहां आकर जो ××× बात कही है ये शब्द प्रोसीडिंग्स में से हटा दिए जावें। They are expunged from the records.

श्री अनोपसिंह : मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि ये शब्द हटा दिये जावें। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि यहां पर मजाक उड़ाने के लिये बहुत सी बातें हो सकती हैं। एक उंगली के दर्द होता है उसी के पट्टी बांधी जाती है, दूसरी के नहीं। मैं यहां पर मजाक उड़ाने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपको बड़े अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि हमें इस पर विचार करना चाहिये कि इसका किस पर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। इसका असर एग्रीकल्चरिस्ट पर पड़ने वाला है। इसका असर हिन्दुस्तान की प्रोडक्शन पर पड़ने वाला है। हिन्दुस्तान का एक्सचेन्ज जो अमेरिका के साथ होने वाला है उस पर पड़ने वाला है। यानि एक्सचेन्ज की सारी पॉलिसी पर पड़ने वाला है। यह कोई ऐसी चीज नहीं जो मजाक में उड़ा दी जावे। लोग प्रगतिशील की भावना में बह कर ऐसा कर दें। मैं उन प्रगतिशील व्यक्तियों में नहीं हूँ जो भावना में बह सकूं। मैं मानता हूँ कि इस बारे में बैकवर्ड हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरी बैकवर्डनैस है।

श्री सभापति : श्री सोहनलाल। श्री शंकरलाल।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह ।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): सभापति महोदय, इस क्लॉज बी पर मैं ज्यादा जोर नहीं देकर थोड़ा विचार करना चाहता हूँ। चेयरमैन महोदय, क्लाज (बी) है, इसमें मेरी समझ में नहीं आया कि यह क्यों रखा गया है। जब कि सरकार ने सीलिंग का क्राइटेरिया फिक्स कर दिया तो फिर ट्रान्सफर या बेचने की आवश्यकता क्या है। अगर किसी के पास सीलिंग से एक्सीड जमीन है तो वह ऑटोमेटिकली सीलिंग में आ जावेगी। इसलिए आपको यहां पर इस क्लॉज (बी) को रखने की क्या आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि इसको आपको रखने की आवश्यकता यों हुई कि वकीलों की वकालत में मदद देने के लिये रखा गया है। इससे यह माना हुआ है कि बहुत से आपस में झगड़े होंगे और वे झगड़े अदालतों में जावेंगे और उससे वकीलों की वकालत होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि एक तो यह और दूसरा यह कि in favour, of a, member of the family of such person or in favour of other friends....." हमने फ्रेन्ड के फेवर में किया। अगर किसी लैंडलैस काश्तकार को किया तो वह भी हमारा फ्रेन्ड हो सकता है। जिसके लिये आप यह कहें कि यह आपका फ्रेन्ड है यह नाजायज है ट्रान्सफर। मैं कहता हूँ कि सरकार को इस क्लॉज को रखने की आवश्यकता नहीं थी। पहले तो सीलिंग का क्राइटेरिया रखा। उसमें चाहे वह जमीन बेचे या नहीं, वह तो अगर एक्सीड होगी तो अपने आप सीलिंग में वह जमीन आ जावेगी। अगर यह क्लॉज रहेगा तो इसका परिणाम यह होगा कि आपस में अदालतों में मुकद्दमें चलेंगे और जिसको आप चाहेंगे यह कह देंगे कि यह फ्रेन्ड नहीं है और जिसको चाहेंगे कहेंगे कि यह जमीन फ्रेन्ड को ट्रान्सफर की गई है इसलिये यह नाजायज है। मैं यह कहूँगा कि सरकार को इसको रखने की क्या आवश्यकता थी। मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर किसी ने चाहा कि अपनी फेमिली में ५ आदमियों से ज्यादा हुआ तो उसने अपने किसी कुटुम्बी को या अपने किसी भाई को दे दिया तो क्या यह अन्याय हुआ। सरकार भी तो आखिर किसी न किसी लैंडलैस को ही जमीन देती। सरकार भी तो उस जमीन को लेकर वही काम करती जो उसने पहले ही कर दिया और सरकार को जो कम्पेन्सेशन देती वह भी नहीं देना होगा। मगर यह कहूँगा कि यह क्लॉज समझ में नहीं आता कि किस मतलब से रखा गया है। जब आपने सीलिंग का क्राइटेरिया ३० स्टेन्डर्ड एकड़ एक फेमिली के लिये रखा है तो फिर यह डिस्टिंक्शन आपने जो रखा है वह मेरी समझ में नहीं आता, क्यों रखा गया है, इसकी क्या जरूरत है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि जो लैंडलैस टिनेन्टस को आप जमीन देने का कार्य करते हैं वही कर रहे हैं। इसलिए मेरा यह अमेन्डमेंट है कि omit clause (a) of sub-section (I) of the newly proposed section 30 D में यह कहता हूँ कि लैण्डलैस कर दिया जावे और इसको हटा दिया जावे।

श्री रघुवीरसिंह (जावली): सभापति महोदय, सेक्शन ३० डी पर मेरा एक संशोधन है। सेक्शन ३० डी उन भूमि के ट्रान्सफर्स को, जो कि १ जनवरी, १६५७ के बाद हुए हैं-अवैध घोषित करता है और अवैध घोषित करने में इसका जो सब-सेक्शन

(श्री रघुवीरसिंह)

'ए' है वह कहता है कि "in favour of a member of the family of such person or in favour of his other relations or friends, or" इसमें जो मैंने संशोधन प्रस्तावित किया है वह इस प्रकार है : substitute the following for clause (a) of sub-section (1)

"(a) in favour of a member of the family not entitled to a share in the family holding of such person or in favour of his other relations or friends who are not agriculturists."

मेरा निवेदन करना यह है कि अगर हमने जैसा इस समय यह सेक्शन है उसी तरह से छोड़ दिया तो इसका अर्थ यह होगा कि जो कोई फैमिली प्रोपर्टी में हिस्सेदार हैं, जो सेक्शन के अधिकार थे जिनको हिस्सा मिलना लाजिमी था वे सब इससे महरूम रह जायेंगे। सन् ५५ से अब तक यदि किसी का पिता मर गया है, उसके पांच लड़के हैं और उनमें जमीन बंट गयी है लेकिन जब यह सेक्शन आता है तो वह कह देगा कि पांच लड़कों का अधिकार गलत हुआ है और उसी प्रकार यह रहना चाहिये। इस प्रकार जोइन्ट होल्डिंग होती है, पांच लड़के हों और तीन भाई हों और खाता है वह एक बड़े भाई के नाम पर है, तीन भाई मिल कर, जो जवान है, खेती करते हैं और अपने हिस्से के अनुसार उसमें से ले लेते हैं। अब आपके इस सेक्शन के हिसाब से उनके खाते अलग नहीं हो सकेंगे और पार्टीशन नहीं कर सकेंगे क्योंकि यह सेक्शन उनके इस कार्य में रुकावट पैदा करेगा, लेजटिमेटली और कानूनन वे जबकि पूर्ण हकदार हैं। इसलिए सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूँ कि मेम्बर्स ऑफ दी फैमिली शेयर के एन्टाइटल्ड हैं और कानूनन जो उनका हिस्सा है वह इस सेक्शन से नलीफाइड नहीं होना चाहिये। ऐसा करेंगे तो अब तक का जो हमारा कानून है, विधान है, उन सब पर आप पानी फेर देंगे। इसलिए मेरा छोटा सा संशोधन इसमें है।

माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने फैमिली की डेफिनेशन की बहस के समय यह स्वीकार किया था कि फैमिली के जो हक हैं उनको मान्यता दी जावेगी और उस हिसाब से पांच फैमिली बनती हैं उनको पांच, दस फैमिली बनती हैं उनको दस, और दो फैमिली बनती हैं तो दो दिये जावेंगे। अगर जो वचन उन्होंने कहे, हाऊस के फ्लोर पर जो घोषणा की है वह सही है तो यह अमेन्डमेंट स्वीकार करना लाजिमी है और अमेंडमेंट नहीं होता है तो माननीय राजस्व मंत्रीजी की वह घोषणा हवा में रह जावेगी, प्रेक्टीकली कोई असर नहीं होगा। अगर उस घोषणा पर वे पाबन्द हैं और वास्तव में उन्होंने हृदय से घोषणा की है तो उनको चाहिये कि वे इस अमेंडमेंट को स्वीकार करें और हमारी फैमिली में जो शेयर के एन्टाइटल्ड हैं उनको कानूनी रूप से शेयर मिलना चाहिये। उनको जरूर मिलना चाहिये, इसको आपको रिकोग्नाइज़ करना चाहिये, वेलिड करार देना चाहिये चाहे आज हो, दो वर्ष बाद हो, जब कभी हो। जब कभी भी फैमिली के हिस्सेदार हैं उनको किसी कानून के निस्बत महरूम नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह अमेंडमेंट लाजिमी है और इसके बिना जो उन्होंने घोषणा की है वह नहीं रहेगी

Page No 85

(श्री रघुवीरसिंह)

और इससे सक्सेशन लॉ भी इनवेलिड हो जावेगा।

दूसरी इसमें चीज क्या है? वह यह है "friends who are not agriculturists"

मैं निवेदन करता हूं कि हमारी जो परम्परा है, संस्कृति है वह तो वसुधैव कौटुम्बकम् की है। सारे संसार को ही अपना कुटुम्ब मानते हैं। वह हम यह कहें कि कल हमको प्रूव करना पड़ेगा कि वह हमारा फ्रेन्ड नहीं है। एक आदमी चेलेन्ज करेगा कि तुम्हारा फ्रेन्ड है, लेकिन मैं चैलेन्ज करूंगा कि नहीं वह फ्रेन्ड नहीं है दुश्मन है। एक दुश्मन को दे सकें और एक फ्रेन्ड को न दे सकें। आपने पाबन्दी लगायी कि एग्रीकल्चरिस्ट हो, एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है तो मिनिमम होल्डिंग ले सकता है तो फिर कोई वजह नहीं कि फ्रैन्ड लेने में क्यों महरूम रहे। यह कोई कानूनी बात नहीं है, न्याय नहीं है। यह तो अन्याय है। इसलिए मैं कहता हूं: that friends who are otherwise entitled to hold land उनको महज इस कारण से कि वह मेरा दोस्त है जमीन न दे सकें। दोस्त को न दे सकें और दुश्मन कह कर दे सकें।

श्री सभापति: बोगस ट्रान्सफर्स को रोकने के लिए हो सकता है।

श्री रघुवीरसिंह: बोगस ट्रान्सफर्स के लिए यह नहीं है। आपने कह दिया एग्रीकल्चरिस्ट है। He will fulfil all the qualifications. वह ट्रान्सफर हुई है विथ-आउट कन्सीडरेशन तो आप कह दीजिये कि बोगस कर दिया। लेकिन कन्सीडरेशन से हुई है। एग्रीकल्चरिस्ट है। फिर समझ में नहीं आता कि केवल इस कारण से कि वह मेरा फ्रैन्ड है वह इन्वेलिड हो गया। मेरे लिए एक विचित्र दशा उत्पन्न हो जावेगी। मुझे हर एक आदमी को दुश्मन प्रूव करना पड़ेगा। मैंने जिसको जमीन दे दी उसको मैं कह दूंगा कि यह मेरा फ्रेन्ड नहीं है, मेरा दुश्मन है। इसलिए इसमें मेरा यह सिम्पल संशोधन है। मैं आशा करता हूं कि माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर, यद्यपि वे इस समय यहां उपस्थित नहीं है इसको अवश्य स्वीकार कर लेंगे। और इस कानून में जो अवैधानिकता आ गई है इससे उसको दूर करेंगे।

श्री सभापति: श्री परसराम

(अनुपस्थित)

श्री मोहरसिंह।

श्री मोहरसिंह (चुरू): माननीय सभापति महोदय, आज सीलिंग बिल के ३० डी सेक्शन पर वादविवाद चल रहा है। इसमें एक छोटा सा संशोधन मैंने भी रखा है:–

The following proviso be added to sub-section (1):

"Provided that the provisions of this sub-section shall not apply to such transfers of land in a family, the area of which does not exceed the maximum area provided in section 30 C." कि किसी प्रकार से १ जनवरी, १६५७ के बाद जो जमीन ट्रान्स्फर हुई है उसको कैन्सिल माना जाना चाहिये। इसमें जो व्यवस्था दी है उसके लिए मैंने एक छोटा सा संशोधन देकर यह निवेदन करने

(श्री मोहरसिंह)

का प्रयत्न किया है कि अगर यह कानून इसी प्रकार से पास हो जाता है तो उसमें एक गुन्जाइश रह जाती है जिससे काफी किसानों पर नाजायज तौर से असर पड़ेगा। वास्तव में, सभापति महोदय, सीलिंग का जहां सवाल है वहां हमें कुछ अपने सिद्धान्तों को लेकर चलना पड़ता है। यही बार-बार अर्ज सदन में विभिन्न माननीय सदस्यों की तरफ से किया गया। पुनः याद दिला दूं। वास्तव में जमीन तकसीम करना है, कुछ जमीन तकसीम करना है। किनको करना है? इन बातों को खयालात में रख कर इस कानून पर कदम बढ़ा रहे हैं। जमीन खाली पड़ी है वह बांटनी है। जिस जमीन से अनुचित मुनाफा उठाया जाता है, शोषण किया जाता है, उस जमीन को निकाल कर तकसीम करना है। सीलिंग के लिए जमीन निकालने का यही मुद्दा होना चाहिये। लेकिन मैं जहां तक देख पाया हूं कानून में उन सारी चीजों को नहीं देखा जा रहा है। यदि उनको मद्दे-नजर रखते हुए आगे बढ़ें तो सही ढंग से कानून बना सकेंगे। सभापति महोदय, हमने राजस्थान में जमीन की समस्या हल करने के लिए वास्तव में कुछ क्रान्तिकारी कदम उठाये हैं। राजस्थान टिनेन्सी कानून उनमें से पहली चीज है। उसके बाद कई बार विभिन्न अमेन्डमेन्ट्स, संशोधन आये हैं। इन संशोधनों का कुछ असर फील्ड में पड़ा है, गांवों में किसानों पर उन संशोधनों का असर पड़ा है और उनको ध्यान में रखते हुए आयन्दा अमेंडमेंट पास करना चाहिये। मैं समझता हूं यह जरूरी चीज है।

कुछ दिनों पहले हमने एक अमेंडमेंट पास किया था, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें यह चाहिये कि हम कोई भी अमेंडमेंट रक्खें इस चीज़ को याद रखना होगा कि इसका असर बहुत बड़े तबके पर जो अनपढ़ है, ज्यादा काम करता है, गरीब है उसके लिये ऐसे कानून रखने चाहिये जो सरल से सरलतम भाषा में हों। मैं सोच रहा हूँ कि इस सारी चीजों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे सामने सीलिंग बिल का प्रवर-समिति द्वारा प्रतिवेदित कानून है। ऊपर तो यह हिन्दी में लिखा हुआ है लेकिन इसके अन्दर इसकी भाषा अंग्रेजी है। आप जिन लोगों के वोट लेकर यहां आये हैं और जिनके लिये कानून बनाने का कदम उठाया है उन लोगों के सामने एक पुस्तक रखी हुई है, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित हिन्दी अनुवाद, किन्तु इसके अन्दर अंग्रेजी है। आज जो हम यहां किसानों के प्रतिनिधि के रूप में आये हैं लेकिन जो कानून उनके लिये हम बनाने जा रहे हैं उसमें हम उनकी रुचि का ध्यान नहीं रख रहे हैं जो किसान २४ घंटों में से १८ घंटे काम करता है, मशक्कत करता है उस किसान के लिये कानून बनाया है और वह भी अंग्रेजी भाषा में। इसीलिये तो इसमें कम इन्टरेस्ट लिया जाता है। मुझे क्षमा करेंगे कई माननीय सदस्य अंग्रेजी नहीं जानते इसलिये रूचि नहीं लेते और इसके कारण ऐसा है कि जल्दी-जल्दी पास करवा लिया जाता है, इसका खमियाजा किसानों को उठाना पड़ता है।

अमेंडमेंट नं० ४ जो हमने पास किया उससे हमने राजस्थान केनाल एरिया के अन्दर खातेदारी खत्म की उसका नतीजा वहां क्या हो रहा है इसके लिये तीन चार एम० एल० एज को वहां पर भेजा जाय तो पता चल

(श्री मोहरसिंह)

सकता है वहां के किसान की इससे क्या हालत हुई है। आज वहां का किसान फटा कुर्ता पहने जयपुर की गलियों में रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से मिलने आये हैं, फिर रहे हैं। आज जो शुरू से वहां की ज़मीन पर खेती करता आ रहा है, अपनी रोटी किसी तरह से पैदा करता है, उसके लिये कानून यह बनाया गया कि दस वर्ष बाद यहां केनाल आने वाली है उसका तावान उन लोगों से आज मांगा जा रहा है।

श्री सभापति : आपके सामने जो बिल की धारा है उससे आप बाहर जा रहे हैं।

श्री मोहरसिंह : सभापति महोदय, ये सब चीजें इनसे संबन्धित हैं। मैं जल्दी में ही उनका जिक्र कर देना चाहता हूँ। इसके बाद, सभापति महोदय, टिनेन्सी एक्ट की धारा १५ के अनुसार खातेदारी मिल गई। उसके बाद पिछली साल हमने एक अमेंडमेंट पास किया उसके अनुसार वह खातेदारी समाप्त होगई जिसके अनुसार सभापति महोदय जिसके पास २०० बीघा ज़मीन है उसकी ३० बीघा पर खातेदारी है उसकी धारा १५ के अनुसार पर्चियां बांटी गई।

श्री सभापति : अपने सामने धारा १५ नहीं है।

श्री मोहरसिंह : अभी मैं आ रहा हूँ। उसके ऊपर भी असर पड़ेगा इसलिये मैं अर्ज कर रहा हूँ। धारा १५ के तहत जो खातेदारी मिली थी इसलिये वह खत्म हो गई कि राजस्थान केनाल वहां आयेगी। उसके बाद तावान लगा। इसके साथ-साथ एक रुपया बीघा और देते हैं लेकिन अब ६ रुपया मांगा जा रहा है और इसलिये १,२०० रुपया इसलिये मांगा जा रहा है उनसे क्योंकि तुमने शुरू से ज़मीन बोयी थी इसलिये।

सभापति महोदय, जब कभी हम अमेंडमेंट लाते हैं तो हमें यह देखना चाहिये कि फील्ड में इसका असर क्या पड़ेगा इसको ध्यान में नहीं रखते हुए जब कोई संशोधन कर देते हैं तो जो किसान पढ़े लिखे नहीं हैं, जो कानून की बारीकियों को जानते नहीं, जिसका मतलब केवल वकील और एडवोकेट्स ही निकाल सकते हैं, उन किसानों के लिये अंग्रेजी में कानून बनाया जाता है तो वह किस हद तक ठीक हो सकता है यह देखने की बात है।

सभापति महोदय, कुछ दिनों पहले हमारे बीकानेर डिवीजन के चुरू जिले में हमारे किसानों ने एक चीज़ बनाई। ३००बीघा किसी किसान के पास ज़मीन है और उसके पांच बेटे हैं तो उन्होंने क्या किया कि ज्यादा श्रम न लगे इसलिये उन्होंने उस तीन सौ बीघा ज़मीन को अपने बेटों में बांट दिया। यह मैं इसलिये अर्ज कर रहा हूँ—यहां जो फेमिली शब्द आया है ३० डी में "in favour of a member of the family of such person" इस पर एतराज होने से मैंने एक प्रोविजो के रूप में संशोधन रखा है इसमें कुछ घटा बढ़ी करके इस प्रोविजो को जोड़ सकते हैं। आपने इसमें ७२ हाथ लम्बी डोरी रख दी है सन् ५३ से लेकर ५८ तक की खेती ऐसे व्यक्ति के पास है जिसके मुस्तर्का परिवार में ३० आदमी हैं उनको ११००, १२०० रुपया एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। इसका असर चुरू राज-

(श्री मोहरसिंह)

गढ़ तहसील के किसानों में पड़ा है। वे बेचारे वकीलों का दरवाजा खटखटा रहे हैं। वे कहते हैं इसका इलाज यही है कि हमारे बेटों के नाम से खाता खतवार दो अगर उन ट्रान्सफर्स को इस धारा ६ डी ए ए से वे ट्रांसफर्स नाजायज हो जायेंगे तो बेचारे वे किसान जायेंगे कहां। क्या इस चीज़ का हल रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने सोचा है उन लोगों के बच्चों के लिये जिनके पिता के नाम से खाता था, या तो उसको चार जगह बांटा जाय या एक हज़ार रुपया चुकाया जाय। एक तरफ जब कोई व्यक्ति यह चाहता है कि उसकी ज़मीन से अच्छी उपज हो—उसके लिये डवेलप्मेंट करता है तो क्या उस ज़मीन को रखने की, उसको अपने पोते और बच्चों के लिये रखने की इस कानून में छूट है क्या। नहीं। तो फिर इस प्रकार के कानून से मतलब क्या है? इसका केवल एक ही मतलब है उनको किसी प्रकार से जलील किया जाय। यह भी आपने कभी सोचा है कि यह किसानों के लिये कितनी दिक्कत बनकर सामने आयेगी। यदि इस प्रकार के संशोधन को पास कर दिया गया तो यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हजारों किसानों को अदालतों की शरण लेनी पड़ेगी। आज जब कि अनाज की कमी है सरकार यह चाहती है कि देश में अनाज की पैदावार खूब बढ़े, ग्रो मोर फूड केम्पेन आप चलाना चाहते हैं वह भी किसानों के हल-बूते पर और दूसरी तरफ किसान अन्न पैदा करेगा या मुकदमेंबाजी में कभी चुरू कभी राजगढ़ और कभी बीकानेर फिरता फिरेगा। इसलिये सभापति महोदय, बड़ी नम्रता के साथ मेरा राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस चीज़ पर विचार कर लें। अगर आपके पास ज़मीन खाली पड़ी है, उस ज़मीन के लिये आप यह कानून लाते हैं तो वह बात जुदा है। अभी आपने एक अलोटमेंट का कानून बनाया था लेकिन आप गंगानगर के हरिजनों और भूमिहीनों को जाकर पूछें कि उस कानून के तहत उनको कितनी भूमि अलॉट हुई है। आप देखेंगे जो भी भूमि आप देना चाहेंगे वह उन लोगों के पास जायेगी जो मेकेना-इज्ड फार्म के रूप में चलाना चाहेंगे—जो कोऑपरेटिव बनाकर काम करेंगे उनको मिलेगी। मैं राजस्व मंत्री से यह खुलासा चाहूँगा जिन्होंने पब्लिक नामा करवा दिया है, अपने बेटों के नाम करवा दिया है—वह किसी प्रकार का डवेलपमेंट करते हैं—क्या उनको भी एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स का असर होगा? क्या उनका पब्लिक नामा सही माना जायेगा या क्या? उसको जायज माना जायेगा या क्या? इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन रखता हूँ और राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ, वे इस पर विचार करेंगे।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर): सभापति महोदय, धारा ३० डी का विरोध मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि इसमें सन् ५७ के बाद में किये गये ट्रान्सफर्स को इल्लीगल माना गया है।

थोड़ी देर के लिये मान लीजिये कि लोगों ने सीलिंग के डर से ट्रान्सफर किये। फिर भी दी तो दूसरों को। आप भी तो देना ही चाहते थे। अब इसमें अगर उसने ऐसे आदमी को बेच दी कि जिसके पास पहले ही काफी जमीन है तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सीलिंग का आपका यह

(श्री लक्ष्मीचन्द)

कानून उस पर लागू हो जावेगा । उससे अधिक अगर उसके पास हो गई है तो वह आप ले लें । आपका कानून वहां पर भी लागू होगा।

अब आप इस धारा से उन लोगों को उलझन में डाल जरूर देंगे । लिटीगेशन बढ़ावेंगे । लोग भाग कर वकीलों के पास जावेंगे, हैरान होंगे । इस धारा को रखने से बेहतर तो यह होता कि आप कानून में यह व्यवस्था करते कि जैसी कि हमारे पड़ोसी प्रान्त पंजाब में है । उसमें यह प्रोविजन है कि सीलिंग फोर्स में आने के छः महीने बाद तक ट्रान्सफर किया जा सकता है । इसका परिणाम यह होता कि सरकार को कम से कम दख-लन्दाजी करनी पड़ती, सरकार की मशीनरी के जो काम करने के भ्रष्ट तरीके हैं उनसे बचा जाता । कई लोग अपने आप सहूलियत से जमीन बेच देते और लेने वाले को सहू-लियत से मिल जाती । इसमें व्यापार का सिद्धान्त लागू होता इससे भी फायदा होता । जब लेने वाले कम होते और बेचने वाले ज्यादा होते तो जमीन की रेट जिसके ऊंचा होने का डर हो सकता था वह कम हो जाता। लोगों के लिए ६ महीने के अन्दर-अन्दर बेचने की पाबन्दी के कारण किसी भी भाव उनको इस समय के अन्दर-अन्दर बेचना पड़ता और इस तरह से छोटे-छोटे लोगों को भी जमीन मिल जाती । जमीनें तेज कब बिकती हैं जब बेचने वाले कम होते हैं । जब जगह-जगह से चीज आनी शुरू हो जाती है तो सस्ता हो जाता है मारकेट । उनको डर रहेगा कि छः महीने में नहीं बेची तो कम्पे-न्सेशन से भी जावेंगे । आपका डिस्ट्रिब्युशन का तरीका मैं खूब जानता हूँ । मैं भी अलोट-मेंट कमेटी का मेम्बर हूँ । आप जिन तरीकों से और जिन स्थितियों में देते हैं मैं उनको भी बखूबी जानता हूँ । आपकी कहने की बातें कुछ होती हैं और करने कुछ और ही हैं । तो इस किस्म के पशोपेश में लोगों को न फंसाया जावे । लोग आपकी इन्तजार में बैठे रहेंगे । सरकार जमीन देगी और हम काश्त करेंगे । हमें सरकार देने वाली है जमीन ; पर मिलेगी किनको । यह सब जानते हैं। जरूरतमन्दों को नहीं मिलेगी, जो वास्तव में गरीब हैं उनको नहीं मिलेगी । ये गरीबों के नाम पर कोरा चिल्लाना जानते हैं पर वास्तव में उनकी मदद नहीं करते ।

तो इसलिये मेरा निवेदन करना है कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि गरीबों को बिना किसी प्रकार की दिक्कत के जमीन मिल जावे और जल्दी मिल जावे तो ६ महीने का प्रोविजन रख दीजिये । अगर इस छः महीने में सरप्लस जमीन नहीं बेच सके तो कम्पे-न्सेशन नहीं दिया जावेगा, ऐसा कर दीजिये ।

दूसरी बात, सभापति महोदय, हमारे सामने इस किस्म की भी परिस्थिति आई है कि जिस समय रिकार्ड तैयार किया गया उस समय ऐसी भी बात हुई कि चार भाई शामिल रहते थे । सैटलमेंट, अमीन, पटवारी, तहसील-दार आदि से मिलना करना पड़ता है इस-लिये क्या किया कि एक के नाम से पट्टा कर दिया । चार भाई मौजूद हैं अब अगर उस तरह की जमीन को ट्रान्सफर कर दिया गया है तो क्या वह इल्लीगल गिना जावेगा । आपका कानून तो ऐसा ही है । एक तरफ तो राजस्व मन्त्री जी इस प्रकार की घोषणा करते हैं कि अगर वह भाई-भाई, अलग-अलग रहते हैं तो अलग-अलग युनिट माने जावेंगे । दूसरी तरफ इस तरह के ट्रान्सफर को गलत

(श्री लक्ष्मीचन्द)

मानते हैं। अगर ऐसा कर दिया तो कौनसा जुर्म कर दिया। अब अगर वह ट्रान्सफर नहीं करते तो आपके सामने प्रोब्लम आता उनके लैंडलैस पन का। आपको उनको जमीन देनी पड़ती। अगर आपकी यह दिक्कत उन्होंने अपने भाई-भाई को ट्रान्सफर करके, कर दी दूर, उन्होंने कौन सा गुनाह किया। यह तो आपका प्रोब्लम सोल्व हुआ। एक लैंडलैस कम हुआ। उसकी चिन्ता आपकी कम हुई। हां, अगर इस ट्रान्सफर में तीस एकड़ से ज्यादा जमीन जाती है तो वहां आपका यह कानून लागू हो जावेगा। आपको इस तरफ से भी चिन्ता करने की जरूरत नहीं।

दूसरा आप रजिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट को देखें। कितनों ने जमीनें ली हैं। उनका भविष्य देखिये। अब जिन्होंने पैसा ले-दे दिया है उनका क्या होगा। सपोज करिये मेरे पास ज्यादा जमीन है और मैंने बेच दी। तो क्या अब वह मेरे खिलाफ दावा करता फिरेगा अपना रुपया वसूल करने के लिए। अगर उसके पास ज्यादा है तो आप ले लीजिए। पर इसको इल्लीगल करार देने से किसान को राहत कतई नहीं मिलेगी। करसा तो यही सोचेगा कि मैंने बेची या ली है। अब अगर इल्लीगल होती है तो एक दूसरे के पास से किस प्रकार से पैसा वसूल किया जावे। वकीलों से सलाह लेगा। भागा फिरेगा लिटीगेशन में पड़ेगा। खर्चे से परेशान होना पड़ेगा। तो वास्तव में इससे लोगों को सहूलियत मिलने वाली दीखती नहीं है।

तो सभापति महोदय, मेरा यह सुझाव हैं कि ५७ न रख कर कानून बनने के बाद ६ महीने में डिस्पोज ऑफ कर दिया जाय अगर किसी के पास अधिक जमीन है नहीं तो सरकार उसे बाद में ले लेगी और उसका कोई कम्पेन्सेशन नहीं देगी। इससे लैंडलैस को जमीन मिलेगी, ठीक कीमत पर मिलेगी, आपकी दिक्कतें कम होंगी। वकीलों का दरवाजा खटखटाना नहीं पड़ेगा। पर अगर आप यह मानते हैं कि इससे हमारी पूछ नहीं होगी, तो आपकी इच्छा हो वैसा करें। यही मेरा सदन से निवेदन है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): माननीय सभापति महोदय........

(श्री रामचन्द्र के भी बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री सभापति: The Hon'bel Member in front of me.

श्री भैरोंसिंह: I am also in fron of you, Sir.

श्री सभापति: I mean the other Hon' ble Member.

श्री रामचन्द्र (डग सु०): सभापति महोदय, इस समय धारा ३० डी पर बहस हो रही है। इस धारा को देखने से मालूम होता है कि इसमें दो बातों का प्रावधान किया गया है। पहली बात तो यह है कि जब हमने सीलिंग का आकार निश्चित कर दिया और साथ ही यह भी धारा जो रक्खी है उसके अनुसार न्याय हो सकेगा या नहीं, इसको भी सरकार ने अपने ध्यान में रक्खा?

Page No 91

(श्री रामचन्द्र)

इस मसले को आज छठा वर्ष है। इसमें लोगों ने अपनी ज़मीन से ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए यानि सीलिंग के कानून से बचने के लिए अपनी ज़मीन को ट्रान्सफर करके या बेचकर बहुत ज्यादा फायदा उठा लिया है। यह बात सरकार के ध्यान में थी और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सीलिंग जिस तरह से या जिस मकसद से लगाया गया है उसका अधिक से अधिक फायदा हो, यह धारा रक्खी गई है।

सभापति महोदय, इस धारा पर कुल १४ संशोधन आये हैं। इसके दो भाग हैं। एक भाग यह है कि वे जो ट्रान्सफर हो चुकी हैं.... ...

श्री भैरोंसिंह : On a point of order Sir. माननीय सदस्य किस संशोधन या प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में बोल रहे हैं ?

श्री सभापति : ये जितने भी संशोधन आये हैं उन सबका विरोध करते दीख रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : उनको स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कि किस संशोधन के पक्ष या विपक्ष में बोल रहे हैं।

श्री रामचन्द्र : मैं ट्रान्सफर के फेवर में बोल रहा हूँ। उसके दूसरे तरीके बताऊंगा। दूसरा यह है कि जो ट्रान्सफर हुए हैं उनका मैं विरोध करूंगा। यह मेरा उद्देश्य है।

श्री सभापति : Listen to me या तो जो अमेन्डमेन्ट मूव हुआ है उसके समर्थन में बोलिये या विरोध में या फ़िर पूरे क्लॉज के समर्थन या विरोध में।

श्री भैरोंसिंह : पर्टिकुलर अमेन्डमेन्ट कौनसा है वह बतावें।

श्री रामचन्द्र : मैं कुछ का विरोध करता हूँ और दूसरे हिस्से का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : कोई भी माननीय सदस्य सभी अमेन्डमेन्ट का या किसी का विरोध कर सकते हैं या समर्थन कर सकते हैं। अब जो श्री रामचन्द्र जी बोल रहे हैं वे बतावेंगे कि उन्हें किस का विरोध या समर्थन करना है।

श्री रामचन्द्र : तो सभापति महोदय, मैंने अपना भाषण शुरू करने के पहले यह निवेदन कर दिया था कि यह जो सेक्शन ३० डी है इसके दो भाग हैं; एक तो यह है कि ट्रान्सफर को अवैध घोषित किया जाये और दूसरा भाग यह है कि जो ट्रान्सफर किसी के नाम हुए हैं वे अवैध माने जायें। तो मैं अपने इस अमेन्डमेन्ट के पहले भाग का तो समर्थन करता हूँ और साथ ही साथ अपनी राय में निश्चित तारीख आगे चलकर बताऊंगा कि सरकार को कौनसी तारीख निश्चित माननी चाहिए। इसलिए दूसरा जो भाग है उसका मैं विरोध करता हूँ और इसी उद्देश्य से मैं अपना भाषण दे रहा हूँ। तो सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान सरकार ने सीलिंग का आँकड़ा तो निश्चित किया ... ...

श्री भैरोंसिंह : यह क्लियर नहीं हुआ कि यह समर्थन किस बात का कर रहे हैं।

श्री सभापति : उस धारा का एक हद तक तो समर्थन कर रहे हैं और कुछ विरोध कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : तो आपका अमेडन्मेन्ट से कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री रामचन्द्र : जो सेक्शन ३० डी चल रहा है उसके कुछ भाग का तो समर्थन कर रहा हूँ और कुछ का विरोध।

श्री भैरोंसिंह : नहीं, ऐसा नहीं हो सकता अण्डर रूल्स। या तो कुछ का समर्थन और कुछ का विरोध करते हैं तो amendment should be moved by the Hon'ble Member. और आपकी तरफ से कोई अमेन्डमेन्ट भी नहीं है तो पूरे क्लॉज़ का समर्थन ही हो सकता है या फिर पूरे का विरोध ही हो सकता है। यदि आप इसके दो भाग करते हैं तो फिर अमेन्डमेन्ट्स आने चाहिए। अब आप दो भाग करते हैं और कोई अमेन्डमेन्ट नहीं है तो वह स्पष्ट करें कि समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं।

श्री रामचन्द्र : मेरा निवेदन करना यह है कि जिन माननीय सदस्यों ने....

श्री सभापति : आप अपना स्थान जरा ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र : उस ट्रान्सफर को वाजिब समझते हैं उसका विरोध करता हूँ और जिन महानुभावों ने जो ट्रान्सफर्स हुए हैं किसी के नाम उसका जो उन्होंने समर्थन किया है उसका मैं विरोध करता हूँ। यह है मेरा उद्देश्य।

श्री सभापति : आप तो पहले यह स्पष्ट कर दीजिए कि सेक्शन ३० डी का विरोध कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं?

श्री रामचन्द्र : सेक्शन ३० डी के दो भाग हैं—एक तो ट्रान्सफर करने का मामला कि जो ट्रान्सफर्स हुए हैं उनको अवैध माना जाये, उसका तो मैं समर्थन करता हूँ।

श्री सभापति : आपने संशोधन हालांकि मूव नहीं किया है लेकिन जो ओरीजिनल सेक्शन है उस पर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं और अपनी राय इस संबंध में दे सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह अपनी राय उसी समय दे सकते हैं जब कि इसका वह विरोध करें।

श्री सभापति : नहीं कुछ का वह सपोर्ट कर रहे हैं that he can do.

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : तो फिर यह तो वह पहले बतायें।

श्री सभापति : वह बता दिया।

श्री रामचन्द्र : मैंने निवेदन कर दिया। आप पहले मेरा भाषण सुन लीजिए फिर आप समझ जायेंगे कि मैं किसका समर्थन कर रहा हूँ और किस का विरोध कर रहा हूँ।

श्री भैरोंसिंह : आप तो यह बता दीजिए कि सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मूव किया है उसका आप समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं?

श्री सभापति : Hon'ble Member will please resume his debate

श्री रामचन्द्र : तो माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात का निवेदन कर रहा

(श्री रामचन्द)

था कि सरकार ने जो यह सेक्शन ३० डी रखा है यह विशेष ध्यान करके रखा है क्योंकि केवल सीलिंग लगा देने से ही सरकार का उद्देश्य पूरा नहीं होता। सीलिंग लगाने के बाद में जो स्थिति उत्पन्न होती है उसका पहले से ही विचार कर लेना चाहिए। सीलिंग का जिक्र आज ६ साल से चल रहा है और इस ६ साल के अर्से में जमीनों का इतना उथल-पुथल हुआ है, बहुत सी जमीनों का इस तरह बंटवारा हो गया है कि जिससे सीलिंग का उद्देश्य ही पूरा नहीं होता और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह संशोधन रखा गया है। इस ट्रान्सफर की मूल धारा में यह बताया गया है कि बिल के लागू होने के तीन वर्ष पहले के जितने भी ट्रान्सफर्स हुए हैं वह नाजायज़ समझे जायेंगे लेकिन प्रवर समिति ने उसको एक निश्चित तारीख दी है और वह है १ जनवरी, १९५७। इस तारीख के बाद जितने भी ट्रान्सफर्स हुए हैं वह नाजायज समझे जायेंगे। इसके विरोध में कुछ माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं और उन्होंने भिन्न भिन्न तारीखें बताई हैं। तो सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो ट्रान्सफर्स की सरकार ने तारीख निश्चित की है १ जनवरी, १९५७ वह too early है क्योंकि इसी सीलिंग कमेटी का काम १९५३ से शुरू हो गया था और जब लोगों को यह पता लगा कि अब हमारी जमीन सीलिंग के अन्दर जाने वाली है तो जिनके पास जमीनें बहुत ज्यादा थी उन्होंने ट्रान्सफर अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों तथा उन व्यक्तियों को जिनका मूल उद्योग खेती नहीं था, कर दी।

श्री अनोपसिंह : थोड़े धीरे बोलिये।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : घबराइये नहीं।

श्री रामचन्द्र : जब इस प्रकार की टेन्डेन्सी लोगों की देखी तो उसको विफल करने के लिए यह धारा रखी है इसलिए, सभापति महोदय, मैं यह कहूँगा कि यह जो जनवरी, १९५७ की तारीख रखी गई है यह टू अर्ली है। यदि इस धारा को बहुत ही स्ट्रॉंग बनाना है तो यह १९५४ ही मानी जानी चाहिए क्योंकि सन् १९५३ में तो यह काम शुरू हुआ और एक साल तक काम हुआ इसलिए इसको अर्ली से अर्ली ५४ रखा जाना चाहिए। जितने ट्रान्सफर्स १९५४ के बाद हुए हैं वह सब अवैध माने जायं। दूसरा भाग इस धारा का यह है कि जिन लोगों ने इस विचार से कि हमारी जमीन सीलिंग में चली जावेगी इसलिए अपनी जमीन को अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को और उन लोगों को जिनका धन्धा खेती नहीं था, ट्रान्सफर कर दिया है उसको भी अवैध माना जाय इस प्रकार का प्रोविजन इस संशोधन में रखा गया है तो सभापति महोदय....

श्री भैरोंसिंह : इस कानून में मित्र की परिभाषा क्या है ?

श्री रामचन्द्र : 'मित्र' शब्द जो है वह साहित्यिक शब्द है और मित्र के जो अर्थ हो सकते हैं वह हैं। 'मित्र' कोई कानूनी शब्द नहीं है। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसके विरोध में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे तो इसमें मैं यही कहूँगा कि उन्होंने जो भी अपने विचार रखे कि रिश्तेदारों को जमीन ट्रान्सफर कर दी और बेच दी वह बिल्कुल गलत है....

श्री भैरोंसिंह : क्या आपका सदस्यों के ऊपर चार्ज है कि उन्होंने अपनी जमीन बेचने के लिए यहां संशोधन रखे हैं ?

श्री रामचन्द्र : इसलिए पहले एन्टीसिपेशन का शब्द रखा है....

श्री भैरोंसिंह : On a point of order Sir. माननीय सदस्य ने सदस्यों के ऊपर चार्ज लगाया है कि इस धारा में यह सारे संशोधन पेश किये हैं वह उन्होंने अपने रिश्तेदारों को ट्रान्सफ़र कर दी हैं उनको बचाने के लिए अमेंडमेंट्स रखे हैं। मैं समझता हूँ कि सभी सदस्यों के अमेंडमेंट्स के पीछे इस प्रकार की भावना बताना उचित नहीं है।

श्री रामचन्द्र : मेरा किसी माननीय सदस्य पर चार्ज नहीं है।

श्री सभापति : मैंने आपके वह सब शब्द हैं ... आप जारी रखिये।

श्री रामचन्द्र : अगर वह इस तरफ ध्यान देते तो इस प्रकार का विवाद करने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें स्पष्ट रखा गया है कि जो ट्रान्सफर्स गुड फेथ में किये गये हैं वह बिल्कुल जायज माने जायेंगे और केवल वही नाजायज समझे जायेंगे जो कि सीलिंग के अन्डर में आते हैं। जिनके पास जमीनें कम थी और उन्होंने अपनी जमीनों को ट्रान्सफर चाहे अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को कर दिया है तो वह नाजायज घोषित नहीं हो सकती। नाजायज ट्रान्सफर्स उन्हीं को माना जायेगा जो कि जमीन सीलिंग में आती है। बहुत सी दलीलें रखी हैं और इस बात को समझने की कोशिश की गई है कि यदि उनके रिश्तेदारों को, मित्रों को या अन्य व्यक्तियों को जमीन ट्रान्सफर कर दी है, उनके विचार से वह ट्रान्सफर्स जायज हैं उसको मैं उचित नहीं समझता। यही मेरा कहना है।

श्री सभापति : श्री भैरोंसिंह।

४म० प०

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय सभापति महोदय, धारा ३० डी पर झालावाड़ से आये हुये माननीय सदस्य का भाषण सुन कर मेरी भी यह इच्छा हुई की इस सम्बन्ध में............

श्री सभापति (श्री आबिद अली) : किस का सपोर्ट कर रहे हैं या किस का विरोध कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : ये मेरा विरोध दोनों का एक सा है। उसकी भी हालत वैसी ही होगी जैसी कि उनकी हुई है। मैं केवल इस धारा का पूर्णतः विरोध करता हूँ। न मैं किसी संशोधन का समर्थन करता और न किसी के विरोध में बोलता, लेकिन जो पूरी धारा है उस धारा का मैं विरोध करता हूँ।

सभापति महोदय, यह बात सही है कि आज के युग का यह कानून एक प्रगतिशील कानून है, और यह भी सही है कि ऐसा कानून बनाने से जिन लोगों को भूमि प्राप्त होगी वे लोग भी इस प्रगतिशील कानून की दाद देंगे। लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों से ज़मीन ली जायेगी, और उन लोगों से ली जायेगी जिनके पास इतनी सरप्लसलैंड नहीं है कि ज़िस सरप्लस लैण्ड के कारण उनकी इतनी बड़ी हुई आमदनी है कि जिस आमदनी में कमी करने की गुन्जायश मालूम होती हो। उन लोगों की ज़मीन लेकर दूसरे लोगों में वितरित की जायेगी। तो जो इस कानून की दाद देंगे

(श्री भैरोंसिंह)

उनसे कहीं अधिक संख्या में ऐसे लोग भी होंगे जो इस कानून की पेचीदगियों के कारण बददुआएं भी देंगे। यह हो सकता है कि वह बददुआओं का प्रश्न केवल हमारे राजस्व मंत्री महोदय तक ही सीमित है। लेकिन उसकी जोइन्ट रिस्पोन्सिबिलिटी के नाते वे बददुआएं उनके ऊपर भी असर करेंगी।

यह बात सही है कि हमारी राज्य सरकार ने सीलिंग के बारे में सन् १९५३ के अन्दर एक कमेटी की नियुक्ति की थी। यह बात भी सही है कि सन् ५८ में उस कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, और यह भी सही है कि सन् १९५३ से सन् १९५८ की कमेटी की कार्यवाहियों से राजस्थान की जनता को यह पता लगता रहा कि हमारी राज्य सरकार सीलिंग का कानून बनाने वाली है और इस भावना से हमारी सरकार आज यह कहे कि हमने जनता को पहले आगाह कर दिया था, सन् १९५३ में आगाह कर दिया था कि राजस्थान में सीलिंग लागू होगी। जिनके पास सरप्लस लैण्ड है उनको सरकार को समर्पण करना पड़ेगा, और सरकार उस ज़मीन को लैण्ड लेस टिनेन्ट्स में डिस्ट्रिब्यूट करेगी। यह बातें हमारी सरकार आज राजस्थान की जनता से एक्सपेक्ट करती है। यह बात सही है कि कानून के लिए कह दिया जाय कि Ignorance of law is no excuse. कानून की जानकारी यदि किसी व्यक्ति को नहीं है तो इस प्रकार के बहाने से वह बच नहीं सकता। लेकिन राजस्थान में तो ऐसा नजारा है कि केवल राजस्थान की जनता ही नहीं बल्कि राजस्थान के कानून बनाने में सबसे ऊंचे अधिकारी, और यह कहा जाय कि आज की राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव हैं वे भी इससे अनभिज्ञ रहे हैं। वे किस प्रकार से अनभिज्ञ रहे इसका शायद पिछले अधिवेशन में मुझे पता लगा था। विधान सभा में मैंने एक प्रश्न पूछा था कि भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में सन् १९५६ से लेकर सन् १९५८ तक सरेरी बांध के अन्दर और मेजा बांध के अन्दर, इन दोनों बांधों के अन्दर, किन किन व्यक्तियों को और कितनी कितनी जमीन अलाट की गई है, तो उस प्रश्न के उत्तर में जो मेरे पास लिखित रूप से दी हुई पड़ी है, उसमें यह बताया था कि राजस्थान के मुख्य सचिव को १८० बीघा ज़मीन अलौट की है। अब कुछ ऐसा लगता है कि सन् १९५७ के अन्दर हमारी राज्य सरकार को पता नहीं था जिसने इस भूमि का अलाटमेंट किया कि १९५९ के अन्दर हम इस प्रकार का कानून बनाने वाले हैं जिससे कि १८० बीघा ज़मीन उनके कब्जे में नहीं रह सकती या यह समझा जाय की राजस्थान के मुख्य सचिव को इस बात का पता नहीं था कि जितनी ज़मीन का वे अधिकार प्राप्त कर रहे हैं वह सन् १९५९ में जाकर सीलिंग के कानून के द्वारा उनसे छीन ली जायगी। इतना ही नहीं, सभापति महोदय, कोटा से आये हुए माननीय सदस्य अपना परसों भाषण कर रहे थे, उन्होंने जयपुर के पास की एक भूमि का इस सदन में जिक्र कर दिया। उससे मुझे पता लगा कि शायद राजस्व मंत्री महोदय ने इन्कार किया था कि उनके पास यहां जयपुर में ज़मीन नहीं है, लेकिन उनकी जानकारी के लिये बता दूं कि सन् ५३ के बाद जिसको वे अपनी कुशल डेट मानते हैं....

श्री सभापति : But all this has no connection whatsoever with the amendment.

श्री भैरोंसिंह : वह इसलिये कन्सर्न्ड है....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : These are besides the point.

श्री सभापति : An observation has previously been made that such instances are irrelevant and are not to be quoted.

श्री भैरोंसिंह : There has been no observation of this type, Sir.

श्री सभापति : Pardon.

श्री भैरोंसिंह : There has been no observation of this type, Sir.

श्री सभापति : Previously it has been held by Hon'ble Speaker that...

श्री भैरोंसिंह : This is not an allegation. It is information. मैं अर्ज करूं की किसी आदमी ने जमीन ली है तो उसको एलिगेशन कैसे मान लें।

श्री सभापति : उसे इस बिल से आप कैसे जोड़ रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : मैं इसलिये जोड़ रहा हूँ कि राजस्थान सरकार पब्लिक से एक्सपेक्ट करती है कि नोटिफिकेशन के जरिये जानकारी दे दी फिर भी जमीन का ट्रान्सफर क्यों किया ? आपके नोटिफिकेशन की सूचना नहीं मिली। सूचना सारी जनता को मिल गई है लेकिन राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव और भारत सरकार के श्री डे को नहीं जो कि भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्री हैं।

श्री सभापति : आप आरग्यूमेंट प्लेस कीजिये।

श्री भैरोंसिंह : उस आर्ग्यूमेंट को लेता हूँ। मैं वही आग्यूमेंट प्लेस करता हूँ। सारी जनता से यह चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि वह इस चीज़ को जाने तो कैसे ?

श्री सभापति : I will request the Hon'ble Member not to give any details.

श्री भैरोंसिंह : इसीलिये मैं निवेदन करता हूँ। यह प्रश्न पहले आया था।

श्री सभापति : I will request the Hon'ble Member not to give any details. He can advance other arguments.

श्री भैरोंसिंह : वही तो मैं कह रहा हूँ कि पब्लिक को इन्फोर्मेशन किस प्रकार से मिलती है और पब्लिक किस प्रकार से सतर्क होती है, और गवर्नमेंट इन्स्ट्रूमेन्ट पब्लिक को इन्फोर्मेशन देने में कितने कामयाब होते हैं, उन चीजों की दलील में मैं यह बताना चाहता हूँ। वैसे गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला है, ५६ में सिलिंग कमेटी एपोइन्ट की है। उनके दौरे हुए हैं। सन् १९५८ में रिपोर्ट पेश की है, उसके बावजूद कई लोग ऐसे थे जिनको इस बात की जानकारी नहीं मिली थी कि राज्य सरकार जल्दी ही सीलिंग लागू करने वाली है। इसलिये मैं बता रहा था कि राजस्थान की साधारण जनता का कहना ही क्या, बल्कि राजस्थान के मुख्य सचिव और

(श्री भैरोंसिंह)

भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्री श्री एस० के० डे० को भी पता नहीं लगा कि वे जो ज़मीन ले रहे हैं, वह सीलिंग में आ जायेगी। मैंने मुख्य सचिव का हवाला दिया। सन् ५४ के अन्दर यह की सांगानेर तहसील के अन्दर भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्री श्री के०सी० डे० ने ज़मीन ली है ....

एक माननीय सदस्य : श्री एस०के० डे० हैं।

श्री भैरोंसिंह : श्री एस०के०डे० होंगे। दुनिया जानती है कि वे एग्रीकल्चरिस्ट नहीं हैं, और अगर एग्रीकलचरिस्ट होते तो दक्षिण से राजस्थान में नहीं आते। दक्षिण से चलकर राजस्थान में आये वे एग्रीकलचरिस्ट नहीं थे। यहां पर ज़मीन खरीदी। ज़मीन पर कब्जा किया और कब्जा सन् १९५४ में किया। कब्जा करने के बाद सन् ५६ या सन् ५७ के अन्दर सेटिलमेंट में एन्ट्री कराते हैं। एन्ट्री करवाने के बाद वहां के ब्लॉक से कुंआ खोदने के लिए तकावी ली। कुंआ तैयार हो रहा है। कुए की तकवी का इन्सटालमेंट का पेमेन्टड्यू डेट पर नहीं चुकाया गया है ....

श्री सोहनलाल भटनागर : These are irrelevant.

श्री सभापति : These allegations are not at all relevant so far as the spirit of the Bill is concerned.

श्री दामोदरलाल व्यास : Mr. Chairman, Sir, I want to clarify in the House that so far as Mr. Dey is concerned, no land was allotted to him. I have told it times out of mumber that to bring in the name of an Hon'ble Minister because he has acquired some property from a private person is absolutely wrong. The information of the Hon'ble Member is absolutely wrong. He has not been allotted any land by the Government.

श्री भैरोंसिंह : I am quite correct. मैंने यह नहीं कहा कि सरकार ने उनको जमीन अलॉट की है। मैं यह कह सकता हूँ कि श्योपुर ठिकाने से सन् ५४ में उन्होंने जमीन ली, और ५६ या ५७ में एक साल का फर्क हो सकता है, सैटिलमेन्ट रेकॉर्ड में उसे दर्ज किया गया। फिर कुए खोदने के लिये राज्य सरकार से तकावी ली गई....

श्री दामोदरलाल व्यास : श्योपुर ठिकाने से ली है तो इसमें गलती क्या की है। किसी ठिकाने से आप भी ले सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप जो कहते हैं कि नॉन-एग्रीकल्चरिस्ट को ट्रान्सफर नहीं कर सकते इसलिये कहता हूँ कि नॉन एग्रीकल्चरिस्ट ने जमीन ली है और भारत सरकार के मंत्री ने नॉन-एग्रीकल्चरिस्ट होते हुए जमीन ली है....

श्री दामोदरलाल व्यास : I have never said that Shri S. K. Dey will be exempted. He will also have to surrender land.

श्री भैरोंसिंह : मैं भी यही कहता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने कोई एन्जेम्पशन देखा है क्या?

श्री भैरोंसिंह : आप कहते हैं कि साधारण जनता को मालूम था इसलिये मैं बताता

(श्री भैरोंसिंह)

हूँ कि साधारण जनता को तो क्या भारत सरकार के मिनिस्टर तक को मालूम नहीं था कि सीलिंग आनेवाला है। यदि उनको यह बात मालूम होती तो वे तकावी न लेते और इम्प्रूवमेन्ट नहीं करते।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको शायद मालूम नहीं है This law applies to all. I have repeatedly said that this law covers the case of Shri S. K. Dey also. He will also have to surrender land. He has not been given any exemption.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : आपका तो यह कहना है कि श्री एस. के. डे. के लिये सबको माफ कर दिया जाय....

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका कहना यह होगा लेकिन मेरा मतलब यह नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने तकावी दिलाई है।

श्री सभापति : हम यदि इस प्रकार के डिस्कशन में चले जायेंगे तो मूल विषय से हट जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : मेरे पास पूरा विवरण है, आप चाहें तो दे सकता हूँ।

श्री सभापति : (अश्रव्य)।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारी सरकार का यह कहना है कि इस कानून की जानकारी हमने बहुत पहले दे दी थी इसके बाद भी यदि लोगों ने जमीन ट्रान्सफर की है तो वह न्यायसंगत नहीं मालूम होती। यदि यह न्यायसंगत बात होती तो हमारे देश के बड़े-बड़े आदमी इस तरह की गल्तियां नहीं करते।

अब प्रश्न यह आता है कि सरकार की आखिर मन्शा क्या है। सरकार चाहती है कि जमीन बांटी जाय और जिस तरह से राजस्व मन्त्री जी ने बताया हिन्दू सक्सेशन एक्ट में जो अधिकार पैतृक सम्पत्ति के बारे में किसी व्यक्ति को होता है तो इस कानून के द्वारा किसी प्रकार का कुठाराघात नहीं होगा। उन्होंने परसों ऐसा आश्वासन दिया था, कल भी इसका जिक्र किया था। आज शायद वे इसका जिक्र नहीं कर सके। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि यदि हमें हमारे पिता की सम्पत्ति पर मेरा और मेरे भाइयों का अधिकार है और उसका प्रयोग हम जमीन बांटने में करते हैं तो शायद इस क्लॉज के द्वारा सरकार उसे रोकना चाहती है और वह इस प्रकार रोकना चाहती है कि यदि मैंने अपने भाइयों के नाम से जमीन बांट दी तो सरकार कहेगी कि जमीन बांटने का कार्य इस कानून की मन्शा को डिफीट करने की मन्शा से किया गया है। आज यदि मेरे चार भाई हैं और हमारी पैतृक जमीन का बंटवारा चारों में होना चाहिये। सन् ५७ के बाद उसका तकासमा हुआ है, चार हिस्से कर लिये और ये हिस्से ५७ के बाद किये गये तो ये रिकोग्नाइज्ड नहीं होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि एक हिस्से को रिकोग्नाइज किया जायेगा और बाकी लोग सरेन्डर करेंगे क्योंकि इसमें लिखा है कि भाई, रिलेटिव्ज और फ्रेन्ड्स को जमीन ट्रान्सफर की है तो वह रिकोग्नाइज नहीं होगा। इसमें यह भी लिखा है कि यदि नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को ट्रान्सफर हो तो वह भी

Page No 99

(श्री भैरोंसिंह)

रिकोग्नाइज नहीं होगा। नान एग्रीकल्चरिस्ट के पीछे ऑपरेटिव पार्ट यह है, सरकार यह चाहती है कि एग्रीकल्चरिस्ट को ट्रान्सफर की तो वाजिब है। एग्रीकल्चरिस्ट राइडर क्लॉज है लेकिन वह ब्रदर्स, फ्रेन्ड्स और रिलेटिव्ज के लिये लागू नहीं होता। सरकार को चाहिये था कि यदि ब्रदर, रिलेटिव या फ्रेन्ड एग्रीकल्चरिस्ट है और सब-क्लॉज (डी) में दिये हुए सीलिंग एरिया से एक्सीड नहीं होती तो उसे भी रिकोग्नाइज करते। मेरी समझ में नहीं आया कि इसको रिकोग्नाइज करने में क्या अड़चन आती है। यदि भाई फ्रेन्ड और रिलेटिव एग्रीकल्चरिस्ट हैं और उनके पास जमीन ३० एकड़ से एक्सीड नहीं करती तो वह उनको क्यों नहीं दी जाती। इसलिये मैं कहूँगा कि इस कानून में जबर्दस्त

४.१६ म. प.

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

लेकुना है और कान्स्टिट्यूशन की भावना के विपरीत है। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रत्येक आदमी को पृथक सम्पत्ति रखने का अधिकार दिया है। अगर इस कानून में आपने इस तरह का प्रावधान रखा तो इन अधिकारों से ऐसा व्यक्ति वंचित रह जायेगा। हम यह चाहते हैं कि जमीन बांटें और वह कुछ व्यक्तियों के पास ही केन्द्रित न हो। अगर चार भाई आपस में जमीन बांटते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? आप भी चाहते हैं कि जमीन बांटनी चाहिये और वे भी चाहते हैं कि बांटनी चाहिये। इसमें एक दिक्कत आ सकती है और वह कि शायद आप यह चाहते हैं कि ऐसे लोगों के पास न जाय जो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट हैं। इसके लिये सरकार ऐसी व्यवस्था कर दे कि नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को रिकोग्नाइज नहीं किया जायेगा। लेकिन आप भी ट्रान्सफर चाहते हैं और हम भी ट्रान्सफर चाहते हैं तो फिर दिक्कत क्या आती है इसको मानने में, यह मेरी समझ में नहीं आया। अब सरकार कहती है कि लैंडलैस लेबरर्स या टिनेन्ट्स को जमीन मिलनी चाहिये लेकिन यदि इस परिभाषा में ब्रदर, रिलेटिव या फ्रेन्ड आते हैं तो उनको भी सरकार जमीन दे सकती है लेकिन जिसकी जमीन है वह नहीं दे सकता। इसमें मुझे कोई लोजिक नजर नहीं आता जब कि सरकार जमीन देना चाहती है और जमीन के मालिक भी जमीन देना चाहते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि उस आदमी का रिलेटिव, फ्रेन्ड या ब्रदर लैंडलैस लेबरर है या टिनेन्ट है उनमें और हमारी लिस्ट में जो लैंडलैस टिनेन्ट्स हैं उन दोनों में डिस्क्रिमीनेशन करना चाहता है कि उस व्यक्ति के रिलेटिव वगैरह लैंडलैस हैं तो भी उनको न देकर भी परिवार के बाहर के आदमियों को दी जायेगी। यह किस प्रकार की न्याय व्यवस्था और कानून है, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। सरकार की मर्जी है, बहुमत उसके साथ है इसलिये मर्जी आवे जैसा कानून बना दे। जैसा कई व्यक्तियों ने कहा था कि कानून सिम्पल होना चाहिये और मैं भी यह मानता हूँ कि जितना ज्यादा सिम्पल हो उतना होना चाहिये। यदि किसी को जमीन देनी है तो राज्य सरकार उसकी केटेगरीज फिक्स कर दे कि इस प्रकार के व्यक्ति लैंडलैस लेबरर होंगे, ये लोग अन्-इकोनोमिक होल्डर होंगे, कंपेनसेशन देने की मात्रा यह होगी, रेट्स इस प्रकार होगी, कंपेनसेशन का पेमेंट इस प्रकार होगा, इन्स-

(श्री भैरोंसिंह)

ट्रूमेंट्स इस प्रकार के होंगे, इस प्रकार का कानून बनाकर मालिकों के जिम्मे ही क्यों नहीं छोड़ दिया जाता कि वे डिस्ट्रिब्यूशन कर दें। वह खरीदें, उसमें आप प्राथमिकता की दृष्टि से रख सकते हैं कि प्राथमिकता लैंडलैस लेबरर्स को दी जायेगी, लैंडलैस टिनेन्ट्स को दी जायेगी या जिनके पास अन-इकोनोमिक होल्डिंग हैं, उनको दी जायेगी, इससे जो सरकार के सामने समस्या कम्पेन्सेशन के रूप में आ सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में आ सकती है, वह खत्म हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को चान्स दिया जाना चाहिए उस ज़मीन को बांट कर अपना बर्डन दूर करने का, उनको देने का जिनके पास ज़मीन नहीं है, सरकार को अपने ऊपर यह दायित्व नहीं लेना चाहिए। लेकिन सरकार अपने ऊपर यह दायित्व ले रही है, कम्पेन्सेशन की जिम्मेदारी ले रही है और बाकी ज़मीन-सरेन्डर करने के कारण, डिस्ट्रीब्यूशन करने के कारण, जो कॉम्प्लीकेशन्स पैदा होंगे, उनकी जिम्मेदारी सरकार ले रही है। इसका मतलब यह है कि एक अलग डिपार्टमेंट खोला जायेगा, ट्रिब्यूनल बन जायेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर डिपार्टमेंट वर्क करेंगे, लोगों को परेशानी होगी, समय पर असेसमेंट नहीं होगा, न कम्पेन्सेशन समय पर मिलेगा। एक सिम्प्लीफाइड प्रॉसीजर यह था कि जो सरेन्डर करने वाले हैं, उनके लिए एक टाइम प्रेसक्राइब कर देते कि within three months or within six month सारी जमीन इन रेट्स के आधार पर, इन केटेगरीज, प्रायोरिटी के कन्सीडरेशन को रखते हुए तकसीम कर दें और कम्पेन्सेशन के बारे में डाइरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लें। अगर ऐसा नहीं कर सकता है तो सरकार के सामने जमीन सरेन्डर की जाय और सरकार जैसा चाहे, वैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूँ इस कानून में यह धारा रखी गई है, वह कॉम्प्लीकेटेड है, इससे नुकसान होगा, इससे कई लोगों को जमीन नहीं मिलेगी, कइयों को कम्पेन्सेशन नहीं मिलेगा, जिन्होंने ज़मीन बेच दी है या जिन्होंने खरीद ली है; जिन्होंने बेच दी है उनके लिए परेशानी पैदा होगी। यह कहा जायेगा कि आगे चल कर व्यवस्था कर दी है कि जो मुआवजा आयेगा, उसमें से जमीन की कीमत काट ली जायेगी। ऐसे भी केसेज़ हो सकते हैं जिनमें सरकार मुआवजा दिलायेगी, तब अगर ज्यादा कीमत देकर ज़मीन खरीदी है तो वह कैसे वसूल की जायेगी। इस प्रकार जो खरीददार है, वह मारा जायेगा, उसको सिविल सूट करनी पड़ेगी, वह लिटीगेशन में फंस जायेगा और ज़मीन, ज़मीन पर दिया हुआ पैसा और हैरानी को बर्दाश्त करके चुपचाप बैठना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि इस सारी दृष्टि से, इस धारा को रखा जा रहा है, यह गलत है। यह कहा जाय कि १९५३ में जो ट्रांसफर हुए हैं, वे गल्त करार दिये जायं, १९५७ में जो ट्रांसफर हुए हैं, वे गल्त करार दिये जायं क्योंकि हमने नोटीफिकेशन इश्यू कर दिया था, यह हो गया था लेकिन १५ अक्टूबर को टिनेन्सी एक्ट लागू करके काश्तकार को अधिकार दे दिया था कि जमीन का ट्रांसफर कर सकता है, सेल कर सकता है, ज़मीन को सबलैट कर सकता है, वह अधिकार दे दिया है उसके बाद कहते हैं कि नोटीफिकेशन निकाल दिया, लेकिन कानून पर नोटीफिकेशन का प्रभाव नहीं होता। उनका ज़मीन पर अधिकार नहीं होता तो इसका मतलब यह

(श्री भैरोंसिंह)

हुआ कि जमीन पर एक कानून बनाया, उसे आप पांच वर्ष पहले से लागू कर दें, एक कानून आज बनाये, इसको दो वर्ष के बाद बनायें, पांच वर्ष के बाद बनाये, इसका असर नहीं होगा। कानून बनाने के दृष्टिकोण, व्यवस्था के दृष्टिकोण से, आज की जमीन की व्यवस्था के दृष्टिकोण से यदि इस प्रकार की धारा रखी गई है तो कई लोगों के साथ अन्याय होगा। इसके कारण जितने लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, उनसे ज्यादा संख्या के लोग पीड़ित होंगे और वे लोग इस कानून के कारण अपनी जबान बन्द करके घर में पड़े रहें, इसके सिवाय और कोई चारा नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि इस धारा को चेंज करने की बात नहीं है, इसका पूर्णतः विरोध किया जाय और इसको पास न किया जाय।

श्री सभापति : श्री श्रीभानसिंह।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय सभापति महोदय, यह धारा है, इसके बारे में पहले मेरा भी यह विचार था, कि ट्रांसफर को इनवेलिडेट किया जाय मगर ट्रान्सफर को इनवेलिडेट करने का प्रश्न जब उत्पन्न होता है कि पहले से राजस्थान के अन्दर जो काश्तकार हैं और लैंड होल्डर्स हैं, उनको यह मालूम होता कि गवर्नमेंट इतनी सीलिंग इम्पोज करने जा रही है। मैं इसको भी मान कर चलूं, जो आरगूमेंट दिया है, कि सीलिंग के लिए नोटीफिकेशन निकाल दिया था, यह ठीक है मगर जिस तरह से आपकी सीलिंग कमेटी ने शिड्यूल निकाला, उस शिड्यूल के आधार जो एकड़्स दिये हुए थे, उनको अगर रखते, उनको सिलेक्ट कमेटी रखती और यह सदन मंजूर करता, और उसके कारण कोई लैंड को ट्रांसफर कर देता तो हो सकता है कि उस ट्रान्सफर को इनवेलिड करार दे देते तो उसका प्रश्न प्रोब्लम के रूप में सदन के सामने दूसरे रूप में आया और वह आया क्योंकि हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने जो ३० सी को इनकोरपोरेट किया, ३० एकड़, एक एकड़ में १० मन प्रोडक्शन का काइटेरिया रखा। अगर १०० मन ईल्ड करें तो उसका एनिशमेंट एक आदमी को दिया जाता है। जैसा अभी मेरे मित्र ने कहा था कि Ignorance of law is no excuse, लेकिन जो लॉ है नहीं, तो उसकी इगनोरेन्स न वायोलेशन है। एक कानून अगर होता या कोई चीज ऐसी बन जाती कि हम इतने एकड़ की सीलिंग एक डिस्ट्रिक्ट, एक तहसील में इम्पोज कर रहे हैं, अगर उसको वायोलेट किया जाता तो यह गवर्नमेंट का राइट था, गवर्नमेंट की ड्यूटी थी कि in the interest of the general public, transfer को इन्वेलेडेट किया जाता और किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाया जाता। लेकिन समस्या तो यह है कि यहां पर कोई कानून तो है नहीं, कानून अभी तक नहीं है और प्रेसीडेन्ट की स्वीकृति भी मिल जायेगी तो भी एक डिस्ट्रिक्ट, तहसील के अन्दर वह कानून नहीं होता क्योंकि १० मन की ईल्ड डिटरमिन करने के लिए शायद इन्डीविजुअल होल्डिंग की सर्वे करानी पड़ेगी, सेटिलमेंट कराना पड़ेगा, तहसील का कराना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट का कराना पड़ेगा, उसके बाद जाकर सीलिंग की लिमिट निर्धारित होगी। सीलिंग की लिमिट एग्जिस्टेन्स में जब तक नहीं आती है, जब तक सर्वे कम्प्लीट नहीं होता है, पर इन्डीविजुअल होल्डिंग पर एकड़ की

(श्री श्रीभानसिंह)

ईल्ड डिटरमिन नहीं होती, तब तक सीलिंग इम्पोज नहीं होती, तब तक गवर्नमेंट ने सीलिंग डिसाइड नहीं की है। जिस रोज तहसील सर्किल के लिए डिटरमिन कर देंगे कि इतनी सीलिंग इम्पोज कर रहे हैं और इसकी ईल्ड इतनी है, उस रोज सीलिंग लागू होती है और तब आपका कानून उस एरिया के लिए एग्जिस्टेन्स में आता है। तो ट्रान्सफर को इस दृष्टिकोण से देखा जाय तो जब तक सीलिंग डिटरमिन नहीं होती, तब तक ट्रान्सफर मेलाफाइड नहीं है, in violation of law नहीं है और बिल्कुल गुड फेथ में ट्रान्सफर है। इसको कॉम्प्लीकेटेड बनाना है इस तरह। मैं खुद इस विचारधारा का था कि १९५३ तक किये गये ट्रान्सफर इन्वेलिडेट किये जांय लेकिन उस समय एक शिड्यूल था, सीलिंग कमेटी ने शिड्यूल दे दिया था, उसको कमेटी ने रद्द कर दिया, हाउस ने रद्द कर दिया। जब कोई सीलिंग लॉ नहीं तो किसी ट्रान्सफर को पनिश नहीं कर सकते। एक आदमी को पनिश करने के लिए न लॉ है, न वह लॉ के बारे में इगनोरेन्ट है, लॉ एग्जिस्टेन्स में नहीं है। अगर ऐसा है तो उसके लिए पनिश करें, तो मैं समझता हूँ कि यह नेचरल जस्टिस और प्रिंसिपल ऑफ जुरिसप्रुडेन्स के खिलाफ है। और रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तब दे सकते हैं जब डिक्लेरेशन के अन्दर एरिया हो। जब कोई लॉ नहीं है तो इस ट्रान्सफर को वेलिड करार देने का वेटी ऑरग्युमेंट है। जब शिड्यूल नहीं था, एरिया निर्धारित नहीं करते है, व्यक्ति को मालूम नहीं है, और तहसील कहिये, डिस्ट्रिक्ट कहिये, किसी ऑथॅारिटी को मालूम नहीं है तो जो चीज किसी को मालूम नहीं है, उसके लिए किसी को पनिश कर रहे हैं। हो सकता है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के अन्दर ३०० एकड़ में ३० मन ईल्ड न हो, एक तहसील के अन्दर पर एकड़ १० मन ईल्ड नहीं हो और नेबर एरिया के अन्दर पर एकड़ काफी ईल्ड हो जाय, तो कुछ मालूम नहीं है। इस स्थिति में एक तहसील के अन्दर ट्रान्सफर कर देते हैं और दूसरे में नहीं करते हैं। उन ट्रान्सफर्स को पनिश करें जिन्होंने इन एन्टीसिपेशन ऑफ सीलिंग ट्रान्सफर किया है। उन लोगों के ट्रान्सफर को इन्वेलिडेट करते हैं जिन्होंने इन एन्टीसिपेशन ऑफ सीलिंग लॉ ट्रान्सफर नहीं किया है। मेजर तब डिफीट होता है। Mere declaration that the Government intends to bring ceiling law इसके बाद ट्रान्सफर हुआ करें। तो यह डिक्लेरेशन हुई नहीं है कि जिसके लिए आप कह दें कि डिफीट करने के लिए ट्रान्सफर हुए। तो ऐसी सूरत में जो ट्रान्सफर्स हुए हैं वे बिल्कुल कानूनी हैं। कोई एरिया निर्धारित कर देते हैं उसके बाद वह इन्वेलिडेट है। जब तक निर्धारित नहीं कर देते तब तक इस प्रकार के ट्रान्सफर्स इन्वेलिड नहीं होते। जब तक इस तरह का कानून असर में नहीं आ जाता, बल्कि यहां तक कि उस कानून की एसेंट नहीं आ जाय तब तक इस प्रकार के ट्रान्सफर्स करने का हर एक को अख्त्यार है, इस प्रकार किये हुए ट्रान्सफर्स इन्वेलिड नहीं होते।

दूसरे मैं इस क्लॉज में कहना चाहता था कि मैं तो शायद इतना लॉ नहीं जानता पर एक फ्राइन्ड की डेफिनेशन क्या है ? फ्रेन्ड्स को को ट्रान्सफर का रखा है तो फ्राइन्ड्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एक आदमी लैंड-

(श्री श्रीमानसिंह)

लैस है, उसको लेजिटिमेटली लैंड ट्रान्सफर कर दिया, आप उसको फ्राइन्ड करार दे सकते हैं तो इसके लिए सिवाय इसके और कोई वे नहीं रहेगा। हो सकता है कि कभी उनके आपस में मुकदमा चला हो, कोर्ट में केस चला हो, उसके आधार पर एनिमी करार दें। तो फ्राइन्ड्स को कैसे डिफाइन करेंगे, फ्राइन्ड्स में कौन आयेंगे, किनको एक्सक्लूड करेंगे। रिलेशन में डिग्रीज हो सकती हैं कि नाइन डिग्रीज, टैन डिग्रीज पर फ्राइन्ड के लिए आप क्या डिफाइन करेंगे यह तो आप एक ऐसा पावर एग्जीक्युटिव को दे रहे हैं कि चाहे जिसको फ्राइन्ड और चाहे उसको एनिमी करार दे दें। तो कानून के अन्दर फ्राइन्ड इन्कोरपोरेट करना बड़ा सुपरफ्लुअस टर्म है।

तीसरी बात यह है कि राजस्व मंत्रीजी ने कहा है कि हमने ३० एकड़ का एरिया इसलिए रखा है कि एक फेमिली खुद मेन्युअल लेबर कन्ट्रीब्यूट करे। तो एक तरफ तो यह रखा जाय कि खुद फेमिली मेम्बर्स मेन्युअल लेबर कन्ट्रीब्यूट करे और इसके विपरीत दूसरी तरफ सीलिंग लॉ में प्रोविजन किया जाय कि लेटिंग, सब्लेटिंग इन्वेलड नहीं होगा खुदकाश्त का। एक तरफ तो मेन्युअल लेबर के कन्ट्रीब्यूशन का रख कर एरिया को, सीलिंग एरिया को इतना संकुचित रख रहे हैं कि एक फेमिली अच्छी तरह अपना मेन्युअल लेबर देकर जितना एरिया काश्त कर सके उतना एरिया एक फेमिली को दिया जाय और दूसरी तरफ लेटिंग, सबलेटिंग की इजाजत उस एरिया के लिए देते हैं तो इसके माने यह हुए कि राजस्व-मंत्रीजी ने सीलिंग एरिया इतना रखा है कि एक फेमिली अपना मेन्युअल लेबर कन्ट्रीब्यूट करके कल्टीवेट नहीं कर सकेगी, इसलिए वह अपने उस एरिया को लेट, सबलेट कर सकेगी। जिस लॉ में सबलेटिंग करे, वह प्रोग्रेसिव नहीं। अगर सबलेटिंग इसमें रखते हैं तो हम यह मान कर चलते हैं कि बगैर सबलेटिंग के उस सीलिंग एरिया को कल्टीवेट नहीं कर सकते। सीलिंग का मतलब यह है कि एक कुटुम्ब के पास इतनी जमीन छोड़ी जाय कि वह पूरी फेमिली लेबर कन्ट्रीब्यूट करके उसे कल्टीवेट कर सके और उस सारी जमीन को अपने काम में ले सके। यह सब करते हैं तो कितनी जमीन रह जाती है जिसको वह सबलेट करे।

तीसरे, Not being an agriculturist इसमें यह दे दिया, तो ठीक है जो एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है उनको जमीन बिल्कुल ट्रान्सफर नहीं होनी चाहिये, क्योंकि जितने एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं उनको पहले जमीन मिले। पर ऐसा लगता है कि जैसे जैसे आगे कानून बनाते जाते हैं हम पिछले कानूनों को भूलते जाते हैं। टिनेन्सी एक्ट में एग्रीकल्चरिस्ट को डिफाइन किया है:

'Agriculturist' shall mean a person who by himself or by servants or tenants earns his livelihood wholly or principally by agriculture or by cattle breeding.

और अब एग्रीकल्चरिस्ट में और नान-एग्रीकल्चरिस्ट में डिफरेंस क्या हुआ? जो हेवी लेबर से, हायर से सर्वेन्ट्स से एग्रीकल्चर करवाये उसको एग्रीकल्चरिस्ट मानते हैं तो यह नान-एग्रीकल्चरिस्ट्स कौन हुए? एक

(श्री श्रीमनु सिंह)

ग्रादमी कहता है कि मैं हायर्ड से, हैवी लेबर से, सर्वेन्ट्स से कल्टीवेशन करवाता हूँ personal labour, hired labour and cultivation through servants then is he not an agriculturist?

तो मेन्युअल लेबरी से रेस्ट्रिक्ट करिये कि जो प्लो करता, हारवेस्ट करता है, वीट पैदा करता है वह एग्रीकल्चरिस्ट है। फिर जहां सीलिंग में सबलेटिंग करते हैं वहां आप कैसे मानेंगे कि वे एग्रीकल्चरिस्ट्स में नहीं आते। यह ट्रान्सफर का आर्टिकल, इसलिए मुझे अपील नहीं किया कि जब तक लॉ एग्जिस्टेन्स में नहीं आये तब तक उसका वायोलेशन कैसे हुआ? दूसरे फ्राइन्ड की परिभाषा समझ में नहीं आई कि कैसे फ्राइन्ड को डिफाइन करेंगे।

तीसरा मेरा ऑब्जेक्शन इस क्लॉज़ पर एग्रीकल्चरिस्ट्स की डेफिनेशन पर है। इससे एग्रीकल्चरिस्ट्स और नॉन एग्रीकल्चरिस्ट्स में क्या डिफरेंस होगा

चौथा मेरा ओब्जेक्शन यह है कि सीलिंग लॉ में सबलेटिंग को एडमिट करते हैं तो यह जो रिफोर्म आप लानी चाहते हैं उसके बिल्कुल विपरीत है। सबलेटिंग को, तो सीलिंग में, किसी तरह एडमिट नहीं करना चाहिये।

ये मेरे चार, पांच ओब्जेक्शन हैं, इनको करेक्ट किया जाय तो यह लॉ ऐसा हो सकता है जिसको हम प्रगतिशील कह सकते हैं। लैंडलैस के लिये लैंड रहनी चाहिये, यह हम चाहते हैं परन्तु इसको ऐसा रिस्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्ट करें कि उनके लिये जमीन रहे, कोई क्लॉज़

ऐसा न हो कि एग्जीक्युटिव को इस तरह के अधिकार दे दे कि लोगों को हेरेस किया जाये।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सभापति : श्री रामचन्द्र चौधरी।

श्री रामचन्द्र चौधरी (हनुमानगढ़) : माननीय चेयरमैन महोदय, सेक्शन ३८ डी की इस बात पर विचार हो रहा है कि कौन से ट्रान्सफर्स रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नाजायज और नाजायज करार दें। इस बारे में सदन में माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे हैं, इससे हमें काफी जानकारी मिली है। कुछ सदस्यों के अमेंडमेंट मिले, कुछ ने तो १९४७ से ही जितने ट्रान्सफर्स हुए हैं उनको नाजायज करार देने को कहा है। यह तो बहुत दूर की बात होगी। इस तरह के जितने बिल हिन्दुस्तान की दूसरी स्टेटस के हैं, बिल हमारे यहां मौजूद हैं, जिनको हमने देखा है। सन् १९५९ से पहले किसी ने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ट्रान्सफर्स को नाजायज करार देने के लिये प्रावधान नहीं रखा है। एक केरल ही ऐसी स्टेट है जहां १८ दिसम्बर, १९५७ से ट्रान्सफर्स को रोकने का रखा है, पर वह भी इसलिये कि १९५७ के बहुत पहले जून में करीब, उसका यह बिल पास हो चुका था। तो बिल पास होने के ६ महीने बाद से ट्रान्सफर्स रोकने का रखा है। उसमें जो शर्तें लगाई हैं वह बहुत रीजनेबल हैं।

सेक्शन ५८ है जिसमें उन्होंने लिखा है:—

Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, all voluntary transfers effected

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

after 18th December, 1957, otherwise than—

(i) by way of partion; or

(ii) on account of natural love and affection by a member of a family or an adult unmarried person owning or holding land in excess of the ceiling area, shall be deemed to be transfers calculated to defeat the provisions of this Act and shall be invalid."

उसमें भी उन्होंने, जिन लोगों ने अपने लड़के और भाइयों के नाम से जमीन ट्रान्सफर किया है उसको जायज माना है। इस बिल का मकसद यह मालूम होता है कि जो लड़के, भाई या दूसरे रिश्तेदारों के नाम से ट्रान्सफर भूमि करते हैं उनको इनवेलिड करार दिया जावे। हम एक भावना से बहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जमीन छीन कर उन लोगों को दी जावे जिनके पास जमीन नहीं है। हमने जमींदारी, जागीरदारी और बिश्वेदारी को मिटाया है। अब हमको वह जमीन छीननी है जिस पर लोग सेन्चुरीज मे काश्त करके अपना गुजारा करते हैं। लेकिन चूंकि हम सोशियल जस्टिस के लिये कानून बनाने जा रहे हैं इसलिये हम कहते हैं कि एक खानदान के पास ५० बीघा जमीन रहनी चाहिये। मेरे पास ६० बीघा जमीन है तो आपके हिसाब से मैं ५० बीघा ही जमीन रख सकता हूँ इसलिये मेरी १० बीघा जमीन जो सरप्लस है वह मुझ से छीन ली जावेगी। अगर वही १० बीघा जमीन अपने बच्चे के नाम से ट्रान्सफर करते हैं तो मैं यह कहूँगा कि वह ज्यादा से ज्यादा फेमिली सेटलमेंट है जो १० साल से ज्यादा काम में नहीं आवेगा। अगर इसको हम नाजायज करार देते है तो मैं यह कहूँगा कि यह सोशियल जस्टिस नहीं है क्योंकि केरल में जिनने यह बिल रखा है वह कम्युनेस्ट थे और इस माने में वे अपने को प्रगतिशील कहते हैं और इस बात को मानते हैं कि किसी के पास ज्यादा भूमि न रहे। लेकिन वे इस चीज को मानते है कि जो ट्रान्सफर नेचुरल लव और एफेक्शन से किया जाय वह जायज है और उस तारीख के बाद में भी अगर भाइयों में पार्टीशन किया जावे वह भी जायज हो। इससे अलावा दूसरी ६ स्टेटों ने जो किया है उसके लिये मैं आपको अर्ज करूं। यू० पी० ने इसके सेक्शन ५ क्लॉज़ २ के मुताबिक १५ अगस्त, १६५६ के बाद के जो ट्रान्सफर हैं उनको नल एन्ड वोइड करार देने को कहा है।

तीसरी स्टेट है बिहार। उसमें भी उसने कोई ट्रान्सफर को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नाजायज करार नहीं दिया है। उन्होंने यह कहा है कि बिल पास होने के बाद हम नोटिस जारी करेंगे कि जिन जिन व्यक्तियों के पास सीलिंग एरिया से ज़्यादा जमीन हो वे अपनी जमीन को सरकार को सरेन्डर करे और इस नोटिफिकेशन निकलने के बाद अगर कोई ट्रान्सफर होगा उसको नाजायज करार दिया जावेगा। उन्होंने भी बाद में हुए ट्रान्सफर को नाजायज करार दिया है और यही उसूल आन्ध्र प्रदेश ने भी माना है। उसमें भी उन्होंने एक्ट बनने के बाद, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो ट्रान्सफर होंगे उनको नाजायज माना है। तीसरा बिल दिल्ली में पं० पंतजी ने पेश किया है उसमें भी रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से ट्रान्सफर को कैंसिल करने का प्रावधान नहीं है। इस तरह से

(श्री रामचन्द्र चोधरी)

हिन्दुस्तान की तीन स्टेटें हैं जिन्होंने इस प्रकार के ट्रान्सफरों को रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से नाजायज नहीं माना है। यू० पी० ने १५ अगस्त से और मध्यप्रदेश ने सितम्बर १९५९ से। जब वहां पर गजट में नोटिफिकेशन होगा और उसके बाद के ट्रान्सफरों को नाजायज मानने का प्रोविजन किया है। इसका सेक्शन ४ है जिस पर Restriction on transfer of land लिया गया है और बंबई का सेक्सन ७ है जिसमें यह दिया गया है कि १५ जनवरी १९५९ से जो ट्रान्सफर इस डर से किया गया है to defeat the ends of the ceiling...उनको नाजायज करार देने का प्रोविजन किया है। तो सबसे ज्यादा रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का प्रोविजन बम्बई ने किया है, जो जनवरी १९५९ से है; बाकी ने अगस्त और सितम्बर से किया है। इस तरह से हिन्दुस्तान की ७ स्टेटों का केरल को मिला कर हवाला मिलता है जिसमें से ...

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : बम्बई ने ५९ से किया है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : ५९ से पहले किसी का नहीं है। केरल ने १८ दिसम्बर से किया।

एक माननीय सदस्य : केरल ने १५ स्टेन्डर्ड एकड़ रखा है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह प्रश्न इस वक्त नहीं है। केरल ने १५ स्टेन्डर्ड एकड़ रखा है वह ऐसी जमीन है जहां पर दो फसलें हो सकती हैं। खरीफ और रबी भी होती हैं। इसलिए उसने १५ स्टेन्डर्ड एकड़ रखा है। इसका मतलब यह होगा कि यहां का ३० स्टेन्डर्ड एकड़। केरल की सोइल आप भूलते हैं—वह गंगानगर की सोइल से उसका हिसाब किया जाय तो भी रिच है। केरल की जमीन में कालो मिर्च आदि पैदा होते हैं और वहां पर डबल क्रोप एरिया है तो उस लिहाज से मैं आपको अर्ज कर रहा था कि हमको यह नहीं देखना है कि सभी ने जमीन बेच दी है वह मैलाफाइड इन्टेन्शन से बेची है। हमको इन्साफ की निगाहों में देखना है और इन्साफ करना है। अभी बयाना से आनेवाले माननीय सदस्य ने बताया कि जिस दिन से आपने नोटिफाइ किया हो कि हमने इतना एकड़ सीलिंग कायम किया है; उस चीज को पहले लोगों के सामने रखते। आपने कब लोगों को बताया कि आप कितनी सीलिंग मुकर्रर कर रहे हैं। मुमकिन है आप १०० स्टेन्डर्ड एकड़ कायम कर दें। लोग किस प्रकार जान सकते हैं कि राजस्थान में इतनी सीलिंग सरकार कायम करेगी। इसके नीचे नीचे बेचे और उसके बाहर नहीं बेचे। इसलिए कानूनन हम किसी को ट्रान्सफर करने से रोक नहीं सकते जब तक हम नोटिफाइ न कर दें और वह हम जब बिल इन्ट्रोड्यूस हुआ उससे पहले किसी भी हालत में करने के हकदार नहीं हैं। यह संविधान में है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस कानून में जहां तक उचित हो वहीं तक करना चाहिये।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू): सभापति महोदय, इस विषय में काफी वादविवाद हो चुका है और अभी यह प्रश्न आया हुआ है कि यह जो ट्रान्सफर के होने का प्रश्न है इस पर बहुत विचार करके और गंभीरता से कार्य में लाना चाहिये। मैं यह निवेदन करूंगा

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

कि यदि देखा जावे कि जहां केरल के अतिरिक्त यह रिट्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट कहीं भी काम में नहीं आया है तो फिर राजस्थान में ही इस चीज की क्या आवश्यकता आई है। देखा जाता है तो यहां सदन की और खास धारणा इस तरह रही है कि यह चीज है और इस तरह यह बड़ा विघ्न डालने वाला प्रश्न है इसलिए इसको इस समय में न लिया जावे, जिस समय देश के प्रत्येक तरफ से हालत खराब है। मंहगाई बहुत ज्यादा दिनों-दिन बढ़ती जा रही है, व्यापार और व्यवसाय चौपट हो गये हैं। दक्षिण पथ और उतरापथ क्षुब्ध हो रहे हैं तो ऐसी हालत में इस प्रकार के अप्रगतिशील कानून को यहां लाना उचित नहीं है। मैं तो इसको उचित नहीं समझता कि दूसरों की नकल पर चला जावे।

मेरा खयाल है कि इन सब भावनाओं की कद्र करते हुए हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब इस मामले में इस कानून को रोकेंगे। सीलिंग तो आने की चीज है वह आ ही रहा है लेकिन इस प्रकार से काश्तकारों पर अन्याय हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करें। मैं यह भी अर्ज करूंगा कि भारतवर्ष में कहीं भी इस प्रकार का कनून प्रचलित नहीं है और सिर्फ केरल में ही इस प्रकार का सवाल आया है तो क्या मैं यह समझूं कि डेमोक्रेसी को जहां हमारी सरकार दावा करती है किन्तु उसका बचाव न होकर केवल इस प्रकार का अप्रगतिशील कानून लाकर, राजस्थान जैसे गरीब प्रान्त में जहां जमीन की कोई कीमत नहीं है, वेल्यू नहीं है वहां यह चीज पैदा करके, क्या वहां ही जैसा नमूना, एग्जाम्पल यहां भी सेट करना चाहती है ? मैं तो यही निवेदन करूंगा कि ट्रांसफर के सवाल पर दो चार विचार करके सिर्फ आगे बढना चाहिये। मेरा यह भी निवेदन है कि अगर इस चीज को देखा जाय तो यही प्रतीत होगा कि कहीं भी इस प्रकार की चीज नहीं हुई सिवाय करेला के और उसी को सामने रख कर आगे चलना चाहते हैं........

एक माननीय सदस्य : करेला नहीं केरल।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : केरल समझें। क्या राजस्थान में भी कम्युनिस्ट सरकार कायम करना चाहते हैं ? आज से तीन वर्ष पहले जब यहां सदन में प्रश्न आया था तो मैंने कहा था कि यदि राजस्थान में भी इस प्रकार की स्थिति अपनाई जाती रही और अगले पांच वर्षों में भी अपनाई गई वह स्थिति तो हमें डर है कि कहीं राजस्थान केरल की तरफ जाता हुआ न नजर आये। ऐसे वक्त में इस चीज को दो दफा नहीं तीन दफा सोच कर कीजिये। सीलिंग के सवाल को जरूरी पूरा कीजिये। मैं तो यही इस समय निवेदन करूंगा कि चाहे वे भूले हुए हों अथवा दबे हुए हों, बिना काम के सवाल यहां कई दफा आते हैं जो कि राजपूतों, रईसों, जागीरदारों और जमीदारों से सम्बन्धित होते हैं, लेकिन दूसरे जो अच्छे से अच्छे काश्तकार हैं उनको भी भय पैदा हो गया है और हमें तो दिखाई देता है कि पहले से आधा वे पैदा करने लग गये हैं और उनके विचार इस तरह के रहते हैं और ऊपर ही ऊपर दिखाई देते हैं। इस बिल्डिंग पर तो कहीं किसी प्रकार यह अनभ्र वज्रपात हमारे ऊपर न आकर पड़ जाय और हम विचलित न हो जायं। काश्तकार राजाओं के वक्त में शान्ति

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

से खेती करते थे। आज हमेशा उनको यह खयाल रहता है कि हमारे ऊपर कच्चे धागे से तलवार लटक रही है और वे यह सोच रहे हैं कि किसी समय हम खत्म न हो जायं। इसलिए अगर इन चीजों को लगाना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा, शायद इस सदन में मैं सबसे बूढ़ा आदमी होऊंगा, ऐसी चीजों को ऐसे मौकों पर न लाकर ऐसी परिपाटी उपस्थित नहीं करें जिससे हमें आगे जाकर पछताना पड़े।

एक माननीय सदस्य : क्या आप धमकी देते हैं ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : यह हमारा भी सवाल नहीं है। जाटों और काश्तकारों का भी सवाल है। वे आज न बोलें। किसी तरह से उनका मुख बन्द किया जाता हो, किसी प्रकार का प्रलोभन उनको रहता हो।

(घंटी)

पांच मिनिट में ही मैं अपने भाव प्रकट कर इसको समाप्त करता हूँ, यही कह कर कि जिस वक्त में इस प्रकार का सवाल आये हमको इसका बायकाट कर देना चाहिये। इतने से जमीन के टुकड़े को लेकर क्या करना है। जो खेती नहीं करते हैं वे भी किसी तरह से रहते हैं तो इस प्रकार के छोटे से टुकड़े को ठोकर मार देनी चाहिये। राजपूत और जाट यह करते हुए खुश रहें कि अहले-वतन अब हम तो सफर करते हैं।

श्री भीमसेन : सभापति महोदय,... ....

श्री सभापति : Yon have to finish your speech within four minutes. The Government reply would begin on Monday. So if you want to speak for four minutes, then you can.

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्लॉज ३१ डी पर बहस चल रही है। हमने इस क्लॉज में १ जनवरी, १९५७ के बाद के जमीन के स्थानान्तरण को अवैध माना है। माननीय चैयरमेंन महोदय, में इस क्लॉज को दो पहलू से देखना चाहता हूं। एक इसका सैद्धान्तिक पहलू है और दूसरा व्यवहारिक पहलू है। हमने फेमिली की डेफिनेशन मानी है हसबेन्ड, वाइफ एन्ड चिल्ड्रन एन्ड ग्रान्ड चिल्ड्रन डिपेन्डेन्ट। यह डेफिनिशन मानी है। उसके साथ साथ सेक्शन ए में ऐसे ट्रान्सफर्स किसी रिलेशन में किये हों तो अवैध करार देने जा रहे हैं। जब फेमिली की परिभाषा के अन्तर्गत ट्रान्सफर्स हुए हैं और अलग अलग उसके हिसाब से फेमिली होल्ड करते हैं तो इस प्रकार का कानून रखना गैर कानूनी है और न्याय की दृष्टि से उचित नहीं है।

दूसरा इसके साथ यह भी रखा गया है कि एग्रीलल्चरिस्ट के हक में जो ट्रान्सफर किये गये हैं, हुए हैं, वे जायज माने जावेंगे लेकिन रिलेशन्स में या फ्रेन्ड्स के हक में नाजायज माने जावेंगे। मैं समझता हूं हमारे कॉन्स्टिट्युशन ने हमको इक्वीलिटी ऑफ लॉ दिया है। जस्टिस को लॉ को सब के लिए बराबर माना है। एक तरफ किये गये ट्रान्सफर को इसके द्वारा जायज मान रहे हैं और दूसरी तरफ रिलेटिव और फ्रेन्ड को किये गये ट्रान्सफर नाजायज मान रहे हैं। क्या फ्रेन्ड और रिलेटिव होने के नाते वे एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा में नहीं आते हैं ? कॉन्स्टिट्युशन के अन्तर्गत जो लॉ की इक्वीलिटी दी गई

Page No 109

(श्री भीमसेन)

है यह प्रावधान उसके विरुद्ध पड़ता है। ५७ के बाद के जो ट्रान्सफर्स रखे हैं वे आरबिट्रेरी हैं लेकिन वैधानिक रूप से इसको देखते हैं तो जो ट्रान्सफर्स हुए हैं, लैंडलेस और एग्रीकल्चरलिस्ट के हक में ट्रान्सफर्स हुए हैं और हो रहे हैं। तो सरकार का बर्डन कम हो रहा है। लैंडलैस के हक में ट्रान्सफर्स पर प्रतिबन्ध जायज हो सकते हैं लेकिन इस प्रकार........

(घंटी)

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही सोमवार के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

[तदनन्तर सदन की कार्यवाही दिनांक ४-१२-५९ सांय ५ बजे सोमवार दिनांक ७-१२-५९ के ११ म. पू. तक के लिए स्थगित हुई।]

———

संक्षिप्त-विवरण

(बुधवार दिनांक ४ दिसम्बर, १९५६)

	स्तम्भ		स्तम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	८५५	जयपुर की विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं को दी जाने वाली बिजली	
गोनेर की स्कूल को हायर सेकिन्डरी स्कूल में परिवर्तित करना		मारवाड़ जंकशन से लूनी जंकशन पर आने वाली रेलगाड़ी में पकड़ी गई अफीम	
श्री दुर्गादान डिप्टी डाइरेक्टर एनिमल हस्बेन्ड्री, जोधपुर और बीकानेर डिवीजन द्वारा किये गये स्थानान्तरण		उदयपुर डिविजन में नियुक्त बीकानेर डिविजन के वेटेनेरी कम्पाउन्डर्स एवं स्टाकमैन का अपने जिलों में तबादला	
गाठड़ा (बूंदी) बांध के निर्माण से काश्तकारों की जमीन व मकानात का डूब में आना		देसूरी तहसील में सुमेर बांध की योजना	
जिला कोटा एवं बूंदी में तैयार किये जाने वाले शोरा खार से सरकारी आय		पाली जिले की माइनर व मीडियम इर्रिगेशन प्रोजेक्ट्स स्कीमों का सर्वे	
तहसील देवली व उनियारा के काश्तकारान को चद्दरें प्राप्त करने में दिक्कतें		'की' विलेज सेन्टर	
कोटड़ा एवं भाणपुरा के जंगलों का ठेका एवं उससे आय		डाकुओं के हमलों से हुई हत्यायें एवं सरकार द्वारा उनकी धर-पकड़	
डिस्ट्रिक्ट टोंक के बन्धों से पिलाई की आमदनी इन्वेस्टमेंट के पर्सन्टेज से कम		खेतड़ी के जागीर अध्यापकों एवं कोटपूतली के अध्यापकों का फिक्सेशन	
कृषि तथा लघु उद्योगों को सस्ती बिजली की उपलब्धी		ग्राम केली के निकट गंभीरी नदी पर पुल बांधा जाना	
गायों की स्वीकृत नस्लों के आधार		भाखरा नहर क्षेत्र योजना के	

स्कम्भ

अन्तर्गत आने वाले गांवों के व्यक्तियों की जमीन के तबादले

श्री महादेव प्रसाद, इकोनोमिस्ट, बाटेनिस्ट

भरतपुर जिलों में पड़े डाके एवं पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही

अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड में पेन्शनयाफ्ता वर्क चार्ज्ड मुलाजिमों की नियुक्ति का आधार

अदालत मुन्सफी, भादरा में जुडिशियल लॉक अप की कमी

भरतपुर जिले में ट्रैक्टरों की खरीद के लिये दिया गया ऋण

सेड़वा पुलिस थाने के हैड कॉन्स्टेबल, श्री रायसिंह सोढ़ा की मृत्यु में सम्मिलित अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही

भरतपुर जिले की क्षतिग्रस्त सड़कों का जीर्णोद्धार

पुलिस विभाग में खरीदे गये तापक श्री मिट्ठनलाल की मृत्यु का विवरण।

कोटा फोरेस्ट स्कूल

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में, नगरपालिका भरतपुर के पैन्डिंग मामले

स्कम्भ

स्थगन प्रस्ताव ६२४

पूर्वी बंगाल से आये हुये विस्थापितों के पुनर्वास से सम्बन्धित जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री दयाकृष्ण विजय, सदस्य विधान सभा, ने दी थी उस बारे में पुनर्वास मन्त्री, श्री दामोदरलाल व्यास ने एक वक्तव्य दिया

उक्त प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई

विधायी कार्य

राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, १६५८। ६२६

प्रवर समिति द्वारा प्रविवेदित उपरोक्त विधेयक पर आज भी खंडशः विचार जारी रहा

खंड ३–धारा ३० सी:—संशोधित रूप में स्वीकार किया गया

खंड ३–धारा ३० डी:–इस धारा पर १२ सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किये। इनके अतिरिक्त, इन पर की गई बहस में ७ सदस्यों ने भाग लिया

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२७ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE NAMES OF THE PERSONS WHO WERE TRANSFERED BY THE DY. DIRECTOR, ANIMAL HUSBANDRY, JODHPUR & BIKANER DIVISION. JODHPUR, W. E .F. 1-4-57 TO 31-8-57.

S. No.	Name	Designation	PLACE OF POSTING. From	PLACE OF POSTING. To	Office Order No. & date	Remarks.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Shri Ram Singh	Stockman.	N.E.S block Deedwana	Vety. Disp. Degana	E.C./123-131 dt. 9.4.57	On request.
2.	„ Man Mohan Prasad	„	Block Bagidora.	Block Deedwana	-do-	Vide Order No. 288 dt. 6.4.57 Dy. Director.
3.	„ Bhanwar Lal	„	Block Nokha	V. D. Nokha	Estt/2168-71 dt. 27.5.57	(Adm) A. H., Jaipur, On recommondation of D. V. O. Bikaner.

१	२	३	४	५	६	७
4. „	Mirza Mohd Sadiq	Stockman	V. D. Nokha	Block Nokha	Estt/2168-71 dt. 27.5.57	-do-
5. „	Ganpat Singh.	Compounder	V, D. Mandawa	M. V. D. Pali	E. C. 2476-94 dt. 6.6.57	On complaint.
6. „	Tej Singh	„	M. V. D. Pali	V. D. Parbatsar	-do-	
7. „	Kishan Singh	„	V. D. Parbatsar	V. H. Merta	-do-	
8. „	Ghanshyam	„	V. H. Merta	V. D. Mandawa	-do-	
9. „	Todarmal	Stockman	V. H. Makrana	V. D. Lunkaransar	-do-	
10. „	Nath Mal	„	V. D. Lunkaransar	V. H. Bhadra	-do-	
11. „	Akshya Ram	„	V. H. Bhadra.	V. D. Ramgarh	-do-	On complaint.
12. „	Govind Singh	Compounder	V. D. Siwana	V. D. Kuchera	E. C. 3730-31 dt. 11.7.57	
13. „	Shiv Behari	„	V. H. Sirohi	M. V. D. Pali	E. D./2781 dt. 15.6.57	
14. „	Pokar Singh	„	V. H. Bali	V. D. Desuri	-do-	
15. „	Achal Singh	„	V. D. Desuri	B. H. Bali	-do-	

१	२	३	४	५	६	७
16. „	Chhotu Singh	Compounder	V. H. Jodhpur	V. H. Pali	E. C./3059-80 dt. 24.6.57	
17. „	Rama Kishan	„	V. D. Sheo	V. H. Jodhpur	E. C./2721-814 dt. 15.6.57	
18. „	Udai Raj	„	V. H. Churu	Block Sojat	-do-	
19. „	Govind Ram	Stockman	V. D. Mandawa	V. H. Merta City	-do-	
20. „	Mukan Singh	„	V. D. Merta	V. D. Jayal	-do-	
21. „	Sanwat Ram	„	V. D. Jawal	V. D. Ladnu	E. C./2721-814 dt. 16.6.57	
22. „	Hajari Mal	„	V. D. Ladnu	M. I. U. Nagaur	-do-	
23. „	Rawat Ram	„	M. I. U. Nagaur	V. D. Mandawa	-do-	
24. „	Gangaram	„	V. D. Phalodi	V. D. Rowars	-do-	
25. „	Bansi Lal	„	V. D. Pokharan	V. D. Phalodi	-do-	
26. „	Kedar Roop	„	V. D. Bilara	V. H. Makarana	-do-	

Page No 115

१	२	३	४	५	६	७
27. "	Jalim Singh	Stockman	V. H. Ahore	Block Ahore	-do-	Kept in abeyance 3174-77 dt. 25.6.57 vide B. D. O. Ahore No. 232 dt. 28.6.57.
28. "	Bharu Baksh	"	Block Ahore	Block Marwar Jn.	-do-	
29. ,	Ram Lal	"	Block Bilara	Block Osian	-do-	
30. "	Ranchor Dan	"	Block Osian	Block Bilara	-do-	
31. "	Umed Singh	Compounder	V. H. Bilara	V. H. Sojat	E. C./3134-52 dt. 25.6.57	
32. "	Amba Lal	"	V. H. Sojat	V. H. Bilara	-do-	
33. "	Parmanandpuri	"	V. H. Sirohi	V. H. Pali	E. C./3720-31 dt. 11.7.57	
34. "	Amar Singh	"	M. I. U. Sirohi	V. D. Ahore	E. C./3134-52 dt. 25.6.57	Kept abeyance on V.O. Sirohi request.

१	२	३	४	५	६	७
35. ,,	Sohan Singh	Compounder	V. D. Sajiri	V. D. Sheo	-do-	
36. ,,	Hari Singh	Stockman	V. H. Churu	V. H. Churu as comp.	-do-	
37. ,,	Ram Lal	,,	Block Osian	V. D. Bap	-do-	
38. ,,	Bhanwari Lal	Stockman	Block Sumerpur	Block Osian	-do-	
39. ,,	Richhpal Singh	,,	Block Deedwana	Block Kuchaman	-do-	on request.
40. ,,	Ganapat Singh	,,	Block Kuchaman	Block Deedwana	-do-	—do—
41. ,,	Shri Ragu Dass	,,	V. H. Pali	M. V. D. Pali	E. C./3134-52 dt. 25.6.57	
42. ,,	Girdhari Singh	,,	V. D. Kuchera	V. D. Siwana	-do-	
43. ,,	Chandra Kishore	,,	V. D. Pindwara	Block Sheo	E. C./3395/5 dt. 29.6.57	
44. ,,	Narpat Singh	,,	V. D. Desuri	Block Marwar Jn.	-do-	
45. ,,	Hardew	,,	V. H. Pali	V. H. Pindwara	E. C./3720-31 dt. 11.7.57	
46. ,,	Govind Singh	Compounder	V. D. Ahore	V. H. Bali	E. C./5129-38 dt. 27.7.57	
47. ,,	Achal Singh	,,	V. H. Bali	V. D. Kuchera	-do-	

१	२	३	४	५	६	७
48. „	Kingh Laj Dan	Stockman	K. V. Kishangarh	Block Suratgarh	Estt./6365 dt. 31.8.57	on approval of Deputy Director, Key Village, Jaipur.
49. „	Banshi Dhar	„	V. D. Degana	D. V. O. Pali as L. D. C.	Estt/553-58 dt. 2.8.58	
50. „	Parmanand Puri	„	V. H. Sirohi	M. I. U. Sirohi	E. C./3134-52 dt. 25.5.57	Kept in abeyance on request of V. O. Sirohi, No. 3174-77 dt. 25.6.57.

OFFICE OF THE DEPUTY DIRECTOR OF METERINARY AND ANIMAL HUSBANDRY, JODHPUR & BIKANER DIVISION, JODHPUR.

No. E. C./3174 to 3177 - Dt. 25th June, 1958.

OFFICE ORDER.

The following transfers are held in abeyance untill further orders :—

S. No.	Name with Designation.	From	To
1.	Shri Amar Singh Compounder.	M. I. V. Sirohi,	V. D. Ahore as Stockman
2.	,, Zalm Singh Stockman.	V. D. Ahore.	N. E. S. Block, Ahore.
3.	,, Bharu Bux. ,,	N. E. S. Block, Ahore.	N. E. S. Block, Marwar Jn.
4.	,, Parmanand ,,	Vety. Hosp. Sirohi.	M. I. U. Sirohi.

Sd/-

Dy. Director, Vety. & Animal Husbandry,
Jodhpur.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३० का उत्तर देखिये)

सन् १९५८ व १९५९ में जिला टौंक में तहसीलवार चद्दरों के वितरण की तालिका

क्रम सं०	नाम तहसील	चद्दरों की संख्या जो वितरण की गई १९५८	१९५९
१	टौंक	१०६०	९७६
२	टोडा रायसिंह	९७१	७६१
३	उनियारा अलीगढ़	८४१	९७१
४	देवली	५१३	७४०
५	निवाई	७४०	६०३
६	मालपुरा	६१६	८२४
	योग	४७४१	४८२१

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३१ का उत्तर देखिये)

कोटड़ा रेंज के कूपों की सूची जो गत वर्षों में ठेके पर दिए गए

सन्	नाम कूप व जंगल	नाम ठेकेदार जिनको जंगल दिया गया।	कीमत
१	२	३	४
१९५७-५८	(१) तेजा का वास (कत्था)	श्री कमरुद्दीन	६८००) रु०
	(२) टेपर (कत्था)	,,	७३६०) रु०
	(३) कोलदरा भीम तलाई (बांस)	श्री अब्दुलअजीज	५२००) रु०
	(४) उमरिया माड़ड़ी (बांस)	,,	४५००) रु०
	(५) ढेढमारिया (बांस) नं० १	,,	८५००) रु०
	(६) खजुरिया (बांस) नं० ५	श्री जमालुद्दीन	३१००) रु०
	(७) तिलोई (बांस) नं० १	श्री अब्दुल अजीज	६१००) रु०
	(८) चांपा की नाल (बांस) नं० १	श्री माधोसिंह	५००१) रु०
	(९) नाकोला नं० ७ (लकड़ी कोयला)	श्री अब्दुल करीम	११२००) रु०
	(१०) उमरिया नं० ८(लकड़ी कोयला)	श्री नासर अली	५०००) रु०
	(११) ढेढमारिया नं० ९ (कोयला)	श्री मोहम्मद रफीक	५०००) रु०
	(१२) जोगीबड़ नं० ४ (कोयला)	श्री अब्दुल अजीज	४५००) रु०
	(१३) सुवरा सुवरी नं० ६ (कोयला)	श्री निजामुद्दीन	३१००) रु०
	(१४) लाम्भाखेतर नं० ५ (कोयला)	श्री हसनमोहम्मद	३०००) रु०
	(१५) सांमोली नं० ४ (कोयला)	श्री मोहम्मद हनीफ	६०००) रु०
	(१६) पीपल माल नं० ५ (कोयला)	,,	७२५१) रु०
	(१७) चांपाकी नाल नं० ४ (कोयला)	श्री ईस्माइल	२५००) रु०
	(१८) ढोलरिया नाल नं० ५(कोयला)	श्री धर्मसिंह	५१००) रु०

१	२	३	४
१९५८–५९	(१) खोखरिया नाल नं० ६ (लकड़ी कोयला)	श्री धर्मसिंह	५०००) रु०
	(२) पीपल नाल नं० ६ (लकड़ी कोयला)	श्री गुलाममुस्तफा	६४००) रु०
	(३) तिलोई नं० १० (लकड़ी कोयला)	श्री समालीराम	१२१००) रु०
	(४) लाम्बा खेतर नं० ६ (लकड़ी कोयला)	श्री हसन मोहम्मद	६०२५) रु०
	(५) ढेदमारिया नं १० (लकड़ी कोयला)	श्री मोमानअली	५८५०) रु०
	(६) उमरिया नं० १ (लकड़ी कोयला)	श्री कमरुद्दीन	६६५०) रु०
	(७) नाकोला नं० ८ (लकड़ी कोयला)	,,	१००००) रु०
	(८) सुवरा सुवरी नं० ७ (लकड़ी कोयला)	,,	६०००) रु०
	(९) जोगीबड़ नं० ५ (लकड़ी कोयला)	श्री मोहम्मद हुसेन	७५००) रु०
	(१०) सामोली नं० ९ (लकड़ी कोयला)	श्री मोहम्मद हनीफ	११०२५) रु०
	(११) चांपा की नाल नं० ९ (लकड़ी कोयला)	श्री गफूर	३४००) रु०
	(१२) उमरिया (कत्था)	श्री इमदाद हुसेन	४००००) रु०
	(१३) गादोटा (कत्था)	श्री कमरुद्दीन	३०३००) रु०
	(१४) कोलदरा नं० २ (बांस)	श्री उमरिया वन श्रमिक सहकारी समिति, उमरिया कोटड़ा	७०००) रु०

१	२	३	४
	(१५) उमरिया नं० ६ (बांस)	श्री तैयब हुसेन	१३५२५) रु०
	(१६) ढेढमारिया नं० २ (बांस)	श्री कमरुद्दीन	१४०००) रु०
	(१७) तिलोई नं० २ (बांस)	श्री जमालुद्दीन	२०७००) रु०
	(१८) चांपा की नाल नं० २ (बांस)	श्री माधोसिंह	५००१) रु०
१६५६–६०	(१) वाया की नाल नं० १० - (लकड़ी कोयला)	श्री जमालुद्दीन	१२०००) रु०
	(२) सामोली नं० १० (लकड़ी कोयला)	श्री हाजी गुलाममोहम्मद	११०००) रु०
	(३) खोखारिया नाल नं० ७ (लकड़ी कोयला)	श्री धर्मसिंह	१४५००) रु०
	(४) पीपल माल नं० ७ (लकड़ी कोयला)	श्री गुलाममुस्तफा	१६२७५) रु०
	(५) तिलोई नं० १ (लकड़ी कोयला)	श्री समालोराम	१६०००) रु०
	(६) लाम्बा खेतर नं० ६ (लकड़ी कोयला)	श्री हसन	२०२५) रु०
	(७) सुवरा सुवरी जोगीबड़ नं ६ (लकड़ी कोयला)	श्री मोहम्मद अनवर	१७१२५) रु०
	(८)ढेढमारिया नं० ११ (लकड़ी कोयला)	श्री कुरबानहुसैन	१७६२५) रु०
	(९) उमरिया नं० १० (लकड़ी कोयला)	श्री अब्बासअली	१५१७५) रु०
	(१०) नाकोला (भामेर) नं० ६ (लकड़ी कोयला)	श्री नब्बूभाई	२११००) रु०

१	२	३	४
	(११) उमरिया (कत्था)	श्री कमरुद्दीन	२०७००) रु०
	(१२) पुरी देवरी (कत्था)	श्री गुलामअब्बास	१५१५०) रु०
	(१३) चांपा की नाल नं० ३ (बांस)	श्री अब्दुल्ला	१२२००) रु०
	(१४) तिलोंई नं० ३ (बांस)	श्री समालीराम	२०१००) रु०
	(१५) सामोली नं० २ (बांस)	श्री धर्मसिंह	१८३५७) रु०
	(१६) खजूरिया नं० २ (बांस)	श्री जोगीवड़ वन सहकारी समिति	१२७००) रु०
	(१७) ढेढमारिया नं० ३ (बांस)	श्री ढेढमारिया वन सहकारी समिति	१७०००) रु०
	(१८) उमरिया नं० २ (बांस)	श्री रसूल भाई	५००००) रु०
	(१९) कोलदरा (बांस)	श्री उमरिया वन श्रमिक सहकारी समिति गुरा	८०००) रु०
	(२०) खजूरिया नं० १ (बांस)	श्री जयनारायण	१८१००) रु०

मानपुर रेंज की सूची

१९५७–५८	(१) मालगढ़ नं० २ (बांस)	श्री गुलाममोहम्मद	१००००) रु०
	(२) गवार नं० १४ (लकड़ी कोयला)	श्री जहरुद्दीन	२६००) रु०
	(३) राणा कांकर नं० १४ (लकड़ी कोयला)	श्री हसन	३२५०) रु०
	(४) कोटड़ा नं १३ (लकड़ी कोयला)	श्री मोहम्मद युसुफ	४२५०) रु०
	(५) मालगढ़ नं० १४ (लकड़ी कोयला)	श्री गुलाममोहम्मद	५३००) रु०
	(६) मघा नं० १३ (लकड़ी कोयला)	श्री मोहम्मद सद्दीक	४५५०) रु०

१	२	३	४
	(७) बोखाड़ा नं० ८ (लकड़ी कोयला)	श्री गुलाममोहम्मद	३५००) रु०
	(८) सामरा नं० ७ (,,)	श्री बाबू लतीफ	४०५१) रु०
	(९) सैमाण नं० १३ (,,)	श्री गफूर	१७००) रु०
	(१०) केरब नं० १० (,,)	श्री इस्माइल	३००१) रु०
	(११) सैमल नं० ५ (,,)	श्री इस्माइल	६५००) रु०
	(१२) रूपनगर नं० १२ (,,)	श्री दौलतसिंह	१५३००) रु०
	(१३) उमरवास नं० १२ (,,)	श्री अब्दुल गफूर	२६००) रु०
	(१४) सेवन्त्री नं० १३ (,,)	श्री रूपनारायण	१३७५०) रु०
	(१५) सोगेटी नं० ६ (,,)	श्री इस्माईल	५१००) रु०
१९५८–५९	(१) गवार नं० १५ (,,)	श्री अमरिकसिंह	७१२५) रु०
	(२) राणां कांकर नं० १५ (,,)	श्री हसन	४१२५) रु०
	(३) कोटड़ा नं० १४ (,,)	श्री युसुफ	४१७५) रु०
	(४) मालगढ़ नं० १५ (,,)	श्री अहमद	३३००) रु०
	(५) मघा नं० १४ (,,)	श्री अहमद	३३००) रु०
	(६) बोखाड़ा नं० ९ (,,)	श्री अहमद	३५००) रु०
	(७) सैमल नं० १४ (,,)	श्री बाबू लतीफ	२५००) रु०
	(८) सामरा नं० ८ (,,)	श्री बाबू लतीफ	३५००) रु०
	(९) करेच नं० ११ (,,)	श्री गफूर	३००१) रु०
	(१०) सोंगेटी नं० ७ (,,)	श्री इस्माइल	२८५१) रु०
	(११) रूपनगर नं० १३ (,,)	श्री रूघुनाथ	१२५००) रु०
	(१२) सेवन्त्री नं० १४ (,,)	श्री दीदारखां	१००००) रु०

१	२	३	४
	(१३) उमरलास नं० १३ (,,)	श्री अमरिकसिंह	११०५०) रु०
	(१४) रावछ नं० १ (बांस)	श्री अब्दुल्ला श्री माधोसिंह	५०००) रु०
१६५६–६०	(१) पालर (गवार) (,,)	श्री अमरिकसिंह	१३००१) रु०
	(२) राणाकांकर नं० १६ (,,)	श्री हसन	१३०००) रु०
	(३) कोटड़ा नं० १५ (,,)	श्री कासम	१५०००) रु०
	(४) मालगढ़ नं० १६ (,,)	श्री इब्राहीम	६५००) रु०
	(५) मघा नं० १५	श्री अहमद	६४००) रु०
	(६) बाखाड़ा नं० १० (,,)	श्री अहमद	६५००) रु०
	(७) सामरा नं० ६ (,,)	श्री बाबू लतीफ	६७००) रु०
	(८) सैमल नं० १५ (,,)	श्री बाबू लतीफ	४०००) रु०
	(९) केस्व नं० १२ (,,)	श्री हाजीमोहम्मद	१८००१) रु०
	(१०) सोगेटी नं० ८ (,,)	श्री इस्माइल	४०००) रु०
	(११) रूपनगर नं० १४	श्री रूघुनाथ	३१२५६) २५ न. पै.
	(१२) सेवन्गी नं० १५ (,,)	श्री अमरिकसिंह	२८००१) रु०
	(१३) उमरखास नं० १४ (बांस),,	श्री दीदारखां	८०००) रु०
	(१४) केस्व नं० २ (बांस)	श्री अब्दुल्ला	१७१००) रु०
	(१५) मालगढ़ नं० १ (,,)	श्री माधोसिंह	१५००१) रु०

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६६ का उत्तर देखिये)

COPY, OF LETTER No. 8. H (B) (1)/56, DATED THE 8th MARCH 1956, FROM THE UNDER SECY. TO THE GOVT. OF INDIA, MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY, NEW DELHI, TO THE ALL STATE GOVERNMENTS.

Sub :—Small Scale Industries-Supply of Power to-Subsidy on.—

The Government of India have had, for sometime past, under Consideration the question of supplying power at cheap rates to small industries. The present tariff rates are fixed on a slab system under which a large unit using more power gets a cheaper rate than a small factory using less of power. These places the small unit at a positive disadvantage vis-a-vis a large unit manufacturing the same type of goods.

2. The provision of cheap power to small industry was also discussed at the meeting of the Small Scale Industries Board held at Rajkot in December, 1953. The recommandations of this board have been further considered by the Government of India. They feel that the following steps should be taken in this direction:—

(1) Where power is supplied by the Electricity Deptt. of a State Govt. or by any State-owend organisation, the State Government should examine and so adjust their tariff rates as to make power available at a cheap rate (about 1 anna 6 pies per unit) to small Industries.

(2) In cases where power is supplied by private agencies, the State Government should examine whether the tariff cannot be so adjusted as to make supplies to small industries at concessional rates. If after such examination, it is found that the supply of power at concessional rates would untail a less to the electricity supply and the State Governments is equal preportions, but they trust that such lesses would be negligible.

(3) The State Governments might take up first the supply of power to industries which they wish particularly to promote and develop

which should, preferably, be on a localiesed basis. The concessaion of cheap power would be particularely necessary where the present tariff rates operate as hinderence to the quick and proper development of small industries.

(4) The Govt. of India consider that a rate of 1 anna 6 pies per unit could reasonably be paid by small industries and this rate should be adopted as the basis for all schemes where subsidy would have to be paid to private electricity undertakings.

(5) The Govt. of India trust that in view of the importance of the subject the State Governments would have an immediate examination of the problem undertaken. They would be grateful to be informed of the action taken by the State Governments, the areas in which the tariff is scaled down with a view to assisting small industries, the number of Industrial undertakings that would be assisted and other relevant rates.

No. F. 503/59-IRN (II)

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTARY OF FOOD & AGRICULTURE
DEPARTMENT OF AGRICULTURE

From New Delhi the 5th May, 1959.

Shri V. Balasubramanian, Under Secy, to the Govt. of India.

To,

1. The Chief Secretary, all States.
2. The Chief Commissioner, all Union Territories.

Sir,

I am directed to say that it has been brought to the notice of this Ministry by some Members of Parliament that in some of the States a minimum gurantee of electric consumption is being insisted even though the electric supply i s not regular for agricultural purposes. As the State Govt. will appreciate, the insistence for a gurantee of this nature will deprive a majority of the cultivators the use of electricity for agricultural purposes thus adversely affecting food production. In the circumstances, I am to request that the State Govt. concerned may be advised to review the question of minimum gurantee so that insstance on such a gurantee if necessary, does not in any way affect expansion of lift irrigation.

The action taken in the mater may kindly be communicated to this Ministary early.

———

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित पृष्ठ संख्या १४२ का उत्तर देखिये)

TOUR STATEMENT OF DY. DIRECTOR OF KEY VILLAGE SCHEME FROM APRIL 59 TO OCT. 59.

1. April, 58.	
3-4-58 to 8-4-58	Bikaner, Nohar Nawalgarh Raisinghnagar,
25-4-58 to 30-4-58	Jodhpur. Bikaner.
2. June, 58.	
17-6-58 to 18-6-58	Bassi.
23-6-58 to 26-6-58	Bikaner.
3. July, 58 (No. K. V. Block has been inspected.	
2-7-58 to 3-7-58	Alwar.
6-7-58 to 8-7-58	Kotah & Bundi.
4. Aug, 58.	
3-8-58 to 4-8-58	Alwar.
6-8-58 to 10-8-58	Jodhpur, Raniwara and Sanchore.
5. Sept, 58.	
1-9-58 to 2-9-58	Tonk, Bundi, Devli, Kotah,
7-9-58 to 8-9-58	Bassi.
9-9-58 to 9-9-58	Ajmer.
10-9-58 to 16-9-58	Bikaner.
6. Oct, 58.	
27-10-58 to 28-10-58	Alwar.
4-11-58 to 11-11-58	Bikaner & Mahajan.
7. December, 58	Bassi.
8. Jan., 59	
4-11-59 to 4-1-59	Alwar.
9. Feb., 59.	
27-1-59 30-1-59	Jodhpur, Jaisalmer.
4-2-59 to 8-2-59	Bikaner.
18-2-59 to 21-2-59	Nagour.

Page No 130

10.	March, 59	
	10-3-59 to 12-3-59	Kotah & Bundi
	20-3-59 to 20-3-59	Alwar.
11.	April, 59	
	18-4-59 to 19-4-59	Pilani.
12.	May & June, 59	
	31-5-59 to 4-6-59	Bikaner.
	18-6-59 to 18-6-59	Alwar.
	23-6-59 to 24-6-59	Pilani.
13.	July & August, 59	
	12-7-59 to 13-7-59	Pilani.
	23-7-59 to 24-7-59	Ajmer.
	15-8-59 to 18-8-59	Alwar.
14.	Sept. 59	
	20-9-59 to 25-9-59	Nagour and Bikaner.
15.	Oct., 59	
	1-10-59 to 3-10-59	Nagour.
16.	Oct., 59	
	10-1-59 to 11-11-59	Ajmer, Kekri.

पार्ट तीसरे का उत्तर

उप-संचालक 'की' विलेज-स्कीम द्वारा 'की' विलेज सेन्टर्स का निरीक्षण रिपोर्ट का संक्षिप्त वर्णनन:—

१—की-विलेज-स्कीम के गांव जहां तक हों एक से दूसरा गांव मिला हुआ हो और जहां तक हो सके उनके बीच कोई गांव, ए० आई० सेन्टर से जा छोड़ा जाय।

२—६ की विलेज युनिट वाली स्कीम में मादिन गायों तथा भैंसों की जो कि ब्याने लायक हों उनकी संख्या ५००० के आसपास ही हो और अधिक अन्तर नहीं होना चाहिए।

३—गांवों में जहां सांड प्राकृतिक संयम के लिए किसी पशुपालन अथवा पंचायत के पास हो उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जानी चाहिये, साथ ही ध्यान रखा जाय कि सांड गौ घेर में चरने नहीं जाय ताकि उससे उसकी तन्दुरुस्ती का विशेष ध्यान दिया जा सकता है और खेतों का भी विशेष नुकसान न हो।

४—की विलेज के जानवरों को रजिस्टर कर लेना चाहिये और उनके ब्यान में नम्बर आंक दिया जाय।

५—मिल्क रिकॉर्डर जब दूध की जांच करने जाय तो दोनों समय अर्थात् सुबह और शाम में ही रहे जहां मिल्क रिकॉर्डिंग की जायेगी, और मिल्क रिकॉर्डिंग नये सर्क्यूलर के अनुसार ही की जाय।

६—जहां तक हो सके स्टार्कमन अपने गांवों के हैड क्वार्टर्स में ही रहे।

७—गायों तथा भैंसों के कार्डस बनाये जिसमें उसका सारा विवरण इन्द्राज किया जा सके।

८—सीमन नियमित समय से तथा बराबर रूप से उप केन्द्रों में भेजा जाय जिसमें यह ध्यान रखा जाय के सीमन शिपर का अवश्य उपयोग हो ताकि सीमन को नुकसान ना पहुंचे। बल्कि एक थर्मस तो बर्फ का और साथ में भेजना चाहिये ताकि बर्फ की कमी की वजह से सीमन खराब ना होवे।

६—हर उप केन्द्रों में क्योंकि अभी स्टरलाइज़ेशन के सामान की कमी है इसलिए कैथेटर, स्पैक्यूलम वगैरह की विलेज सेन्टर से ही स्टरलाइज करके भेजे जायें।

१०—सीमन (वीर्य) इक्ट्ठा करने के पश्चात् बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाय। और साथ ही पी० एच० का भी ध्यान रखा जाय। डाइल्यूटर और सीमन की पी० एच० करीब करीब एकसी ही हो।

११—बर्फ में ऐन्टीबायोटिक्स जरूर डाले जायें, स्ट्रेप्टो-माईसीन ०.५ ग्राम से १ ग्राम प्रति एक मिलीसिटर के तथा पेनिसलीन ५०० से १००० आई यू० प्रति एक मिलीसिटर के।

१२—सेन्टर्स पर कार्य का रिकॉर्ड पूरा रखा जाय जिसमें चार्ट, ग्राफ तथा व देश द्वारा दर्शित किया जा सके। यह सब रिकॉर्ड केन्द्रों में तथा उप-केन्द्रों में दोनों जगह रखा जाय।

ऊपर लिखी सब बातों पर अमल किया जा रहा है जो कि इस स्कीम की बढ़ोतरी के लिए अतिआवश्यक थी। तथा शनै शनै स्कीम का कार्य उन्नति कर रहा है।

संचालक पशु-पालन-विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५२ का उत्तर देखिये)

LIST SHOWING NAMES OF THE PARENTAGE OF PERSONS TO WHOM TACCAVI FOR TRACTORS WAS ADVANCED SINCE 1950-51 TO 1958, ALONG WITH THE AMOUNT SANCTIONED AND REGISTRATION NUMBER OF TRACTORS.

S. No.	Name with parentage	Amount.	Tractors' Registration number.
1.	Col. Chamandi Singh S/O Ch.		R. J. D.
	Birbal Singh, Bharatpur.	3,912/12/-	305
2.	Shri Shayam Lal S/O Tikam Singh, Kabai.	5,000/-/-	30
3.	" Sher Singh S/O Chandan Singh.	4,800/-/-	315
4.	Sh. mati Rani Ajay Kaur W/O Raja Man Singh.	14,150/-/-	482
5.	Shri Parash Ram S/O Jiwan Singh.	15,000/-/-	345
6.	Shri Gurucharan Singh S/O Shri Laxman Singh.	5,000/-/-	380
7.	Th. Gajender Singh S/O Samunder-Singh. Weir.	18,700/-/-	RJL 2843
8.	Shri Ghamandi Lal S/O Narain Lal	5,000/-/-	Not purchased
9.	Sr. Inder Singh S/O Jiwan Singh.	10,600/-/-	RJD 501
10.	Shri Pushkar Singh S/O Randhir Singh.	5,000/-/-	Not purchased
11.	Sh. Girraj Singh S/O Jetran.	5,000/-/-	Purchased and amount recovered in full.
12.	Shri Kalu Ram S/O Bhura Ram.	5,000/-/-	RJS 601
13.	Shri Lal Singh S/O Sewa Singh.	5,000/-/-	581

१	२	३	४	५	६
14.	Shri Ghanshyam Singh S/O Bhondu Ram		1,1578/-/-		440
15.	Shri Radha Krishan S/O Jankri Prashad.		9,400/-/-		381
16.	Shri Saheb Singh S/O Birbal Singh.		5,000/-/-		358
17.	Kr. Laxman Singh S/O Girraj Singh.		7,5000/-/-		536
18.	Shri Bharat Singh S/O Harbat.		10,000/-/-		355
19.	Sh. Mahesh Chand S/O Khachera.		5,000/-/-		475
20.	Shri Parmanand S/O Chiranjit Singh.		10,160/-/-		410
21.	Shri T. N K. Acharya S/O P. N. K. Rangacharya		10,000/-/-		457
22.	Shri Harbhan Singh S/O Ch. Teh Singh.		9,986/-		427
23.	Shri Mangal Ram S/O Gaddar Mal		5,000/-		421
24.	Shri Gopal Das S/O Behari Lal		9,250/-	RJD	420
25.	Shri Ram Swaroop S/O Sadu Ram.		10,000/-		422
26.	Shri Ram Sharan S/O Gopi Lal		9,587/-		419
27.	Shri Damodar Lal S/O Gaddar Mal		6,000/-	purchased but registration number not known.	
28.	Shri Jai Dev Singh S/O Shiv Lal		5.000/-		458
29.	Shri Ram Pratap S/O Jhumna Singh		8,790/-		532
30.	Shri Yadram Singh S/O Budh Singh.		5,000/-		523
31	Shri Subedar Singh S/O Gitam Singh.		10,000/-		505
32.	Shri Nehal Singh S/O Amir Singh.		8,102/-		548
33.	Shri Samuder Singh S/O Dharm Singh.		9,715/-		525
34.	Capt. Girdhari Singh, Jagina.		9,5000/-		526

१	२	३	४
35.	Shri Girraj Prashad S/O Har Prashad.	9,442/-	542
36.	Shri Salender Kumar S/O Bidya Dhar.	10,000/-	Not purchased.
37.	Shri Premidhi Shastri, Bharatpur.	10,000/-	557
38.	Shri Bohari Singh S/O Kashi Ram.	10,000/-	535
39.	Shri Raghunath Prashad S/O Kishori Lal	10,000/-	544
40.	Shri Gopal Ram S/O Ram Chand.	10,000/-	550
41.	Shri Mangia S/O Gyasia.	5,000/-	693
42	Shri Bhagwat Singh S/O Govind Singh.	10,000/-	549
43.	Shri Kailabus S/O Bheron Singh.	10,000/-	527
44.	Nrender Singh S/O Samunder Singh.	4,788/-	534
45.	Shri Brij Lal S/O Kishan.	10,000/-	553
46.	Shri Yad Ram S/O Harhet.	6,000/-	671
47.	The Des Raj S/O Chhitar Singh	10,000/-	90
48.	Shrimati Harender Kumari D/O Kr. Ghamandi Singh.	5,000/-	165
49.	Shri Balwant Singh S/O Khushal Singh.	7,282/-	565
50.	Shri Fateh Singh S/O Nahar Singh	9,000/-	572
51.	Shri Ramji Lal S/O Behari Lal.	9,320/-	717
52.	Shri Girraj Singh S/O Bhagwat Singh.	8,000/-	572
53.	Shri Sardar Singh. S/O Birbal Singh.	10,000/-	571
54.	Shri Mool Chand S/O Narain	10,000/-	580
55.	Shri Gulab Singh S/O Mewa Ram	10,000/-	577
56.	Shri Gurcharan Singh S/O Gurmukh Singh	8,5000/-	587

१	२	३	४
57.	Shri Ratan Singh S/O Jahangir Singh.	10,000/-	611
58.	Shri Panna Singh S/O Khan Singh.	10,000/-	623
58.	Shri Dwarka Prashad S/O Shri Lal	10,000/-	706
60.	Shri Jogender Singh S/O Kartar Singh.	10,000/-9	695
61.	Shri Babu Lal S/O Pyare Lal	10,000/-	696
62.	Shri Rajender Singh S/O Narain Singh.	10,000/-	817
63.	Shri Bajhan Lal S/O Rajnikant.	10,000/-	846
64.	Shri Sanwal Singh S/O Fateh Singh	10,000/-	825
65.	Shri Thakur Singh S/O Jwala Singh.	5,000/-	821
66.	Shri S[illegible]ni S/O Johri.	5,615/-	864
67.	Shri [illegible]hri Chand S/O Durga Ram	10,000/-	Not purchased
67.	Shri Bhagwat Singh S/O Johri.	9,000/-	since purchased.

परिशिष्ट ७

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५४ का उत्तर देखिये)

LIST OF DAMAGED ROADS OF BHARATPUR

1. Bharatpur Jaipur road 18th miles.
2. Bharatpur Kumber road 2 miles.
3. Bharatpur road 1 mile.
4. Bharatpur Mal Godown road 1 mile.
5. Bharatpur Agra road 2 miles.
6. Pahari Agra Jaipur road part A & E 1 mile.
7. Kaman Pahari Road 11 mile and 14 mile.
8. Bharatpur Nadbai road 1 mile.
9. Kaman bye pass road 1 mile.
10. Kaman Jurehra Road, 3, 4, 5, 10 mile.
11. Deeg Goverdhan road 1 mile and 1 furlong.
12. Kaman Nandgown road 1, 3, 4, & 5 miles.
13. Nagan Nadbai road 12&15 mile.
14. Bayana Hindaun road 8 miles.
15. Bayana Weir road 49, 52 mile.
16. Bayana Bharatpur road 16&23 mile,
17. Dholpur Rajakhera road 1 mile and 2 mile.
18. Dholpur Bharatpur road via Rupbas road and Saipau road 8 & 9 mile.

19. Uchain Seola road 2 furlong.

20. Agra Bayana road upto Rudaval 2 furlong.

21. Dholpur Bari Road 1 mile.

22. Bari to Baseri road 1 mile.

शुद्धि-पत्र

(४ दिसम्बर, १९५९)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
८५६	६	प्रानर्था	प्रार्थना
८५७	३	पांछ	पांच
८५८	२	Deparment	Department
८५९	६	सार्वजनिक निर्माण	सार्वजनिक निर्माण
८६०	२१	ट्रान्सफर के किया	ट्रान्सफर किया
८६१	अन्तिम	श्री अध्यत्त	श्री अध्यक्ष
८६३	१०	इन्फोमेशन	इन्फोर्मेशन
८७१	२५	क्य	क्या
८७२	१७	श्री दयाकृष्ण विजय	श्री दयाकृष्ण विजय
८७६	२	भाणापुरा	भाणपुरा
८७७	१०	इर्रिगशन	इर्रिगेशन
८७८	१६	श्री पी. के. चौधरी	१३३. श्री पी. के. चौधरी
८७८	अन्तिम से ३	ive	give
९०४	६	श्री नाथूराम मिधा.	श्री नाथूराम मिर्धा
९०४	११	श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी.	१४७. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी.
९०७	अन्तिम से ६	पदत्त	प्रदत्त
९१०	३	ractor	tractor
९१३	अन्तिम से ५	साधा-	साधारण
९२०	९	इन्ट्रीगेशन	इन्टीग्रेशन
९२३	अन्तिम से ५	जो मेरा था	जो मरा था
९२५	शीर्ष	स्थगत प्रस्ताव	स्थगन प्रस्ताव
९३४	३	स्टेट्सन	स्टेट्स
९३५	२-३	रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) (के बोलने हेतु खड़े होने पर)	(रावराजा श्री सरदारसिंह के बोलने हेतु खड़े होने पर)
९४१	१८	रिर्पोट	रिपोर्ट
९५४	८	चाहिये	चाहिये

[redacted]

१	२	३	४
,,	१२	बताथा	बताया
६५७	अन्तिम से २	House te	House to
६५६	शीर्ष	५५६	६५६
६६३	२१	frist	first
६६८	२५	गैर कानूमी	गैर कानूनी
६७१	७	कल्ल	क्ल्यु
६७२	अन्तिम से ५	Culrivate	Cultivate
,,	,,	ul	but
,,	अन्तिम	fragmen	fragment
६७४	४—५	imidiately	immediately
६७६	११	procudure	procedurc
६७८	अन्तिम से १०	ccmpensation	Compensation
६७८	अन्तिम से २	finishIng	finishing
६७६	१८	antitled	entitled
६८०	६	entitiled	eutitled
,,	८	Hance	Hence
,,	१८ व २२	Delate	Delete
६८५	२२	lawayer	lawyer
६६२	अन्तिम से ३	Substiute	Substitute
६६३	अन्तिम	वस	वह
६६५	५	किय	किया
६६५	२४	नवम्वर	नवम्बर
१००१	१	श्रा दयाकृष्ण विजय	श्री दयाकृष्ण विजय
,,	४	janury	January
१००२	२३	न्युटेशन	म्युटेशन
१००६	अन्तिम	प्रवन्घ	प्रबन्घ
१००७	१२	tbe	the
१००६	अन्तिम से २	Procfession	profession
१०२२	२२	पावन्द	पा बन्द
१०२३	अन्तिम से ४	wiil	will
०२४	२०	मी	भी
१०२५	१८	मुद्रा	मुद्दा

(३)

१	२	३	४
१०२६	१४	डवेलष्मेन्ट	डवेलपमेन्ट
१०३४	१६	fron	front
,,	अन्तिम	न्य ान	ध्यान
१०३७	४	अमेन्डन्मेन्ट	अमेन्डमेन्ट
१०४४	२३	प्रात	प्राप्त
१०४७	अन्तिम से २	mumber	number
१०४८	अन्तिम से ३	एन्जेम्पश ान	एग्जेम्पशन
१०६३	३	partion	partition
१०६५	१८	हिस्दुस्तान	हिन्दुस्तान
१०६७	१२	उतरापथ	उत्तरापथ
१०६७	२४	कनून	कानून
१०७०	२३	एग्रीलल्चरिस्ट	एग्रीकल्चरिस्ट
१०९७	६	शने शने	शनैः शनैः